सत्य की खोज

लेखक

कृष्णचन्द्र गर्ग

पूर्व गणित प्राध्यापक

(भारत में तथा अमेरिका में)

सूर्य भारती प्रकाशन

नई सड़क, दिल्ली-110006

ISBN : 978-93-83424-0000-0000

© : **लेखकाधीन**

प्रकाशक : **सूर्य भारती प्रकाशन**
2596, नई सड़क
दिल्ली-110006

दूरभाष : 011-23266412

मूल्य : **100/- रुपये**

प्रथम संस्करण : **सन् 2018**

टाइप सैटिंग : **गुप्ता कम्यूनिकेशन**
शाहदरा, दिल्ली-110032
मो. : 0-9891640985

मुद्रक : **निधि इंटरप्राइजिज**
दिल्ली

Satya Ki Khoj by Krishan C. Garg

समर्पण

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883)

वेदों के प्रकाण्ड पण्डित, महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक, धार्मिक-सामाजिक-राजनैतिक वैचारिक क्रान्ति के अग्रदूत महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती को यह पुस्तक 'सत्य की खोज' सादर समर्पित है।

पुस्तक के सम्बन्ध में

प्रस्तुत पुस्तक 'सत्य की खोज' पच्चीस लेखों का संग्रह है। लेखों के विषय आध्यात्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजधर्म सम्बन्धी हैं।

आम लोग अध्यात्मवाद, कर्मफल, मृत्यु के पश्चात क्या, वेदों में क्या आदि विषयों में अनजान हैं। इन विषयों को सत्य के आधार पर वेदों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

हिन्दू भारत में 80% होते हुए भी प्रभावहीन क्यों हैं? मूर्तिपूजा आदि उनकी कमजोरियां बताई गई हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण पर भागवत आदि पुराणों में झूठे दोष लगाए हैं। महाभारत में उनका जीवन बड़ा पवित्र तथा महान बताया गया है। हिन्दू जाति के सुधार में महर्षि दयानन्द का योगदान अद्वितीय है। 'आर्य समाज' वेद को मानने वाली संस्था है। वेद मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, कायर नहीं, बहादुर बनाते हैं। ये विषय भी पुस्तक में वर्णित हैं।

पुस्तक में इस्लाम, कुरान, महात्मा गान्धी और स्वामी विवेकानन्द का वास्तविक चेहरा दिखाया गया है जो आम जनता नहीं देखती। अकबर की महानता का भण्डाफोड़ किया गया है।

भारतवर्ष की गलत शासकीय व्यवस्थाएं इसकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका अपनी उत्तम व्यवस्थाओं के कारण ही उन्नत है। अंग्रेज़ों ने भारत को क्या दिया। ये विषय भी पाठकों को पुस्तक में मिलेंगे।

इन विषयों पर सत्य को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी ऐसा पूर्ण विश्वास है।

पंचकूला, हरियाणा — **–कृष्ण चन्द्र गर्ग**
सितम्बर 2018 — kcg831@yahoo.com

विषय-सूची

1. वैदिक कर्मफल व्यवस्था	7
2. अध्यात्मवाद (Spirituality)	11
3. वेद उपदेश	14
4. मृत्यु के पश्चात क्या?	16
5. हिन्दुओं की कमजोरियां	20
6. मूर्तिपूजा–अज्ञानता की पराकाष्ठा, हिन्दुओं के विनाश का कारण	27
7. श्री कृष्ण का पवित्र और महान जीवन-चरित	31
8. सनातन धर्म और आर्य समाज	35
9. भारतवर्ष के उत्थान में महर्षि दयानन्द का योगदान	46
10. मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार	53
11. अकबर (1542-1605) महान नहीं, क्रूरतम अत्याचारी था	58
12. क्या मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं?	63
13. Some Ayats From Quran	66
14. मुस्लिम शासन–गैर-मुसलमानों के प्रति अति क्रूर शासन	70
15. हिन्दू, मुस्लिम एकता कैसी?	72
16. गांधी जी हिन्दुओं के लिए पूजनीय कैसे?	74

17. Extracts from Dr. Ambedkar's interview to BBC on Gandhi Ji in 1955 82
18. स्वामी विवेकानन्द की विचारधारा 86
19. भारतवर्ष की बदहाली के मूल कारण 93
20. भारत की झूठी पंथनिरपेक्षता 102
21. अंग्रेजी नहीं, प्रान्तीय भाषाएं तोड़ती हैं देश को 105
22. स्वतन्त्र भारत के नेताओं ने देश को क्या दिया (सन् 2012) 108
23. भारत का शासन प्रजातन्त्र नहीं, भ्रष्टतन्त्र और लूटतन्त्र है 113
24. अंग्रेजी शासन की भारत को देन 118
25. अमरीकी शासन की कुछ विशेषताएं 124

वैदिक कर्मफल व्यवस्था

सुख दुख का कारण मनुष्य के कर्म (काम या कार्य) हैं, ग्रह नहीं। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो उसके बदले में ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होता है और ऐसा काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो उसके बदले में मनुष्य को दुख मिलता है। ईश्वर पूर्ण रूप से न्यायकारी है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानता। वह रिश्वत नहीं लेता। उसका कोई एजेंट या पीर, पैगम्बर या अवतार नहीं है।

अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का फल अलग-अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को काटकर बराबर नहीं करते। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कामों का अलग-अलग हिसाब रहता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा काम कर दिया और एक उतना ही बुरा काम कर दिया और वे बराबर होकर कट गए और हमें कोई फल न मिले। दोनों का अलग-अलग फल भोगना पड़ता है। अच्छे और बुरे कामों के फलस्वरूप सुख और दुख साथ-साथ भी चल सकते हैं। कुछ अच्छे कामों का फल हम भोग रहे हैं, साथ ही कुछ बुरे कार्यों का फल भी भोग रहे हैं।

मनुष्य जन्म में किए कामों के अनुसार ही आगे का जन्म मिलता है। अगर बुरे काम की बजाए अच्छे काम ज्यादा हों तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हों तो अगला जन्म कामों के अनुसार पशु, पक्षी, कीड़ा, मकौड़ा आदि कुछ भी हो सकता है। यह बात सही नहीं है कि चौरासी लाख योनियों में से होकर ही मनुष्य जन्म फिर से मिलता है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बच्चों को अपने पूर्व के जन्म का ज्ञान है और वे पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही थे।

भाग्य या प्रारब्ध क्या है। मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा काम करता है उसके बदले में उसके अनुसार उसे जो फल मिलता है वही उसका भाग्य है। इस प्रकार अपना भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, कोई और नहीं। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य न बना सकता है और न ही बिगाड़ सकता है। किसान ने खेती करके जो फसल घर में लाकर रख ली वह उसका भाग्य है, उसकी अपनी मेहनत का फल।

किसी भी अच्छे या बुरे काम का फल शासन-प्रशासन भी दे सकता है। अगर शासन-प्रशासन न दे तो ईश्वर तो देता ही है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता।

जैसे माता-पिता अपनी सन्तानों को बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कामों में लगाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ईश्वर भी करता है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे अन्दर से भय, शंका, लज्जा महसूस होती है और जब वह कोई अच्छा काम करने लगता है उसे आनन्द, उत्साह, अभय, निशंका महसूस होती है। ये दोनों प्रकार की भावनाएं ईश्वर की प्रेरणा होती हैं।

मनुष्य कुकर्म क्यों करता है। अविद्या अर्थात मान लेना कि कुकर्म के फल से बचने का उपाय कर लेंगे तथा राग, द्वेष और लालच के कारण ही मनुष्य कुकर्म कर बैठता है।

अथर्ववेद (12-3-48)—कर्म का फल करने वाले को ही मिलता है। इसमें किसी और का सहारा नहीं होता, न मित्रों का साथ मिलता है। कर्म फल प्राप्ति में कमी या अधिकता नहीं होती। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही और उतना ही फल मिलता है।

महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर गन्धारी श्री कृष्ण से कहती है—निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं जो मैं अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को मरा हुआ देख रही हूं।

महाभारत में ही शान्ति पर्व में कहा गया है—जैसे बछड़ा हजारों गऊओं के बीच में अपनी मां के पास ही जाता है ऐसे ही कर्म फल कर्म के करने वाले के पास ही जाता है।

मनुस्मृति (4-240)—जीव अकेला ही जन्म और मरण को प्राप्त होता

है। अकेला ही अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कामों की फल दुख के रूप में भोगता है।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराण (प्रकृति 37-16)—करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना कर्म फल को भोगे उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता।

चाणक्य नीति—किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।

गीता (5-15)—हमारे सुखों और दुखों के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है, बल्कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म उत्तरदायी हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने सुख दुख के लिए परमात्मा को उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह न हमारे पापों के लिए जिम्मेदार है और न ही पुण्यों के लिए जिम्मेदार है।

वाल्मीकि रामायण (युद्ध काण्ड 63-22)—रावण के मारे जाने के बाद जब हनुमान लंका में सीता को राम की विजय का समाचार सुनाने गए तब सीता ने हनुमान से कहा—मैंने यह सब दुख पूर्व जन्म में किए हुए कामों के कारण ही पाया है क्योंकि अपना किया हुआ ही भोगा जाता है।

वाल्मीकि रामायण (अरण्य काण्ड 35-17, 18, 19, 20)—सीताहरण के पश्चात श्री राम सीता के वियोग में विलाप करते हुए कहते हैं—हे लक्ष्मण! मैं समझता हूं इस सारी भूमि पर मेरे समान बुरे काम करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है क्योंकि एक के पश्चात एक दुखों की परस्परा मेरे हृदय और मन को चीर रही है। पूर्व जन्म में निश्चय ही मैंने एक के पश्चात एक बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। राज्य हाथ से छिन गया, अपने लोगों से वियोग हो गया, पिता जी परलोक सिधार गए, माता जी से बिछोड़ा हो गया। इन घटनाओं को याद करके मेरा हृदय शोक से भर जाता है। हे लक्ष्मण, ये सारे दुख इस रमणीक वन में आने पर शान्त हो गए थे। परन्तु आज सीता के वियोग से वे सभी भूले हुए दुख उसी प्रकार फिर से ताजा हो गए हैं जैसे लकड़ी डालने से आग जल उठती है।

पश्चाताप (मनुस्मृति 11-230)—पाप कर्म होने पर उस पर पश्चाताप करके मनुष्य उस पाप भावना से छूट जाता है। फिर वह पाप कर्म नहीं करता। यही पश्चाताप का फल है। जो कर चुका उसका फल तो भोगना ही

पड़ेगा। किए कर्म के फल से बचने का शास्त्रों में कहीं कोई उपाय नहीं बताया। पाप का फल अवश्य मिलेगा यह सोचकर मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहिए।

कुकर्म से बचने के उपाय—अपने आपको ईश्वर के साथ जोड़ने से मनुष्य पाप कर्म से बच सकता है। यह जानकर कि ईश्वर हर समय मेरे साथ है, मेरे सभी कामों को देखता है तथा उसके अनुसार मुझे फल भी देता है मनुष्य दुष्कर्म से बच सकता है।

महाभारत—धर्म का सर्वस्व जानना चाहते हो तो सुनो। दूसरों का जो व्यवहार आपको अपने प्रतिकूल (विरुद्ध) लगता है अर्थात दूसरों का जो व्यवहार आपको पसन्द नहीं वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ मत करो।

जैसे अग्नि अपने पास आई लकड़ी को जला देती है ऐसे ही वेद का ज्ञान मनुष्य में पाप की भावना को जला देता है अर्थात वेद के स्वाध्याय से मनुष्य में पापकर्म करने की भावना समाप्त हो जाती है।

यजुर्वेद (40, 3)—जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करते हैं अर्थात मन में और जानते हैं, वाणी से और बोलते हैं और करते कुछ और हैं, वे ही मनुष्य असुर (दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि) हैं। वे कभी भी आनन्द को प्राप्त नहीं करते। जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से कपट रहित एक सा आचरण करते हैं वे ही देवता हैं, वे इस लोक और परलोक में सुख भोगते हैं।

सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः।—सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य पर चलकर ही मनुष्य देवता बनता है। ऋषि लोग सत्य पर चलकर ही परमात्मा को पाकर आनन्द प्राप्त करते हैं।

ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो किसी का जितना भला करेगा उसको उतना ही सुख मिलेगा और जितना किसी का बुरा करेगा उतना ही उसे दुख मिलेगा। इस प्रकार सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण तथा परोपकार के कार्य ही सुख रूप फल देने वाले हैं।

अध्यात्मवाद (Spirituality)

आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है—इन दोनों का आपस में सम्बन्ध क्या है—इस विषय का नाम अध्यात्मवाद है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। इन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छूआ नहीं जा सकता।

परमात्मा एक है, अनेक नहीं—ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी एक ईश्वर के नाम हैं। (एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद-1-164-46) अर्थात एक ही परमात्मा को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनन्त हैं, इसलिए आत्माएं भी अनन्त हैं। न्यायदर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख—ये छः गुण जिसमें हैं उसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, बाकी चार गुण इसमें शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही यह शरीर प्रकाशित है, नहीं तो मुर्दा अप्रकाशित और अपवित्र है। यह संसार भी परमात्मा की विद्यमानता के कारण ही प्रकाशित है।

आत्मा और परमात्मा—दोनों ही अजन्मा व अनन्त हैं। ये न कभी पैदा होते हैं और न ही कभी मरते हैं, ये सदा रहते हैं। इनका बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। हर आत्मा एक अलग और स्वतन्त्र सत्ता है।

आत्मा अणु है, बेहद छोटी है—परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, थोड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। जो कुछ हो चुका है और हो रहा है सब कुछ उसके संज्ञान में है। अन्तर्यामी होने से वह सभी के मनों में क्या है यह भी जानता है। आत्मा

की शक्ति सीमित है, थोड़ी है, परन्तु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सृष्टि को बनाना, चलाना, प्रलय करना आदि अपने सभी काम करने में वह समर्थ है। पीर, पैगम्बर, अवतार आदि नाम से कोई एजेंट या बिचौलिए उसने नहीं रखे हैं। अपने सभी काम वह स्वयं करता है। ईश्वर सभी काम अपने अन्दर से करता है क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो भी करता है वह हाथ-पैर आदि से नहीं करता क्योंकि उसके ये अंग हैं ही नहीं। वह सब कुछ इच्छा मात्र से करता है।

ईश्वर आनन्दस्वरूप है—वह सदा एक रस आनन्द में रहता है। वह किसी से राग-द्वेष नहीं करता। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे है। ईश्वर की उपासना करने से अर्थात उसके समीप जाने से आनन्द प्राप्त होता है जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है। ईश्वर निराकार है। उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है जैसे हम सुख-दुख मन में अनुभव करते हैं।

ईश्वर की व्यवस्था से यह आत्मा—एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वह नया शरीर मनुष्य का या किसी पशु, पक्षी, कीट, पतंग का हो सकता है। ईश्वर मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार ही नया शरीर देता है।

यह आत्मा जब मनुष्य शरीर में होती है—तब वह कार्य करने में स्वतन्त्र रहती है। उस समय किए कार्यों के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख, दुख तथा अगला जन्म देता है। दूसरी योनियां या तो किसी दूसरे के आदेश पर चलती हैं या स्वभाव से काम करती हैं। उनमें विचार शक्ति नहीं होती। इसलिए उन योनियों में की क्रियाओं का उन्हें अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता। वे केवल भोग योनियां हैं जो पहले किए कर्मों का फल भोगती हैं। मनुष्य योनि में कर्म और भोग दोनों का मिश्रण है। मनुष्य स्वतन्त्र रूप से कर्म भी करता है और कर्म फल भी भोगता है।

मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं—शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का साधन है। कर्ता और भोक्ता आत्मा है। सुख-दुख आत्मा को होता है।

जीवात्मा न स्त्रीलिंग है, न पुलिंग है और न ही नपुंसक है—यह जैसा जैसा शरीर पाता है, वैसा-वैसा कहा जाता है। (श्वेताश्वतर उपनिषद)

ईश्वर की पूजा—ऐसे नहीं की जाती जैसे मनुष्यों की पूजा अर्थात सेवा सत्कार किया जाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन अर्थात सत्य और न्याय का आचरण ही ईश्वर की पूजा है।

ब्रह्मज्ञान—ईश्वर की सत्ता को समझना, उसके गुण-कर्म-स्वभाव को जान लेना, यह जान लेना कि परमात्मा संसार के चप्पे-चप्पे में विद्यमान है, वह हमारे सब कामों को देखता है तथा न्यायपूर्वक उनका फल देता है। इस समझ का नाम ही ब्रह्मज्ञान है।

कठोपनिषद में मनुष्य शरीर की तुलना घोड़ा गाड़ी से की गई है—इसमें आत्मा गाड़ी का मालिक अर्थात सवार है। बुद्धि-सारथी अर्थात कोचवान है, मन लगाम है, इन्द्रियां घोड़े हैं। इन्द्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इन्द्रियां रूपी घोड़े दौड़ते हैं। आत्मा रूपी सवार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगा जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को अपने वश में रख के इन्द्रियां रूपी घोड़ों को सन्मार्ग पर चलाएगा।

उपनिषद में घोड़ा गाड़ी को रथ कहा जाता है और रथ पर सवार को रथी—मनुष्य शरीर में आत्मा रथी है। जब आत्मा निकल जाती है तब शरीर अरथी रह जाता है।

परमात्मा हम सबका माता, पिता और मित्र है—वह सब प्राणियों का भला चाहता है। जब मनुष्य कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसे आनन्द, उत्साह, निर्भयता महसूस होती है। वह परमात्मा की तरफ से होता है। और जब वह कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे भय, शंका, लज्जा महसूस होती है। वह भी परमात्मा की तरफ से ही होता है।

ईश्वर का आदेश—जैसे आकाश में बिजली चमकती है और छिप जाती है, इसी बीच कुछ दीख जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का आदेश भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है। सूक्ष्म बुद्धि वाला मनुष्य उसे जान लेता है।

वेद उपदेश

1. कुवासनाओं तथा कुविचारों को मनुष्य अपने मन में न आने दे। ये मन को पीड़ाएं देती हैं। इनसे मनुष्य लज्जा महसूस करता है।

2. कुवासनाओं और उनके कारणों को उसी प्रकार नष्ट कर दें जैसे हिंसक जीवों को नष्ट किया जाता है।

3. दुष्कर्मों को निकम्मी वस्तुओं के समान त्याग दिया जाये।

4. शुभ विचारों वाले मनुष्य शुभ और कुविचारों वाले मनुष्य कुस्वप्न देखते हैं।

5. जो मनुष्य अपनी आत्मा को गिरा देता है वह अपुरुषार्थी बनकर रहता है।

6. बेईमान मनुष्य आत्मबल खो बैठता है।

7. पुरुषार्थ से दुखियों की सहायता करके उनके कष्टों को दूर किया जाए। ऐसे शुभ कर्म से आत्मबल बढ़ता है तथा प्रतिष्ठा मिलती है।

8. शुभ विद्या की प्राप्ति से मनुष्य मधुर व्यवहार वाला, मधुर सत्य वाणी वाला तथा शुभ कर्म करने वाला बन जाता है।

9. उत्तम विद्या से ही संसार का भला होता है। विद्या सूर्य की भांति भला करती है।

10. जैसे कबूतर दूर-दूर तक संदेश ले जाता है उसी प्रकार विद्वान भी दूर-दूर तक विद्या का प्रकाश करें।

11. जैसे दूध में शहद हितकारी होता है ऐसे ही परिवार में सब हितकारी हों।

12. मानसिक रोगों को उत्तम औषधियों तथा शुभ विचारों से ठीक किया जाये।

13. शासक न्याय करने में चन्द्रमा अथवा जल के समान शांत स्वभाव वाला हो। परन्तु दुष्टों को दंड देने में सूर्य अथवा अग्नि के समान तेज वाला हो।

14. शासक तथा प्रजा मिलकर निर्धनता समाप्त करें। निर्धनता समाज में अभिशाप है। पुरुषार्थी लोग निर्धन विपत्तिग्रस्तों के सहायक बनकर अपना धर्म निभाएं।

15. निर्धनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता है, कुरूप हो जाता है, दीन वचन बोलता है, मति भ्रष्ट हो जाती है और महामारी आदि रोग आ घेरते हैं।

16. दुष्ट रोगों तथा दुष्ट शत्रुओं को समाप्त करने में ढील न दिखाई जाए।

मृत्यु के पश्चात क्या?

(**नोट**—यह लेख उपनिषदों के आधार पर लिखा गया है। इस विषय पर उपनिषदों से बढ़कर कोई और ग्रन्थ नहीं है।)

आत्मा और शरीर के मेल का नाम जीवन है और इनका अलग होना मृत्यु। आत्मा एक चेतन और ज्ञानवान सत्ता है, शरीर एक जड़ और ज्ञानरहित पदार्थ है। सुख-दुख आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। शरीर एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपनी सभी क्रियाएं करती है और सुख-दुख भोगती है। आत्मा के निकल जाने पर शरीर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता और न ही इसे कोई सुख-दुख होता है।

मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है तब आत्मा के साथ मन भी जाता है। शरीर के मरने पर मन भी नहीं मरता। हमारी सभी क्रियाओं के संस्कार मन पर ही पड़ते हैं और ये संस्कार शरीर के मरने पर भी समाप्त नहीं होते। इसलिए मृत्यु के समय जो मन आत्मा के साथ जाता है उस पर अनेक जन्मों के संस्कार अंकित होते हैं।

मृत्यु के पश्चात अगले गर्भाशय में जाने तक आत्मा (मन समेत) ईश्वर के अधीन रहती है। इस समय आत्मा मूर्छित अवस्था में होती है। इस अवस्था में आत्मा बिना शरीर के होने के कारण न खाती-पीती है, न ही कोई क्रिया करती है और न ही सुख-दुख भोगती है। क्योंकि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, पूर्ण ज्ञानवान है, सर्व शक्तिमान है, संसार का नियन्ता है और हमारे सब कामों को देखता व जानता है, इसलिए आत्मा को उसके ज्ञान और कर्मों के अनुसार उचित समय और उचित स्थान मिलने पर नया जन्म दे देता है। मृत्यु के पश्चात अगले गर्भाशय में जाने के बीच कुछ समय लग सकता है—वह समय थोड़ा भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है।

जन्म के पश्चात नए माता-पिता के द्वारा ही उसके खान-पान तथा रहन-सहन की व्यवस्था की जाती है। बच्चे के जन्म के साथ ही ईश्वर माता के स्तनों में दूध पैदा कर देता है और वह दूध बच्चे के लिए सर्व हितकारी होता है। इसलिए मनुष्य के मरने के पश्चात उसके निमित भोजन-वस्त्र आदि का दान, श्राद्ध आदि सब व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण काम हैं। और भी, मनुष्य के मरने के पश्चात आवश्यक नहीं कि वह अगले जन्म में मनुष्य ही बने। मनुष्य जीवन में किए कर्मों के अनुसार वह पशु-पक्षी या कीट-पतंग की योनि में भी जा सकता है। अगर मनुष्य जन्म में किए अच्छे काम ज्यादा हैं तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। अगर बुरे काम ज्यादा हैं तो दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। यह सब उसकी न्याय व्यवस्था से ही होता है।

कुछ लोग समझते हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर के दूत, जिन्हें यम कहा जाता है, आते हैं और आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। यह बात अज्ञानता की है। यम शब्द का अर्थ है सब प्राणियों के कर्मफल की व्यवस्था करने वाला और सब अन्यायों से पृथक रहने वाला। इसलिए ईश्वर का एक नाम यम भी है। अतः ईश्वर ही आत्मा को शरीर में प्रवेश करता है और ईश्वर ही आत्मा को शरीर से अलग करता है। ईश्वर को अपने काम करने के लिए किसी दूत या पीर, पैगम्बर, अवतार, एजेंट आदि की जरूरत नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, अपने सभी काम करने में वह समर्थ है।

भूत-प्रेत आदि नामों से भी लोगों के मनों में बड़ा भय और पाखण्ड भरा रहता है। जब कोई मनुष्य मर जाता है उसके मृतक शरीर को संस्कृत भाषा में प्रेत कहते हैं। जो पहले था और अब नहीं रहा उसे भूत कहते हैं। अतः भूत-प्रेत नाम की कोई योनियां आदि नहीं हैं। ये बातें व्यर्थ के बहकावे हैं।

लोगों को बहकाया जाता है कि मृत्यु के बाद बारह दिनों तक आत्मा भटकती रहती है। यह बात भी गलत है। जैसे पहले लिखा जा चुका है कि मृत्यु से लेकर अगले गर्भाशय में जाने तक आत्मा ईश्वर के अधीन रहती है, भटकती नहीं। इस स्थिति में आत्मा अत्यन्त मूर्छित अवस्था में होती है।

लोगों को बताया जाता है कि चौरासी लाख योनियां हैं और इतनी

योनियों में जाने के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है। चौरासी लाख योनियां हैं या कम-ज्यादा हैं—यह तो कोई नहीं जानता। हां, सब योनियों में जाने के बाद ही मनुष्य का शरीर मिलता है—यह बात पूर्णतया गलत है। हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं कि मनुष्य मरकर अगले जन्म में भी मनुष्य ही बन गया। और भी, ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है, मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करने वाले को अगला जन्म मनुष्य का ही देता है। बुरे काम करने वाले को पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनि में डालकर, बुरे कर्मों का फल भुगताकर फिर मनुष्य शरीर दे देता है।

कुछ लोग समझते हैं कि गर्भ में बच्चा बहुत तकलीफ में होता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे यहां से जल्दी बाहर निकाले। यह बात भी सत्य नहीं है। गर्भ में बच्चे को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता और न ही उसको कोई विशेष सुख-दुख होता है। महाभारत के अभिमन्यु की कथा जो सुनी-सुनाई जाती है कि उसे गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान हो गया था—सही नहीं है। ऐसी बातें लोग अपने मन को बहलाने के लिए गढ़ लिया करते हैं। हो सकता है कि अभिमन्यु को यह ज्ञान उसके बचपन में दे दिया गया हो।

मरने के पश्चात कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और कोई नरक में। इस धारणा को भी समझने की जरूरत है। स्वर्ग-नरक नाम के कोई विशेष स्थान नहीं हैं। जो मनुष्य विशेष सुख की स्थिति में है वह स्वर्ग में है और जो कोई विशेष दुख की स्थिति में है वह नरक में है। यह मनुष्य के द्वारा किए कामों के आधार पर ही होता है—अच्छे परोपकार के कामों के फलस्वरूप मनुष्य सुख भोगता है और दूसरों का बुरा करने के फलस्वरूप मनुष्य दुख भोगता है—कुछ वर्तमान जन्म में और कुछ अगले जन्म में। यही स्वर्ग-नरक की परिभाषा है।

आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में—परमात्मा एक है। सारे ब्रह्माण्ड को वही एक परमात्मा चलाता है। आत्माएं अनन्त हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी में एक अलग और स्वतन्त्र आत्मा है। आत्माएं ईश्वर का अंश नहीं हैं। आत्माएं और परमात्मा सदा रहते हैं। ये न कभी जन्मते हैं और न ही कभी मरते हैं। परमात्मा बहुत बड़ा है, सर्वत्र व्यापक है। आत्मा बहुत छोटी है।

उपनिषद कहता है कि बाल के कोने के दस हजार भाग किए जाएं आत्मा उनमें एक भाग से भी छोटी है। इसलिए आत्मा का कोई भार नहीं होता। शरीर से जब आत्मा निकलती है तब उसके साथ प्राण यानि हवा भी निकलती है। हवा का भार होता है। आत्मा अपने आप में न पुलिंग है, न स्त्रीलिंग है और न ही नपुंसक है। वह जैसा-जैसा शरीर पाती है वैसी-वैसी कही जाती है जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं है, उसमें जो रंग डाल दिया जाता है पानी उसी रंग का कहा जाता है।

गीता में लिखा है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। और भी—जैसे मनुष्य फटे, पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा निक्कमा शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है।

मृत्यु होने पर मनुष्य शरीर को जला देने के बाद उसके प्रति और कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। मरने के पश्चात दान-पुण्य आदि किया हुआ उस मृत व्यक्ति को नहीं लगता। दाह-संस्कार के पश्चात तीसरे दिन श्मशान में जाकर राख-अस्थियां आदि को इक्ट्ठा करके श्मशान घाट में ही भूमि में दबा देना चाहिए। हरिद्वार या कहीं और जाकर नदी-नाले में अस्थियां आदि डालना व्यर्थ है। सद्गति या दुर्गति मनुष्य के अपने कार्यों से होती है, मरने के पश्चात उसके निमित दान आदि से नहीं होती। दान भी—सुपात्र को दिया हुआ ही सुखकारी होता है, कुपात्र को दिया दान दुखकारी होता है।

हिन्दुओं की कमजोरियां

हिन्दुओं में कुछ कमियां और कमजोरियां हैं जिनके कारण वे भारत में 80% होते हुए भी प्रभावहीन हैं। प्रस्तुत लेख में उन कमियों पर विचार किया गया है ताकि हिन्दू जाति उन पर चिन्तन करके अपनी कमजोरियों को दूर करके उन्नत हो तथा देश और विश्व में प्रभावशाली भूमिका निभा सके।

1. धर्मगुरुओं के गलत उपदेश—हिन्दुओं के धर्मगुरु उन्हें वीर, बहादुर, पराक्रमी, आत्मस्वाभिमानी, देशभक्त तथा परोपकारी बनने का उपदेश नहीं देते। वे उन्हें अपने बल, बुद्धि का प्रयोग करना भी नहीं सिखाते, वे उन्हें अन्धविश्वासी बनाकर गुरु पर आश्रित रहना सिखाते हैं। वे उन्हें शुभ कर्म करने की शिक्षा देने की बजाए अच्छे-बुरे सब प्रकार के कर्म गुरु को अर्पण करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार हिन्दू मानसिक और बौद्धिक रूप से कमजोर और कायर बनकर गुरु के सहारे बैठ जाते हैं और उसे दक्षिणा के रूप में धन देते रहते हैं।

2. ईश्वर की गलत अवधारणा—ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व अन्तर्यामी है। वह सारी सृष्टि को बनाने वाला है। वह हमारे सब अच्छे, बुरे कार्यों को देखता और जानता है तथा उनके अनुसार हमें सुख और दुख के रूप में फल देता है। ईश्वर के इस सत्य स्वरूप को न मानकर मिट्टी के खिलौनों को ईश्वर मान लेना, उनके आगे हाथ जोड़ देना, सिर झुका देना, भोजन परोस देना कोरी अज्ञानता के सिवाए और क्या है।

3. कर्म व्यवस्था को स्वीकार न करना—जैसा अच्छा बुरा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है। ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है, वह कोई सिफारिश नहीं मानता, रिश्वत नहीं लेता। अच्छे

और बुरे कर्मों के फल भोगकर ही समाप्त होते हैं। उनसे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। फिर भी हिन्दू जाति कोई विपत्ति आने पर उसका कारण ग्रहों-नक्षत्रों को मानती है और इधर-उधर ढोंगियों से उपाय करवाती फिरती है। ज्योतिषी के नाम से ढोंगी लोग ऐसे मानसिक रूप से कमजोर लोगों को झूठे आश्वासन देकर उनका धन लूटते हैं।

4. धर्म की गलत अवधारणा—मन, वचन, कर्म से सत्य का आचरण, पक्षपात रहित न्याय, परोपकार, सदाचार आदि ही धर्म हैं। पत्थर की मूर्ति पर दूध डालना और पेट भरे पण्डित को खिलाना, जनेऊ, पहनना, तिलक लगाना, चोटी रखना आदि कर्म धर्म नहीं हैं। धर्म का सम्बन्ध शुद्ध आचरण से है, दिखावे और आडम्बर से नहीं।

5. मूर्तिपूजा को ईश्वर की पूजा मानना—मूर्तिपूजा ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर की पूजा तो हो ही नहीं सकती। उसे हमारी पूजा की जरूरत भी नहीं। वह कभी प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता। वह तो सदा आनन्दस्वरूप है। मूर्तिपूजा व्यर्थ है। इसने आज तक हिन्दुओं को दिया ही क्या है। मूर्तिपूजा के कारण हिन्दू जड़बुद्धि, विवेकहीन और शुभ कर्म विहीन हो गए हैं। हजारों मन्दिरों और मूर्तियों को मुसलमान हमलावरों और शासकों ने तोड़ा और लूटा है। कोई एक मूर्ति किसी आक्रमणकारी की एक टांग भी न तोड़ सकी।

अनेक लड़ाइयां हिन्दुओं ने मूर्ति में शक्ति के झूठे विश्वास के कारण मुसलमानों से हारी हैं जिनके परिणामस्वरूप हिन्दुओं को भयानक रक्तपात, लूटपाट और दासता झेलनी पड़ी है।

6. गलत और प्रक्षिप्त साहित्य—हिन्दुओं ने अपने असली और सही साहित्य चार वेदों—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद—को तो भुला दिया है। गपौड़ों से भरे अठारह पुराणों को अपना लिया है। पुराणों के अन्दर ज्यादातर बातें झूठी, असम्भव, अनैतिक और अश्लील हैं। हिन्दू बेशक इन पुराणों को पढ़ते तो बहुत कम हैं पर पण्डित लोग इन्हीं पुराणों के आधार पर कथा-वार्ता और उपदेश करते हैं। हिन्दू ऐसे उपदेशों को ही सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, ऐसे उपदेशकों को विद्वान मानते हैं और पुराणों को ही असली धर्म ग्रन्थ मानते हैं। जैसा साहित्य वैसी बुद्धि। इसलिए हिन्दुओं की

बुद्धि तार्किक नहीं है।

हिन्दू साहित्य की दूसरी बड़ी समस्या है कि रामायण, महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों में बड़ी भारी मिलावट है जैसे गंगा गंगोत्री से चली तो पूरी तरह स्वच्छ और पवित्र है परन्तु आगे आकर गन्दगी मिलने से दूषित हो गई है। पर हिन्दू इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते, करते भी हैं तो नीर-क्षीर करने की जरूरत नहीं समझते। इसीलिए हिन्दू अविद्या-अन्धकार में फंसे रहते हैं।

7. झूठी आस्था—हिन्दुओं में तार्किक बुद्धि और वैज्ञानिक सोच का अभाव है। आस्था के नाम पर वे बुद्धि को ताक पर रखकर हर गलत बात को सही और असम्भव को सम्भव मान लेते हैं। झूठ मनुष्य को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकता, वह तो अवनति की ओर ही ले जाता है। रेत को खाण्ड मानने से वह खाण्ड नहीं बन जाता। आस्था सत्य पर ही आधारित होनी चाहिए, झूठ पर नहीं। इसीलिए हिन्दू भ्रमजाल में फंसे रहते हैं।

8. सभी मजहब एक से हैं की झूठी धारणा—प्रायः करके, हिन्दू माने बैठे हैं कि सभी मजहब एक ही सत्य ईश्वर की ओर ले जाते हैं। यह बात उतनी ही गलत है जितनी कि यह कह देना कि चण्डीगढ़ से सभी रास्ते दिल्ली को जाते हैं। सभी सम्प्रदायों में ईश्वर, जीवात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि की अवधारणाएं अलग-अलग हैं। मुसलमान तो गैर-मुसलमान को यातनाएं देना और जान से मार देना स्वर्ग में जाने का साधन मानते हैं। हिन्दुओं को छोड़ सभी सम्प्रदाय अपने-अपने सम्प्रदाय को सबसे बढ़िया बताते हैं और उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वैदिक धर्म की मान्यताएं सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी हिन्दू उन्हें फैलाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हिन्दू उनसे अनभिज्ञ हैं और जानने की इच्छा भी नहीं रखते। सरकार द्वारा प्रसारित 'सर्वधर्म समभाव' की झूठी धारणा को हिन्दू गले लगाए हुए हैं और झूम-झूम कर झूठा गीत गाया जाता है—मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इसलिए हिन्दू सदा घटाओ की स्थिति में रहे हैं, इन्होंने बढ़ाओ की ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

9. मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा—वेद ने ईश्वर को शरीर रहित (अकायम्), अजर, अमर, अजन्मा, नित्य और पवित्र बताया है। परन्तु हिन्दुओं ने अपनी

कल्पना से अलग-अलग तरह के भगवान बना लिए हैं। ईश्वर का विषय मन और आत्मा से सम्बन्धित है परन्तु मूर्तिपूजकों ने इसे आंख का विषय बना लिया है। पण्डितों द्वारा मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा का ढोंग भी हिन्दुओं को समझ में नहीं आता। साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी जानता है कि पत्थर की मूर्ति में न तो देखने-सुनने की शक्ति है, न उसमें कुछ समझने या करने की शक्ति है, न ही उसमें प्राण पड़ सकते हैं। पुजारी तो धन ऐंठने के लिए हिन्दुओं को बेवकूफ बनाते हैं। पर हिन्दू क्यों मूर्ख बनते हैं यह बात समझ से परे है।

10. गरीबों के प्रति सहानुभूति की कमी—हिन्दुओं में दान देने की प्रवृति तो है, पर देते गलत जगह पर हैं। वे निठल्ले और पेट भरे पण्डितों को दान देते हैं जो महापाप है। दान तो जरूरतमन्द को देना चाहिए और विद्या के प्रसार के लिए देना चाहिए। गरीबों के प्रति सहानुभूति और सहायता का भाव रखना चाहिए। उनसे नफरत नहीं, उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, कल-कारखाने लगाने चाहिए। ईश्वर के नाम पर मन्दिर में दान देना अपने आपको धोखा देना है क्योंकि ईश्वर देता है, लेता नहीं।

11. हिन्दुओं में अज्ञानता और अन्धविश्वास—अज्ञानता और अन्धविश्वास के कारण हिन्दू झूठे कर्मकाण्डों में फंसे हुए हैं। जो मर चुके हैं उनके लिए वे श्राद्ध करते हैं, ईश्वर-भक्ति के नाम पर जगराता करते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए वे पेड़-पौधों और नदी-तालाबों को पूजते हैं, ईश्वर का मनुष्य रूप में आना-जाना मानते हैं। तथाकथित ज्योतिषियों से वे अपना भूत और भविष्य पूछते फिरते हैं, दुख-तकलीफ को टालने के लिए तागे-तावीज, जन्त्र-तन्त्र करवाते फिरते हैं।

12. भौंडे गीत—हिन्दू औरतें कीर्तनों में बड़े घटिया किस्म के, बे तुके, बे सिर-पैर के गीत गाती हैं। उन्हें वीरता के, सदुपदेश देने वाले, सत्य इतिहास बताने वाले सार्थक गीत गाने चाहिएं।

13. जगराते-पाप कर्म—हिन्दुओं में जगरातों की कुप्रथा पिछले 40 या 50 वर्षों से आरम्भ हुई है। ईश्वर भक्ति के नाम पर लाऊडस्पीकर की ऊंची आवाज में रातभर घटिया किस्म के गीत गाते हैं, फिर घटिया, असम्भव,

विनाशकारी कहानी कहते हैं। साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इन जगरातों की निस्सारता को समझ सकता है, तो फिर हिन्दू क्यों नहीं समझते।

14. जातपात—जन्म की जातपात ने हिन्दू समाज को बांट दिया है, बेहद खोखला और कमजोर किया है। जातपात की बात पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। सभी की एक जाति—मनुष्य जाति—समझी जाए।

15. इतिहास को भुला दिया—इतिहास से सीख लेकर किसी भी समाज को आगे की रणनीति बनानी चाहिए। अगर आप इतिहास से सबक नहीं सीखते तो आपके साथ फिर वही कुछ होगा जो पहले हो चुका है। मुसलमानों ने हिन्दुओं पर आठवीं सदी से लेकर अठारहवीं सदी तक अथाह अत्याचार किए हैं। उन्होंने हजारों मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ा। वहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के रूप में बेहद धन लूटा। उन्होंने मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदें बना दीं, पुजारियों को गाजर मूली की तरह काटा, करोड़ों की संख्या में हिन्दुओं का कत्लेआम किया, करोड़ों हिन्दुओं को तलवार के जोर से मुसलमान बनाया, लाखों हिन्दू महिलाओं से बलात्कार किया। अब भी पाकिस्तान, बंगलादेश, कश्मीर आदि स्थानों पर जहां मौका लगता है वे वही कुछ कर रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 20% के लगभग थी और अब 1% रह गई है। बंगलादेश में तब 30% हिन्दू थे अब 7% रह गए हैं। कश्मीर में हिन्दुओं पर अत्याचार किए और लगभग तीन लाख हिन्दुओं को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर हिन्दुओं ने इन सब घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा। हिन्दू अपने मित्र और शत्रु में अन्तर नहीं कर पाते। जो उन्हें समझाता है उसे वे अपना शत्रु मानते हैं और जो उन्हें बहकाता है उसे वे अपना मित्र मानते हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है।

16. हिन्दुओं में नेतृत्व और संगठन का अभाव—हिन्दुओं का कोई तगड़ा नेता नहीं है जो सारी हिन्दू जाति को संगठित और सशक्त बना सके।

17. हिन्दू मुसलमानों की कबरों से खैर मांगते फिरते हैं, वे कबरें जिनमें हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाले मुसलमानों को कभी दबाया गया था। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है, हिन्दू वीरों का अपमान है और अपनी जाति से गद्दारी है। यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं।

अजमेर की दरगाह शरीफ में सूफी सन्त मुइनुद्दीन चिश्ती की कबर है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (गरीब नवाज) का जन्म 1141 में अफगानिस्तान में हुआ था। वह मुहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। उसने भारत में आकर 700 हिन्दुओं को मुसलमान बनाया था। अजमेर में जिस स्थान पर दरगाह है वहां पर पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। मुहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी आंखें निकालकर उसे बन्दी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था।

बहराइच (उत्तर प्रदेश) के पास मसूद गजनी की मजार है। मसूद गजनी, सोमनाथ मन्दिर पर हमला करने वाले महमूद गजनवी का बेटा था। उसने 1033 में बड़ी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया था। जून, 1033 में बहराइच के मैदान में मसूद गजनी की और भारत के हिन्दू राजाओं की सेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई में मसूद मियां की सेना की हार हुई तथा वह स्वयं भी मारा गया। मुसलमानों ने उसे वहीं दबा दिया तथा उसे गाजी की पदवी दे दी। मुसलमानों में गाजी की पदवी सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है। यह पदवी उसे दी जाती है जिसने गैर-मुसलमानों का कत्लेआम किया हो। वहां पर मुसलमान हर वर्ष इकट्ठे होते हैं और त्योहार मनाते हैं। दुख और आश्चर्य की बात है कि हिन्दू उन हिन्दू वीरों को तो भूल गए जिन्होंने अपनी जानें देकर मसूद मियां को मारा तथा उसकी सेना को हराया था। उलटा इस मसूद मियां की कबर पर मन्नतें मांगने जाते हैं और टी.वी. चैनल इसे धार्मिक सद्भावना एवं धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता प्रमाण बताते हैं।

महाराष्ट्र के एक गांव में अलीशाह की मजार है। बृहस्पतिवार के दिन हिन्दू औरतें उसे पूजती हैं। अलीशाह कौन था? औरंगजेब के समय में अलीशाह नाम का एक मुसलमान था। वह बहुत अत्याचारी था। इलाके में उसका बहुत आंतक था। वह गांव-गांव में घूमता रहता था, जो सुन्दर हिन्दू लड़की देखता उसे अपनी वासना का शिकार बनाता था, जिस हिन्दू सेठ साहूकार से जो धन मांगता वह उसे देना पड़ता था। जब किसी हिन्दू युवक का विवाह होता था तब नई दुलहन को पहली रात अलीशाह के साथ बितानी पड़ती थी। जो कोई इस बात को न मानता उसके परिवार को वह समाप्त कर देता था। लगभग बीस गांवों के क्षेत्र में उसका प्रभाव था। हिन्दू

उसके सामने मजबूर थे। कई वर्ष तक ऐसा चलता रहा। फिर एक गांव में धनी परिवार के युवक जोरावर सिंह का विवाह हुआ। अलीशाह का सन्देश आ गया कि अपनी पत्नी को उसके पास भेज दो। जोरावर सिंह ने उत्तर भेज दिया कि उसकी पत्नी अपनी एक दासी के साथ उस रात उसके पास पहुंच जाएगी। जोरावर सिंह ने अपने एक मित्र उदय सिंह को साथ लिया। दोनों ने स्त्री का वेश धारण किया, हथियार साथ लिए और गाड़ी में बैठकर अलीशाह के यहां पहुंच गए। नशे में धुत्त अलीशाह तथा और बहुत से मुसलमान गाड़ी के पास आ गए। जोरावर सिंह और उदय सिंह ने अलीशाह तथा उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार गिराया। मुसलमानों ने अलीशाह को शहीद की उपाधि दी और उसकी मजार बना दी। हिन्दू जोरावर सिंह और उदय सिंह को तो भूल गए, अलीशाह की कबर को पूजने लगे। (स्वामी शिवानन्द–हिन्दुओं की लूट)

मूर्तिपूजा–अज्ञानता की पराकाष्ठा, हिन्दुओं के विनाश का कारण

वेद, शास्त्र, उपनिषद, मनुस्मृति आदि किसी भी वैदिक ग्रन्थ में मूर्तिपूजा का विधान नहीं है। ईश्वर निराकार है, उसकी कोई शकल सूरत नहीं है। इसलिए उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय, वेदों के प्रकांड पण्डित महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती, आदि शंकराचार्य आदि महापुरुषों ने मूर्तिपूजा का पुरजोर खण्डन और विरोध किया है।

यजुर्वेद (32,3) में लिखा है–'न तस्य प्रतिमा अस्ति' अर्थात उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। उसका कोई नाप तोल नहीं है। उसके कोई समान नहीं है।

यजुर्वेद (40,8) में लिखा है–ईश्वर सब जगह व्यापक है। उसका कोई शरीर नहीं है। उसके कोई नाक, मुंह, कान आदि नहीं हैं। उसके कोई नस, नाड़ी आदि नहीं हैं। वह पवित्र है। वह कोई पाप नहीं करता। वह ज्ञानी है। उसका कोई बनाने वाला नहीं है।

अगर ईश्वर की कोई शक्ल सूरत होती भी तो उसकी मूर्ति पर दूध और फल रखने से उसे क्या लाभ? पिता की मूर्ति बनाकर उस पर दूध डालो जो नाली में बह जाए और उस पर फल मिठाई चढ़ाओ जिसे पुजारी अपने घर ले जाए। पिता को उससे क्या लाभ? खाता पुजारी है और कहते हैं कि भगवान को अर्पण किया है। ऐसे झूठ से भला होने वाला है क्या?

संसार में बौद्ध काल से पूर्व किसी भी रूप में मूर्तिपूजा प्रचलित न थी।

मूर्तिपूजा के कारण मन्दिरों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि

चढ़ाया जाने लगा तो अरब देशों के मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उन्होंने हजारों मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ा और वहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात के रूप में अथाह धन लूटकर वे सैंकड़ों ऊंटों पर लादकर अपने देशों को ले गये। उन्होंने मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदें बना दीं, पुजारियों को गाजर मूली की तरह काटा, बड़ी संख्या में हिन्दुओं का कत्लेआम किया, उन्हें तलवार के जोर से मुसलमान बनाया, महिलाओं से बलात्कार किया, स्त्री-पुरुषों को बन्दी और दास बनाकर अरब देशों में ले जाकर भेड़ बकरियों की तरह बेचा। वहां उनसे नीच से नीच काम करवाए गए। अरब देशों से केवल कुछ हजार मुसलमान आए थे। अब उस समय के भारत—आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत में पचास करोड़ से अधिक मुसलमान हैं। यह सब मूर्तिपूजा की देन है।

हिन्दू प्राण-प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को एक चेतन सत्ता समझते हैं और उसमें रक्षा और सहायता करने का सामर्थ्य मानते हैं तथा यह भी मानते हैं कि मूर्ति अनर्थ भी कर सकती है। इस प्रकार हिन्दुओं के लिए मूर्तियों ने ईश्वर का स्थान ले लिया है जो हद दर्जे की अज्ञानता और मूर्खता है। मुस्लिम काल के एक हजार वर्षों की हमारी दुर्दशा और पराधीनता इस अन्धविश्वास का ही परिणाम है। ये मूर्तियां दूसरों की तो क्या अपनी रक्षा भी न कर सकीं, उन आक्रमणकारियों में से किसी एक की टांग भी न तोड़ सकीं। अच्छा होता हिन्दू मूर्तियों की सेवा करने की बजाए वीर नौजवानों को बढ़ावा देते जो उन आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा देते।

जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना और मानना भावना है। चूने के पानी को दूध समझकर उसे मथने से मक्खन नहीं निकल सकता। हमने विश्वास किया कि मूर्तियां शत्रु को मार भगाएंगी, पर यह झूठा विश्वास था जो विनाशकारी निकला। मूर्तिपूजा पूजक को अन्धविश्वासी, मूर्ख और कायर बना देती है। आयुभर मूर्तियों के सम्पर्क में रहने वाले पण्डे-पुजारियों को देखने से यह सिद्ध हो जाता है।

मूर्ति-दर्शन मूर्ति-दर्शन ही है, ईश्वर-दर्शन नहीं है। जो लोग मूर्ति के दर्शन करके समझते हैं कि परमात्मा के दर्शन कर लिए वे गहरे अन्धकार में हैं। ईश्वर दर्शन का भाव ईश्वर को ज्ञान चक्षुओं से जानने से है, आंखों से

देखने से नहीं। परमात्मा को बुद्धिबल और आत्मबल से ही जाना जा सकता है, आंखों से नहीं।

मनुष्य जिस वस्तु को देखता है उसके गुण तथा उसे बनाने वाले के सम्बन्ध में विचार आते हैं। मूर्ति को देखने से उसकी आकृति–आंखें, नाक, चेहरा, कपड़े, गहने आदि का ही विचार आएगा या उस मूर्ति को बनाने वाले का ध्यान आएगा, ईश्वर का नहीं। सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथ्वी, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि को देखकर उनके बनाने वाले ईश्वर का ध्यान आ सकता है।

भारतवर्ष में बीसों करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त का पेटभर खाना भी नहीं मिलता, जिनके पास तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, रहने का, शिक्षा का, चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। हिन्दू समाज इन जीवित मूर्तियों की तरफ से उदास रहकर असंख्य धन पत्थर की मूर्तियों पर और मन्दिरों की तीर्थ यात्राओं पर न्योछावर कर रहा है जिससे लाखों निठल्ले पण्डे-पुजारी और महन्त ऐश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हिन्दू जाति का जो धन मूर्तिपूजा के नाम पर लुटता है उस धन से देश में शिक्षा का प्रसार करके सारे देश की गरीबी, बेरोजगारी दूर की जा सकती है। चिकित्सालय खोलकर निर्धनों का मुफ्त इलाज किया जा सकता है।

मूर्तिपूजा के कारण ही बहुत से मन्दिरों में मूक पशुओं की बलि दी जाती है। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा भी इसी मूर्तिपूजा की देन है जिसमें हजारों छोटी-छोटी लड़कियों का मूर्तियों से विवाह करके उन्हें वेश्या बनने के लिए मन्दिरों में छोड़ दिया जाता है।

सीता के वियोग में श्री राम स्वयं अधीर हो गए थे। यादव लोग श्री कृष्ण के नित्य दर्शन करते रहने पर भी विनष्ट हो गए थे। तो फिर उनकी मूर्तियों के दर्शन, स्पर्शन अथवा पूजन से हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने में तो कोई हानी नहीं, परन्तु उन्हें जीवित पुरुषों की भान्ति पूजना या उनमें ईश्वर की भावना रखना अज्ञानता और पाखण्ड है। उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारना ही उनकी सच्ची पूजा है।

हिन्दू गंगा नदी की आरती उतारते हैं, उसमें दूध डालते हैं और उसमें

पैसे फेंकते हैं। परन्तु बाढ़ आने पर वही गंगा उनके गांवों को बहा ले जाती है। गंगा से नहरें निकालकर और बिजली पैदा करके उसका सदुपयोग किया जाये और लाभ उठाया जाये, वह गंगा की कृपा होगी।

आज के शिक्षित युवा वर्ग का ईश्वर और धर्म से उदासीन होने का कारण कल्पित ईश्वर और उसकी पूजा का विधि-विधान है।

आदि शंकराचार्य अपनी पुस्तक 'परा पूजा' में लिखते हैं–

1. तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृण्मये।
प्रतिमायां मनो येषां ते नरा मूढ़ चेतसः॥

अर्थ–तीर्थों में, पशुओं की बलि देने वाले यज्ञों में, तथा लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बनी मूर्तियों में जिनका मन लगा है वे मनुष्य मूढ़ मति हैं।

2. स्वगृहे पायसं त्यक्त्वा भिक्षामिच्छति दुर्मतिः।
शिलामृतदारू चित्रेषु देवता बुद्धिकल्पिता॥

अर्थ–अपने घर में रखी खीर को छोड़कर मूर्ख भीख की इच्छा करता है। पत्थर, मिट्टी और लकड़ियों के चित्रों को देवता मानता है।

3. पाषाणैरालये बद्धः देवः पाषाण एव च।
ब्रूहि पण्डित! देवस्तु कास्मिन् स्थाने स तिष्ठति॥

अर्थ–पत्थरों से बने भवन में बंधा बैठा यह देवता पत्थर ही है। अरे पण्डित! यह तो बता कि वह देवता रहता कहां है।

4. अधमा प्रतिमा पूजा....उत्तमा निगमा पूजा....।

अर्थ–मूर्तियों की पूजा नीच कर्म है।....वेद के अनुसार परमात्मा की उपासना ही उत्तम है।

कठोपनिषद् में परमात्मा के सम्बन्ध में लिखा है–

एष सर्वेषु भूतेषु गुढो ऽऽत्मा न प्रकाशते।
दृश्यते तु अग्रय्या बुद्धया सूक्षमया सूक्ष्मदर्शिभि॥

अर्थ–वह परमात्मा सब प्राणियों अप्राणियों में छुपा हुआ है। वह सामने नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसे जान लेते हैं।

श्री कृष्ण का पवित्र और महान जीवन-चरित

श्री कृष्ण महाभारत के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पात्र थे। महाभारत का युद्ध द्वापरयुग के अन्त में अब से लगभग 5200 वर्ष पूर्व हुआ। श्री कृष्ण के जीवनचरित का प्रामाणिक स्रोत महाभारत की पुस्तक ही है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण का जीवन बड़ा पवित्र और महान था। उन्होंने जन्म से मृत्यु तक कोई भी बुरा काम किया हो—ऐसा नहीं लिखा।

महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की एक पत्नी थी—रुक्मिणी। विवाह के बाद श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष तक हिमालय पर्वत पर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके पश्चात उनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न बड़ा होकर हू ब हू अपने पिता श्री कृष्ण जैसा ही दीखता था।

महाभारत में राधा नाम की किसी स्त्री का कोई जिकर नहीं है।

राजसूय यज्ञ (महाभारत के युद्ध के पहले की अवस्था है)—पाण्डवों के राज्य का तेज सभी जगह पहुंच चुका था। प्रजा सुखी थी। सभी राजे-महाराजे उनका सिक्का मानते थे। तब युधिष्ठिर ने महाराजाधिराज (चक्रवर्ती सम्राट) की उपाधि पाने के लिए राजसूय यज्ञ की ठानी। इसके सम्बन्ध में उसने अपने मन्त्रियों और भाइयों को बुलाकर पूछा—क्या मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूं? सबने जवाब दिया—हां, अवश्य कर सकते हैं, आप इसके योग्य पात्र हैं। व्यास आदि ऋषियों से यही प्रश्न किया। उन सबने भी हां में ही उत्तर दिया। परन्तु युधिष्ठिर को श्री कृष्ण से सम्मति लिए बिना तसल्ली न हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा—हे कृष्ण! कोई तो मित्रता के कारण मेरे दोष नहीं बताता, कोई स्वार्थवश मीठी-मीठी बातें करता है। पृथ्वी पर ऐसे लोग ही अधिक हैं। उनकी सम्मति से कोई काम नहीं किया जा सकता। आप इन

दोषों से रहित हैं। इसलिए आप ही मुझे ठीक-ठीक सलाह दें। तब श्री कृष्ण बोले—महान पराक्रमी जरासन्ध के जीते जी आपका राजसूय यज्ञ पूरा न होगा। उसको हराने के बाद ही यह महान कार्य सफल हो सकेगा।

जरासन्ध वध—जरासन्ध बड़े विशाल और वैभवशाली राज्य मगध का राजा था। वह बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने यहां 86 राजाओं को बन्दी बना रखा था और यह ऐलान कर रखा था कि जब इनकी संख्या 100 हो जाएगी वह इन सबकी बलि चढ़ा देगा। यह अत्याचार श्री कृष्ण को सहन नहीं था। इसी कारण से वे उसे समाप्त करना चाहते थे। जरासन्ध का जन, धन, बल इतना अधिक था कि रणक्षेत्र में उसे हराना असम्भव था। श्री कृष्ण ने नीति से जरासन्ध का भीम से युद्ध करवा दिया जिसमें जरासन्ध मारा गया। तब श्री कृष्ण ने सभी बन्दी राजाओं को मुक्त कर दिया और जरासन्ध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया।

प्रथम अर्घ्य (पहला सम्मान)—राजसूय यज्ञ आरम्भ होने पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि उपस्थित राजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ है उसे ही प्रथम अर्घ्य देना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीष्म से ही पूछ लिया कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो पहले अर्घ्य पाने का पात्र है। इस पर भीष्म ने कहा—जैसे चमकने वाले सभी तारों में सूर्य सबसे अधिक प्रकाशमान है वैसे ही इन सब राजाओं में श्री कृष्ण तेज, बल, पराक्रम में सबसे अधिक हैं। इसलिए वे ही प्रथम अर्घ्य पाने के योग्य हैं। तब युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहदेव ने श्री कृष्ण को प्रथम अर्घ्य दिया।

सन्धि का प्रस्ताव—पाण्डवों ने 12 वर्ष वन में बिताने के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताया। फिर कौरवों से अपना राज्य मांगा। जब कौरवों ने राज्य देने से इनकार कर दिया तब पाण्डवों ने युद्ध का निश्चय कर लिया। अन्तिम कोशिश के तौर पर श्री कृष्ण कौरवों के पास जाने को तैयार हुए। सबने उनको रोका कि कौरव मानने वाले नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कार्य सिद्धि के दो आधार होते हैं—एक मनुष्य का पुरुषार्थ, दूसरा ईश्वर इच्छा। मैं पुरुषार्थ तो कर सकता हूं, ईश्वर इच्छा मेरे अधीन नहीं है। इसलिए फल मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि मुझे शक्तिभर प्रयास कर लेना चाहिए।

हस्तनापुर पहुंचने पर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण से कहा कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। अतः आप सन्धि का प्रयत्न छोड़ दें। तब श्री कृष्ण ने कहा–सारी पृथ्वी खून से लथपथ होती देख रहा नहीं जाता। और यह भी कहा–आपत्ति में पड़े अपने व्यक्ति को बालों से पकड़कर भी खींचने का यत्न करे फिर मनुष्य निन्दा का पात्र नहीं होता।

श्री कृष्ण ने सन्धि के लिए दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कर्ण से बात की, उन्हें समझाने का प्रयास किया। परन्तु सफलता न मिली। इस दौरान दुर्योधन ने उन्हें अपने यहां भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण बोले–राजन्! किसी के घर का अन्न दो कारणों से खाया जाता है–या तो प्रेम के कारण या आपत्ति पड़ने पर। प्रीति तो तुम में नहीं है और संकट में हम नहीं हैं।

यजुर्वेद का मन्त्र है–

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह।
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना॥

इस वेद मन्त्र में बताया गया है कि सुखी और उन्नत जीवन के लिए दो गुणों की आवश्यकता है–एक विद्वता और दूसरा बल। श्री कृष्ण में ये दोनों गुण विद्यमान थे। उनकी बुद्धिमता और नीति के कारण ही कम शक्ति के होते हुए भी महाभारत के युद्ध में पाण्डवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की और शक्तिशाली, अत्याचारी राजा जरासन्ध को मार गिराया। श्री कृष्ण ने शारीरिक बल के सहारे ही अत्याचारी राजा कंस को यमलोक पहुंचा दिया और घमण्डी शिशुपाल का वध कर दिया।

गीता में श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा ऐसे की है–योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात कार्य को कुशलतापूर्वक करना योग है। इस दृष्टि से श्री कृष्ण पूर्ण योगी थे क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए उनमें अपनी बुद्धि बल और नीति से सफलता प्राप्त की।

महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण के बीच लड़ाई हो रही थी तब कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया और वह उसे निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा। तब कर्ण ने अर्जुन को लड़ाई के धर्म की दुहाई दी और वह चिल्लाया कि निहत्थे पर वार करना धर्म नहीं है। इस पर श्री कृष्ण बोले–अरे कर्ण! अब धर्म-धर्म चिल्लाता है। परन्तु–

1. जिस समय तुम, दुशासन, शकुनि और सौबल सब मिलकर ऋतुमती द्रौपदी को घसीट लाए थे, उस समय तुम्हें धर्म की याद न आई।

2. जब तुम बहुत से महार्थियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेरकर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था।

3. जब 13 वर्ष के बनवास के बाद पाण्डवों ने अपना राज्य मांगा और तुमने नहीं दिया, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था।

4. जब तुम्हारी सम्मति से दुर्योधन ने भीम को विष खिलाकर नदी में डाल दिया था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था।

5. जब वारणावत नगर में लाख के घर में तुमने सोते हुए पाण्डवों को जलाने का प्रयत्न किया था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था।

कर्ण को इतना कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस प्रकार दलदल में फंसे कर्ण का वध करना पुण्य है, पाप नहीं। दूसरे ही क्षण कर्ण अर्जुन के वाण से जख्मी होकर गिर गया। यह थी श्री कृष्ण की नीतिमत्ता।

श्री कृष्ण को पाण्डवों द्वारा कौरवों के साथ जुआ खेलना, जूए में सब कुछ हार जाना और वन में चले जाना—इन सब बातों का पता तब चला जब पाण्डव वन में रह रहे थे। श्री कृष्ण वन में पाण्डवों से मिलने गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि यदि मैं द्वारिका में होता तो हस्तनापुर अवश्य आता और जूए के बहुत से दोष बताकर जुआ न होने देता। ऐसा था श्री कृष्ण का नैतिक बल और आत्मविश्वास। दूसरी ओर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र आदि बड़े लोग जुआ और जूए से जुड़े अन्य दुष्कर्म अपनी आंखों के सामने देखते रहे, पर उनमें से किसी में भी उसे रोकने का साहस न हुआ।

सनातन धर्म और आर्य समाज

अथर्ववेद में 'सनातन' शब्द का अर्थ किया गया है–

सनातनमेनमाहुरताद्य स्यात् पुनर्णवः।
अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः॥

(अथर्ववेद 10-8-23)

अर्थ–सनातन उसको कहते हैं जो कभी पुराना न हो, सदा नया रहे, जैसे दिन-रात का चक्र सदा नया रहता है।

वेद–सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर द्वारा दिया वो ज्ञान है जिसकी मनुष्य को संसार में रहते हुए आवश्यकता है और जिसको जान करके मनुष्य सुख पूर्वक रह सकता है। 'वेद' शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। वेद ज्ञान दो अरब वर्ष पहले जितना सत्य और व्यवहारिक था आज भी उतना ही सत्य और व्यवहारिक है। अतः वेद सनातन हैं और वेद का ज्ञान भी सनातन है।

सनातन धर्म वेद को धर्म का आधार मानता है और आर्य समाज भी वेद को धर्म का आधार मानता है। वेदों के अतिरिक्त दूसरे ग्रन्थों में जो-जो बातें वेद अनुकूल हैं आर्य समाज उन्हें स्वीकार करता है और जो-जो बातें वेद विरुद्ध हैं आर्य समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। सनातन धर्म ने बहुत सी बातें वेद विरुद्ध भी स्वीकार कर ली हैं। यही अन्तर है सनातन धर्म और आर्य समाज में। वेद विरुद्ध बातों को स्वीकार करना और उन्हें व्यवहार में अपनाना ही आर्य (हिन्दू) जाति के पतन का कारण बना है।

1. ईश्वर का स्वरूप–वेदों में अनेक स्थानों पर ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है–

ओ३म् खं ब्रह्म। (यजुर्वेद 40, 17)

अर्थ–आकाश के समान व्यापक, सबसे बड़ा, सब जगत का रक्षक

ओ३म् है।

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्।

(यजुर्वेद 40, 1)

अर्थ—इस गतिशील संसार में जो कुछ भी है उस सब में ईश्वर का वास है।

स पर्यगात् शुक्रम् अकायम् अव्रणम्। (यजुर्वेद 40, 8)

अर्थ—वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वह शीघ्रकारी है। उसका कोई शरीर नहीं है। वह छिद्र रहित है।

न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महद्यशः। (यजुर्वेद 32, 3)

अर्थ—उस परमात्मा की कोई आकृति या मूर्ति नहीं है। उसे नापा या तोला नहीं जा सकता। उस परमात्मा का नाम स्मरण अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना अर्थात धर्म युक्त कामों का करना बहुत कीर्ति देने वाला है।

वेद ईश्वर द्वारा दिया मनुष्यों के लिए विधान है। वेद के अनुसार चलना ही ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। वेद के विरुद्ध चलना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है।

आर्य समाज वेद में वर्णित ईश्वर के इस स्वरूप को ही स्वीकार करता है।

2. मूर्तिपूजा—आर्य समाज मूर्तिपूजा को ईश्वर की पूजा नहीं मानता। मूर्तिदर्शन मूर्तिदर्शन है, ईश्वर दर्शन नहीं है। संसार में बौद्ध काल से पहले किसी भी रूप में मूर्तिपूजा प्रचलित न थी।

वेद, शास्त्र, उपनिषद्, मनुस्मृति आदि किसी भी वैदिक ग्रन्थ में मूर्तिपूजा का विधान नहीं है। आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, कबीर, दादू, समर्थ गुरु रामदास, राजा राममोहन राय, महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि महापुरुषों ने मूर्तिपूजा का पुरजोर खण्डन और विरोध किया है।

मूर्तिपूजा सबसे बड़ी अज्ञानता है। यह व्यर्थ ही नहीं अपितु हिन्दुओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। मूर्तिपूजा के सहारे हिन्दू कायर, कमजोर, निरुत्साही और अपुरुषार्थी हुए हैं। मुसलमानों ने हजारों मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ा है और वहां से अथाह धन लूटा है। किसी मूर्ति ने किसी हमलावर का सिर तक न फोड़ा।

और भी, मूर्तिपूजा से सन्तुष्ट होकर हिन्दुओं ने ईश्वर के वास्तविक

स्वरूप को जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। सर्वव्यापक होने से ईश्वर हमारे सब कामों को देखता है और जानता है। उनके अनुसार वह हमें सुख और दुख के रूप में फल देता है। वह पूर्ण न्यायकारी है। उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। यह बात जानकर बुरे कामों से बचा जाए ताकि उनके परिणामस्वरूप दुख न भोगना पड़े। साथ ही ईश्वर के न्यायकारी, सत्यकर्त्ता, ज्ञानवान, पवित्र, दयालु आदि गुणों को याद करके उन्हें अपनाया जाए ताकि सुख मिले। यही ईश्वर का नाम स्मरण है।

निराकार होने से ईश्वर आंख का विषय नहीं है। वह मन का विषय है।

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चैनम्।
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेव विदुरमृतास्ते भवन्ति॥

(श्वेताश्वतर उपनिषद् 4-20)

अर्थ—परमात्मा का कोई रूप नहीं जिसे आंख से देखा जा सके। उसे कोई भी आंख से नहीं देखता। वह हृदय में स्थित है। जो उसे हृदय से तथा मन से जान लेते हैं वे आनन्द को प्राप्त करते हैं।

3. धर्म क्या है—महाभारत में विदुरनीति के अन्तर्गत श्लोक है—

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति।
न तत् सत्यं यत् छलेनाभ्युपेतम्॥ (विदुरनीति 3-58)

अर्थ—वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है। वह सत्य नहीं है जिसमें छल है। इस प्रकार—

सत्य यह धर्म, असत्य यह अधर्म।
न्याय यह धर्म, अन्याय यह अधर्म।
निष्पक्ष यह धर्म, पक्षपात यह अधर्म।
न लिंगम् धर्मकारणम्। (मनुस्मृति)

अर्थ—बाहरी चिन्ह किसी को धर्मात्मा नहीं बनाते।

काला-पीला चोगा पहनना, दाढ़ी मूंछ या सिर के बाल बढ़ाना, कण्ठी-माला धारण करना, हाथ में चिमटा रखना, तिलक लगाना आदि बातों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आचारः परमो धर्मः। (मनुस्मृति 1-108)

अर्थ—शुभ गुणों के आचरण का नाम ही धर्म है। मन-वचन-कर्म से

सत्य का आचरण, पक्षपात रहित न्याय, परोपकार, सदाचार आदि का नाम धर्म है। संसार के सभी मनुष्यों का यही धर्म है जिसे वेद में मानव धर्म कहा गया है।

ईसाई, पारसी, यहूदी, इस्लाम आदि धर्म नहीं हैं। ये पंथ (मजहब, सम्प्रदाय, religion) हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा चलाए लोगों के समूह हैं। इन सम्प्रदायों के कारण ही संसार में अशान्ति और शत्रुता है। ईश्वर ने ये पंथ नहीं बनाए, सिर्फ इंसान बनाए हैं। इसलिए सही अर्थों में इंसान ही बनना चाहिए।

4. श्राद्ध—जीवित माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी आदि की खान-पान, वस्त्र, निवास, सद्व्यवहार से सेवा करने को ही आर्य समाज श्राद्ध मानता है। जो मर गए हैं उनके प्रति ये बातें लागू नहीं होतीं। मरने के बाद अगले जन्म में वे जहां चले गए हैं ईश्वर उनकी वहीं पर व्यवस्था करता है। अगर वे मनुष्य की योनि में गए हैं तो माता के स्तनों में वह दूध पहले ही पैदा कर देता है।

5. जातपात—देश में प्रचलित जातपात को आर्य समाज स्वीकार नहीं करता। वेदों में ऐसी जातपात का कोई विधान नहीं है। वेद तो कहता है—

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय।

(ऋग्वेद 5-60-5)

अर्थ—हम में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब आपस में भाई-भाई हैं। हम सबको मिल करके समृद्धि के लिए काम करना चाहिए।

महर्षि मनु ने समाज की सभी समस्याओं को तीन भागों में बांटा था—अज्ञान, अन्याय और अभाव। जो लोग शिक्षा द्वारा अज्ञान को दूर करते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो लोग समाज को सुरक्षा प्रदान करके अन्याय से बचाते थे वे क्षत्रिय कहलाए और जो लोग समाज की रोटी, कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकताएं पूरी करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। शेष रहे लोग ऊपर बताए तीनों प्रकार के लोगों की सहायता करते थे, वे शूद्र कहलाए। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर न थी, अपितु व्यक्ति की बौद्धिक और शारीरिक योग्यता के आधार पर थी। आर्य समाज इसी व्यवस्था को स्वीकार करता है जैसे आजकल अध्यापक हैं, पुलिस और सेना है, किसान और व्यापारी हैं। ये जन्म के आधार पर नहीं हैं अपितु व्यक्ति की योग्यता के अनुसार हैं।

6. अवतारवाद—सनातन धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि कोई विशेष काम करने के लिए ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसे वे ईश्वर का अवतार मानते हैं। आर्य समाज ऐसा नहीं मानता।

ईश्वर पहले ही सब जगह विद्यमान है। इसलिए उसके आने जाने की बात सार्थक नहीं है। ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि वह सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी आदि सारे ब्रह्माण्ड को बनाता है तो क्या किसी आदमी को मारने आदि छोटे काम उसके लिए मुश्किल हैं? नहीं। इसलिए उसके मनुष्य रूप में आने की कल्पना सर्वथा व्यर्थ है, ईश्वर का अपमान है। वह तो सब मनुष्यों के अन्दर पहले ही विद्यमान है। ईश्वर न जन्म लेता है, न मरता है, वह सदा एक सा सब जगह रहता है।

महाभारत में श्री कृष्ण जी कहते हैं—

अहं हि तत् करिष्यामि परमपुरुषकारतः।
दैवं तु न मया शक्यं कर्म कर्त्तुं कथंचन॥

अर्थ—मैं एक श्रेष्ठ पुरुष की भान्ति अपनी मेहनत से तो काम करूंगा, परन्तु ईश्वर के विधान में दखल देना मेरे सामर्थ्य से बाहर है।

सीता हरण के बाद श्री रामचन्द्र जी लक्ष्मण से कहते हैं—

न मद्विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायाम्।
शोकेन शोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन् हृदयं मनश्च॥

(वाल्मीकि रामायण—अरण्य काण्ड)

अर्थ—मैं समझता हूं कि इस भूमि पर मेरे समान दुष्कर्म करने वाला और कोई नहीं है क्योंकि शोक पर शोक मेरे हृदय और मन को भेदने को प्राप्त हो रहे हैं।

7. योगेश्वर श्री कृष्ण जी का पवित्र जीवन-चरित्र—महाभारत में श्री कृष्ण जी का जीवन बड़ा पवित्र बताया गया है। उन्होंने जन्म से मृत्यु तक कोई भी बुरा काम किया हो—ऐसा नहीं लिखा। वे एक पत्नीव्रती थे। उनकी पत्नी थी रुकमणी। वे सुदर्शन चक्रधारी, योगेश्वर, नीतिनिपुण, युद्ध में पाण्डवों को विजय दिलाने वाले, कंस, जरासंध आदि दुष्ट पापाचारी राजाओं का वध करने वाले थे।

परन्तु भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त्त पुराण में श्री कृष्ण जी पर

दूध-दही-मक्खन की चोरी, कुब्जा दासी से सम्भोग, परस्त्रियों से रासलीला क्रीड़ा आदि झूठे दोष लगाए हैं। गोपालसहस्रनाम में श्री कृष्ण जी को चौरजारशिखामणि तक का खिताब दिया गया है जिसका अर्थ है चोरों और जारों का सरदार। ऐसी बातों को पढ़-पढ़ा और सुन-सुना कर दूसरे मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत-सी निन्दा करते हैं और हिन्दुओं का मजाक उड़ाते हैं।

महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण जी का स्वरूप ही उनका वास्तविक स्वरूप है। भागवत आदि पुराण महर्षि वेदव्यास के बनाए हुए नहीं है। ये बहुत बाद में बनाए गए ग्रन्थ हैं जिनमें स्वार्थी लोगों ने श्री कृष्ण जी पर ऐसे झूठे लांछन लगाए हैं। आर्य समाज श्री कृष्ण जी के उसी रूप को स्वीकार करता है जो महाभारत में बताया गया है।

8. गंगा नदी का महत्त्व—गंगा एक बड़ी नदी है जो भारतवर्ष के बहुत से भू-भाग में से होकर गुजरती है। देश की बहुत-सी खेती-बाड़ी तथा अन्य जरूरतें गंगा के पानी पर निर्भर हैं। इसलिए देश के लिए गंगा का बड़ा महत्त्व है। ऐसा मान लेना कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं निरी अज्ञानता है। पाप या पुण्य का फल तो भोगे बिना नहीं मिटता। यही न्यायकारी प्रभु का अटल विधान है।

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति॥

(मनुस्मृति 5-3)

अर्थ—जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य के आचरण से शुद्ध होता है। विद्या से और तप से (सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी धर्म का आचरण करने से) जीवात्मा पवित्र होता है और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है।

आर्य समाज की यही मान्याता है।

9. सुख-दुख का कारण—कोई भी परेशानी आ पड़ने पर सनातनधर्मी लोग ग्रहों को उसका कारण मानते हैं। फिर ग्रहों को शान्त करने के लिए तथा मुसीबत से निकलने का उपाय ढूंढ़ने के लिए तथाकथित पण्डितों के पास जाते हैं। ऐसे पण्डित लोग इधर-उधर की बातें करके उन्हें चक्रों में डालते हैं और वे झूठे आश्वासन देकर उनसे धन ऐंठते हैं।

आर्य समाज मानता है कि सुख-दुख मनुष्य के अपने अच्छे और बुरे कामों का फल हैं। यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है—जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया सो काटा। कोई पण्डित, पाधा, ज्योतिषी इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ग्रह जड़ हैं जैसे हमारी पृथ्वी है। वे ज्ञानहीन हैं, बुद्धिहीन हैं। वे किसी से प्रेम या द्वेष नहीं कर सकते। ग्रहों का प्रभाव सबके ऊपर एक सा रहता है जैसे सूर्य का प्रकाश और गर्मी सबके लिए है।

10. व्रत—सनातनधर्मी लोग किसी विशेष दिन कम खाना, बदलकर खाना, कुसमय खाना या न खाने को व्रत मानते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में वेद तो कुछ और ही कहता है जिसे आर्य समाज मानता है।

ओ३म् अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्।
इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि॥ (यजुर्वेद, 1-5)

अर्थ—हे सत्य धर्म के उपदेशक, व्रतों के पालक प्रभु! मैं असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करने का व्रत लेता हूं। आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मेरा यह व्रत सिद्ध हो अर्थात मैं अपने व्रत पर पूरा उतरूं।

11. दान—सुपात्र को दान देना एक शुभ कर्म है, परन्तु कुपात्र को देना पाप है।

सुपात्र कौन—गरीब, रोगी, अंगहीन, अनाथ, कोढ़ी, विधवा या कोई भी जरूरतमन्द, विद्या और कला कौशल की वृद्धि के लिए, गोशाला, अनाथालय, हस्पताल आदि दान के सुपात्र हैं।

न पापत्वाय रासीय। (अथर्ववेद)

अर्थ—मैं पाप के लिए कभी दान न दूं।

धनिने धनं मा प्रयच्छ। दरिद्रान्भर कौन्तेय। (महाभारत)

अर्थ—हे युधिष्ठर! धनवानों को धन मत दो, गरीबों की पालना करो।

भरे पेट को रोटी देना उतना ही गलत है जितना स्वस्थ को औषधि। रोटी भूखे के लिए है और औषधि रोगी के लिए है। समुद्र में हुई वर्षा व्यर्थ है।

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते।
वार्यन्नगौमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम्।
(मनुस्मृति 4-233)

अर्थ–संसार में जितने दान हैं अर्थात जल, अन्न, गौ, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घी आदि इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है।

12. आर्य और हिन्दू शब्द–वेद, शास्त्र, मनुस्मृति, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता आदि सभी प्राचीन ग्रन्थों में आर्य शब्द ही मिलता है, हिन्दू नहीं। संस्कृत के कोष 'शब्दकल्पद्रुम' में आर्य शब्द के अर्थ–पूज्य, श्रेष्ठ, धार्मिक, उदार, न्यायकारी, मेहनत करने वाला आदि किये हैं।

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। (ऋग्वेद 9–63–5)

अर्थ–सारे संसार को आर्य (श्रेष्ठ) बनाओ।

अनार्य इति मामार्याः पुत्र विक्रायकं ध्रुवम्।

(वाल्मीकि रामायण–अयोध्या काण्ड)

अर्थ–(राजा दशरथ राम को वन में भेजना न चाहते थे) वे कहते हैं–आर्य लोग (सज्जन) मुझ पुत्र बेचने वाले को निश्चय ही अनार्य (दुष्ट) बताएंगे।

हिन्दू शब्द मुसलमानों ने घृणा के रूप में हमें दिया है। यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के शब्दकोश में 'हिन्दू' का अर्थ है–चोर, डाकू, गुलाम, काफिर, काला आदि। मुसलमान आक्रमणकारी जब भारत में आए उन्होंने यहां के लोगों को लूटा, मारा तथा पकड़ कर गुलाम बनाकर अपने साथ अपने देश में ले गए। वहां ले जाकर उनसे अनाज पिसवाया, घास खुदवाया, मल-मूत्र आदि उठवाया तथा बाजारों में बेचा। तब उन्होंने यहां के लोगों को 'हिन्दू' नाम दिया।

आठवीं सदी से पहले यानि कि मुसलमानों के आने से पहले भारतवर्ष में हिन्दू शब्द का प्रचलन न था, सब जगह आर्य और आर्यावर्त्त शब्द ही प्रसिद्ध थे। चीनी यात्री ह्यूनसांग भारत में सातवीं सदी में (सन् 631 से 645 तक) आया था। वह इस देश का नाम आर्य देश लिखता है।

सन् 1870 में काशी में टेढ़ा नीम नामक स्थान पर काशी के राजा के अधीन एक धर्मसभा हुई। सभा में विश्वनाथ शर्मा, बाबा शास्त्री आदि 45 विद्वानों ने विचार विमर्श के बाद यह व्यवस्था दी थी कि 'हिन्दू' नाम हमारा नहीं है, यह मुसलमानों की भाषा का है और इसका अर्थ है अधर्मी। अतः इसे कोई स्वीकार न करे।

हिन्दू-शब्दो हि यवनेषु अधर्मीजन बोधकः।
अतो नाहर्ति तत् शब्द बोध्यतां सकलो जनः॥

13. हम आर्य, जो आजकल हिन्दू नाम से जाने जाते हैं, ही भारतवर्ष के मूल निवासी हैं—संसार में सबसे पुराने कोई ग्रन्थ हैं तो वे हैं आर्यों के ग्रन्थ—वेद। संसार में सबसे पुराना कोई साहित्य है तो वह है आर्यों का संस्कृत भाषा में साहित्य। संस्कृत के किसी ग्रन्थ में ऐसा नहीं लिखा है कि आर्य भारतवर्ष में कहीं बाहर से आए थे। इस देश का नाम पहले आर्यावर्त्त था ऐसा बहुत से ग्रन्थों में लिखा मिलता है। आर्यावर्त्त से पहले इस देश का क्या नाम था कहीं भी नहीं लिखा मिलता। अतः निश्चित है कि आर्यों से पहले इस देश में कोई और न था और न ही इस देश का कोई और नाम था। इसलिए यह बात कि 'आर्य' इस देश में कहीं बाहर से आकर बसे थे' सत्य नहीं है।

आर्यों (हिन्दुओं) में फूट डालने के लिए द्रविड़ों को आर्यों से भिन्न बताया गया था। जबकि वास्तविकता यह है कि द्रविड़ शब्द आर्य ब्राह्मणों के दस कुलों में से पांच कुलों में होता है जिसमें आदि शंकराचार्य जैसे ब्राह्मण पैदा हुए।

पीछे रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी। उसमें भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भी भाग लिया था। उस प्रतिनिधि मण्डल में इतिहासविद, भाषा वैज्ञानिक तथा पुरातत्त्ववेत्ता थे। उन्होंने गोष्ठी में भाग लेते हुए आर्यों (हिन्दुओं) के ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि से आकर भारत में बस जाने की बात का एकमत होकर खण्डन किया था और उनके इस मत को गोष्ठी में उपस्थित सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बहुत सराहा था। यह समाचार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 31 अक्तूबर, 1977 के अंक में छपा था।

ईरान के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता रहा है "आर्यों का एक समूह ईरान की ओर आया और यहीं बस गया। इसलिए अपने नाम पर उन्होंने इस देश का नाम ईरान रखा। हम उन आर्यों की सन्तान हैं।"

डेविड फ्रौले (David Frauley) ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 'दी मिथ ऑफ दी आर्यन इनवेजन ऑफ इण्डिया'। वह लिखता है कि

आर्यों के भारतवर्ष में कहीं बाहर से आने की बात तथा यहां के लोगों पर हमले की बात दोनों ही निराधार हैं। वह लिखता है कि भारत में आर्यों तथा अन्यों में धर्म और संस्कृति के आधार पर कोई भी भेद नहीं है। आर्य भारतवर्ष के ही मूल निवासी हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती का मत है कि आर्य इसी देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में महाभारत काल से लेकर मुसलमानों का शासन आरम्भ होने तक यानि कि अब से पांच हजार वर्ष पूर्व से लेकर आठ सौ वर्ष पूर्व तक दिल्ली पर शासन करने वाले सभी आर्य राजाओं के नाम तथा उनके शासन काल दिए हैं। इनमें महाराज युधिष्ठिर से लेकर महाराजा यशपाल तक एक सौ चौबीस राजे हुए जिन्होंने कुल चार हजार एक सौ सत्तावन वर्ष, नौ महीने, चौदह दिन राज्य किया। महाराजा युधिष्ठिर से पहले के सभी राजाओं के नाम महाभारत में लिखे हैं। इस बात से पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है कि आर्य ही सदा से इस भूमि पर रह रहे हैं।

14. तुलसी—एक औषधीय पौधा है। जैसे अदरक, हल्दी, सौंफ, जीरा, लहसुन आदि शरीर के लिए हितकारी हैं ऐसे ही तुलसी भी शरीर से बहुत से रोग दूर करती है।

15. तप—कष्ट उठाकर भी सत्य और पक्षपात रहित न्याय का आचरण, परोपकार आदि शुभ कर्म करने का नाम तप है। धूनी लगाके सेंकने का नाम तप नहीं है।

16. तीर्थ—'जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि' अर्थात जिन करके मनुष्य दुखों से तरें उनका नाम तीर्थ है। वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, योगाभ्यास, परोपकार, सत्य का आचरण, ज्ञान-विज्ञान आदि शुभ गुण दुखों से तारने वाले हैं, अतः ये तीर्थ हैं।

17. भाग्य क्या है—अपने ही किए हुए अच्छे-बुरे कर्म, जिनका फल हमें पहले नहीं मिला, अब मिल रहा है भाग्य कहलाता है।

18. फूल तोड़ना पाप है—ईश्वर ने फूल सुगन्धी और सुन्दरता के लिए दिए हैं। डाली से तोड़ने के थोड़ी देर बाद वे सुन्दरता और सुगन्ध दोनों खो बैठते हैं। पानी में पड़कर सड़कर वे दुर्गन्ध देते हैं जो प्राणियों के लिए

अहितकर है। इस प्रकार सुगन्ध को दुर्गन्ध में बदल देना पाप कर्म है। डाली पर रहते हुए फूल सूखने पर भी कभी दुर्गन्ध नहीं देता।

19. जगराता धार्मिक कर्म नहीं है, अधार्मिक कर्म है—जगराता न धर्म का काम है और न ही पुण्य का काम है। जगराता में ऊंची आवाज में लाऊडस्पीकर लगाकर सैंकड़ों/हजारों लोगों को परेशान किया जाता है, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुकावट पड़ती है, रोगियों का चैन छिनता है, सोने वाले सो नहीं सकते। शोर प्रदूषण (Noise Pollution) बहुत बढ़ जाता है जो कानों के लिए तथा दिमाग के लिए हानिकर है।

ईश्वर को तो कुछ भी सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है। वह तो आपके मन की बात भी जानता है। दूसरे लोगों को जबरदस्ती सुनाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। सब लोगों की अपनी-अपनी मानयताएं हैं। बहुत से लोग आपके जगराते को देखना या सुनना नहीं चाहते। आप उनकी आजादी छीन रहे हैं। जो लोग आपके जगराते में आएं और आपके पंडाल में बैठकर सुनना चाहें आप उन्हें सुना सकते हैं। पर आपके लाऊडस्पीकर की आवाज उस शामियाने के बाहर नहीं जानी चाहिए।

जगराते में जो तारा देवी की कहानी सुनाई जाती है वह पूरी तरह से झूठी, असम्भव, अत्यन्त भयंकर तथा गुमराह करने वाली है। तारा देवी के कहने पर उसके पति महाराजा हरिश्चन्द्र ने अपने प्रिय नीले घोड़े का सिर काट दिया, फिर अपने पुत्र का सिर काट दिया, फिर घोड़ा और पुत्र—दोनों के शरीरों के टुकड़े-टुकड़े करके एक बरतन में डालकर आग पर रखकर उनको पकाया। पक जाने पर तारा ने उस बरतन को उठाकर माता महाकाली को भोग लगाया और राजा को उसमें से प्रसाद के तौर पर दिया। फिर मां (महाकाली) ने उस घोड़े को तथा बेटे को जीवित कर दिया। ऐसी बेतुकी और बेहूदा कहानी सुन-सुनाकर जगराते वाले पता नहीं क्या सन्देश देना चाहते हैं। ऐसी कहानियों के प्रभाव में आकर तथा तान्त्रिकों के कहने पर लोग अपने और दूसरों के बच्चों को मारने का अपराध कर बैठते हैं।

जगराता करने वाले लोग आमतौर पर शराबी-कबाबी होते हैं। इस प्रकार जगराते से सम्बन्धित हर बात अधर्म तथा पाप कर्म है।

भारतवर्ष के उत्थान में महर्षि दयानन्द का योगदान

1. जब महर्षि दयानन्द आए तब हिन्दू जाति मृत प्रायः हो चुकी थी जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ही न हो। मुसलमानों और ईसाइयों के तर्कों का वे उत्तर न दे पाते थे। वे धड़ाधड़ मुसलमान और ईसाई बनते जा रहे थे। महर्षि दयानन्द ने हिन्दुओं के साथ-साथ इस्लाम और ईसाइयत की कमजोरियों का पर्दाफास किया। हिन्दुओं को उनके वास्तविक वैदिक धर्म से परिचित कराया। हिन्दुओं में आत्म-गौरव और आत्म-सम्मान भरा। हिन्दू मुसलमान और ईसाई बनने बन्द हुए। उल्टा मुसलमान और ईसाई बने हिन्दुओं को वापिस वैदिक धर्म में आने के लिए प्रेरित किया गया। हिन्दुओं को घटाओ की बजाए बढ़ाओ की प्रेरणा दी। जो बाद में स्वामी श्रद्धानन्द के शुद्धि अन्दोलन के रूप में सामने आया।

भारत के गवर्नर जनरल रहे श्री सी. राजगोपालाचार्य ने कहा था–

"Dayanand came when there was chronic danger of Islam on one side and of Christianity on the other. He saved Hinduism from all dangers fighting against them boldly"

अर्थ–दयानन्द ऐसे समय में आए जब एक तरफ इस्लाम का और दूसरी तरफ ईसाइयत का बड़ा खतरा था। उन्होंने उनसे बहादुरी से लड़कर हिन्दुओं को सब खतरों से बचाया।

2. वेद–महर्षि दयानन्द जब आए तब वेद लुप्त प्रायः हो चुके थे। पण्डित लोग कहते थे कि वेदों को तो शंखासुर ले गया है। महर्षि दयानन्द ने उन्हें पुनः उपस्थित किया। उबट, सायण, महीधर आदि आचार्यों ने वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया था। उन्हें देखकर जर्मनी के संस्कृत के विद्वान

मैक्समूलर ने सन् 1870 में वेदों को गडरियों के गीत, बच्चों की बिलबिलाहट, जादू टोने आदि की पुस्तकें बताया था। महर्षि दयानन्द ने वेदों का यथार्थ भाष्य किया और उन्हें सब सत्य विद्यायों की पुस्तक बताया। महर्षि दयानन्द ने बताया कि वेद ईश्वर का दिया ज्ञान है जो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा–इन चार ऋषियों के मनों में ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में दिया। यह सभी मनुष्यों के लिए मानवता का ज्ञान और विधान है।

महर्षि का वेद भाष्य पढ़ने के बाद सन् 1882 में मैक्समूलर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैण्ड में ICS के विद्यार्थियों को भारत के सम्बन्ध में सात भाषण दिए थे। वे सातों भाषण "India, what can it teach us" नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। तीसरे भाषण में मैक्समूलर ने कहा था–"I maintain that for a study of man there is nothing in the world equal in importance with the Vedas."

अर्थ–मैं मानता हूं कि मानवता के अध्ययन के लिए वेदों के समान महत्त्वपूर्ण संसार में और कुछ भी नहीं है।

UNESCO ने ऋग्वेद को धरोहर (Heritage) स्वीकार किया है।

श्री अरविन्द घोष ने इसी सम्बन्ध में लिखा है–

"There is nothing fantastic in Dayanand's idea that Vedas contain truth of science as well as truth of religion. I will add my own conviction that Vedas contain the other truth of science the modern science does not at all possess"

अर्थ–दयानन्द का विचार कि वेदों में विज्ञान और अध्यात्म दोनों विद्यमान हैं अजीब नहीं है। मैं तो यह भी मानता हूं कि वेदों में वह विज्ञान भी है जो आज के वैज्ञानिक नहीं जानते।

3. हिन्दी भाषा–हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनवाने का श्रेय महर्षि दयानन्द को है। अब से लगभग 145 वर्ष पूर्व सबसे पहले महर्षि दयानन्द ने हिन्दी को देश की भाषा के रूप में पहचाना था। वे स्वयं गुजराती थे और संस्कृत के विद्वान थे। पर उन्होंने अपना सारा लेखन और भाषण हिन्दी में किया। उनका दृढ़ मत था कि देश की एकता के लिए सारे देश की एक भाषा हो और वह भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी को वे

'आर्य भाषा' के नाम से पुकारते थे।

बाद में मुंशी प्रेमचन्द ने भी अपना साहित्य हिन्दी में देकर हिन्दी के उत्थान में बड़ा योगदान किया।

गान्धी जी ने देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों में लिखी जाने वाली हिन्दी-उर्दू मिश्रित भाषा को देश की भाषा बनाने की वकालत की थी और उस खिचड़ी भाषा का नाम हिन्दोस्तानी रखा था।

परन्तु भारत के संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को 12 के मुकाबले 312 के भारी बहुमत से देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। हिन्दी भाषा के विस्तार के लिए आवश्यकता पड़ने पर शब्द लेने के लिए हमारे संविधान में विशेषतौर पर संस्कृत भाषा को नामित किया गया है।

4. स्वतन्त्रता अन्दोलन—महर्षि दयानन्द ने अपनी लेखनी और भाषणों द्वारा हिन्दुओं में स्वाधीनता की भावना भरी जिसके परिणामस्वरूप आर्यों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़चढ़ कर भाग लिया। अदीना स्याम् शरदः शतम्—अर्थात हम स्वतन्त्र रहते हुए सौ वर्ष तक जीएं—का वेदमन्त्र महर्षि ने हमें दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभिसीता रमैया ने अपनी पुस्तक 'स्वतन्त्रता का इतिहास' में लिखा है कि स्वतन्त्रता अन्दोलन में 85 प्रतिशत आर्य थे। बाकी 15 प्रतिशत में सनातनी, जैनी, सिख, मुसलमान, ईसाई सभी आ जाते हैं।

पट्टाभिसीता रमैया ने महर्षि दयानन्द को राष्ट्र पितामह बताया था जबकि गांधी जी को राष्ट्रपिता। जो जो कार्य गान्धी जी ने अपनाए वे सब उससे पचास साल पहले महर्षि दयानन्द ने आरम्भ किए थे—उदाहरण—स्वदेशी, खादी और ग्रामोद्योग, अछूत उद्धार, महिला उत्थान, गो संरक्षण आदि। महर्षि ने बीज बोया और गान्धी जी ने फसल काटी।

डॉ. एनीबेसेंट एक अंग्रेज औरत थी जिसने भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम किया। उसने कहा था—

"When the Swaraj Temple is built there will be images of the leaders of the freedom movement and that of Swami Dayanand will be the tallest."

अर्थ—जब स्वराज का मन्दिर बनेगा, उसमें स्वतन्त्रता अन्दोलन के

नेताओं के चित्र (बुत) लगेंगे और उनमें स्वामी दयानन्द का चित्र (बुत) सबसे बड़ा होगा।

मोतीलाल नेहरू ने जेलों में घूमने के बाद गान्धी जी को जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया था कि जेलों में 80 प्रतिशत आर्य समाज के लोग हैं।

लाला लाजपत राय ने कहा था—आर्य समाज कट्टर राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है।

5. महर्षि दयानन्द के विचारों से प्रेरित होकर स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज, पण्डित लेखराम, पण्डित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, भगतसिंह के दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह आदि कितने सज्जन समाज और राष्ट्र की सेवा में उतरे।

स्वामी श्रद्धानन्द, जिनका नाम पहले मुंशी राम था, ईसाइयत की ओर झुक रहे थे। महर्षि दयानन्द के साथ मुलाकात के बाद पक्के आर्य और राष्ट्रभक्त बन गए। लाला लाजपत राय इस्लाम की तरफ झुके हुए थे। वे आर्यों की संगति से आर्य बने और देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते हुए शहीद हुए।

मौलवी महबूब अली जिला बागवत बड़ौत के पास बरवाला में बड़ी मस्जिद के इमाम थे। महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश को पढ़कर वे इस्लाम को छोड़कर आर्य बन गए। अब वे महेन्द्रपाल आर्य के नाम से वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं।

6. शिक्षा—महर्षि दयानन्द ने बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया था। उनके शिष्य आर्यों ने बहुत से आर्य स्कूल व कालिज स्थापित किए तथा दयानन्द ऐंग्लो वैदिक (D.A.V.) नाम से शिक्षण संस्थाओं का देशभर में जाल बिछा दिया है।

हिन्दू समाज में लड़कियों को पढ़ाना बुरा माना जाता था। महर्षि दयानन्द और आर्य समाज का ही प्रभाव है कि अब सभी हिन्दू अपनी लड़कियों को शिक्षा, बल्कि उच्चशिक्षा दिला रहे हैं।

7. समाज सुधार के कानून—हिन्दू विधवा स्त्री के पुनर्विवाह के विरुद्ध थे। सन् 1856 में पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की कोशिश से अंग्रेज सरकार ने विधवा विवाह एक्ट बना दिया जिससे विधवा स्त्री के

पुनर्विवाह को मान्यता मिल गई। परन्तु पण्डितों के विरोध के चलते यह कानून व्यवहार में न आ सका। बाद में जब आर्य समाज ने इस काम को अपने हाथ में लिया तभी विधवा विवाह का प्रचलन हुआ।

हिन्दू अपनी छोटी उमर की लड़कियों की शादी बड़ी उमर के आदमियों के साथ कर देते थे। आर्य समाज के प्रतिष्ठित नेता श्री हरविलास शारदा के प्रयास से सन् 1929 में अंग्रेज सरकार ने इसके विरुद्ध कानून बना दिया जिसका नाम है–Child marriage restraint Act। तब उसका विरोध तिलक जैसे महानुभाव ने भी किया था। युक्ति थी ईसाई सरकार को हमारे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

हिन्दू समाज में पति के मरने पर पत्नी को पति के साथ ही जीवित ही जला देने की कुप्रथा थी जिसे सती प्रथा कहते हैं। राजा राजमोहन राय के प्रयत्न से अंग्रेज सरकार ने सन् 1828 में इसके विरुद्ध कानून बनाया। बाद में आर्य समाज ने इसे हाथ में लिया और दृढ़ता से इसका पालन किया और करवाया।

जन्म की जातपात तोड़कर विवाह को वैधता देने वाला जो कानून है वह आर्य समाज के बड़े नेता श्री घनश्याम सिंह गुप्त के प्रयास से अंग्रेज सरकार ने सन् 1937 मे बनाया था। उस एक्ट का नाम Arya Marriage Validation Act है। महर्षि दयानन्द ने जन्म की जातपात और छुआछूत को पूरी तरह नकारा था।

8. सत्यार्थप्रकाश–महर्षि दयानन्द ने एक अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' दिया। उसमें जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को क्या-क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए सब ज्ञान वेदों के अनुकूल दिया गया है, संसार में व्याप्त सभी पंथों (मजहबों) के गुण-दोष बता कर सभी को सचेत किया गया है, वेद के सार्वकालिक और सार्वभौमिक मानव धर्म पर प्रकाश डाला गया है और ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। 'सत्यार्थप्रकाश' में 377 ग्रन्थों के सन्दर्भ हैं और 1542 वेद मन्त्रों और श्लोकों के उदाहरण हैं। 'सत्यार्थप्रकाश' को पढ़कर लाखों लोग पाखण्ड, अन्धविश्वास, अज्ञान से निकलकर सत्य के प्रकाश का आनन्द लेने लगे हैं।

'सत्यार्थप्रकाश' के सम्बन्ध में वीर सावरकर ने कहा था–"हिन्दुओं

की ठण्डी रगों में गर्म खून का संचार करने वाला ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' अमर रहे। सत्यार्थप्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता।"

9. पाखण्ड और अन्धविश्वास पर चोट—महर्षि दयानन्द और उनके शिष्य आर्यों ने मूर्तिपूजा, ग्रह, फलित ज्योतिष, भूत-प्रेत, तागा-ताबीज, जादू-टोना आदि पाखण्ड और अन्धविश्वास पर तगड़ी चोट मारी। इन्हें अज्ञानता से पैदा हुई गलत धारणाएं बताया। ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताकर मूर्तिपूजा को हानिकर बताया। मनुष्य के सुख-दुख का कारण ग्रह नहीं। ग्रह तो जड़ हैं। वे किसी का भला या बुरा नहीं कर सकते। सुख-दुख का कारण मनुष्य के अपने अच्छे-बुरे काम हैं। उन कामों के फलस्वरूप ही मनुष्य को सुख-दुख होता है। फलित ज्योतिष (Astrology) का वेदों में या किसी भी वैदिक ग्रन्थ में कहीं कोई नामो-निशान नहीं है। ये सारी बातें साधारण लोगों को ठगने के साधन मात्र हैं। जो पहले था और अब नहीं रहा उसे भूत कहते हैं जैसे बीते समय का नाम भूलकाल है। किसी व्यक्ति के मरने पर मृतक शरीर का नाम प्रेत है। तागा-ताबीज, जादू-टोना आदि भी धूर्तों के द्वारा पैदा किए हुए टोटके हैं।

10. साहित्य शोधन—आर्यों (हिन्दुओं) के साहित्य को स्वार्थी लोगों ने अपनी मनमर्जी से मिलावट करके दूषित कर दिया है। महर्षि दयानन्द और उनके शिष्य आर्यों ने उस मिलावट को अलग करके सत्य साहित्य प्रकाशित किया जिनमें वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि प्रमुख हैं। महर्षि दयानन्द ने सत्य और असत्य ग्रन्थों की सूची हमें दी कि कौन से ग्रन्थ पढ़ने चाहिएं और कौन से नहीं। जो ग्रन्थ सत्य वैदिक धर्म को प्रतिपादित करते हैं उन्हें पढ़ने योग्य की सूची में रखा और जो असत्य बातों से भरे हैं उन्हें न पढ़ने योग्य ग्रन्थों की सूची में रखा।

श्री कृष्ण के पवित्र और महान जीवन-चरित को कलंकित करके प्रसारित किया जाता है। महर्षि दयानन्द ने इस पर तगड़ी आपत्ति उठाई और कहा कि 'महाभारत' की पुस्तक के अनुसार श्री कृष्ण एक धर्मात्मा और परोपकारी पुरुष थे। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी बुरा काम नहीं किया। महाभारत में राधा नाम की किसी स्त्री का कोई जिकर

नहीं है।

11. नमस्ते और गायत्री मन्त्र—महर्षि दयानन्द ने अभिवादन के लिए सार्थक शब्द 'नमस्ते' दिया। जब भी दो व्यक्ति मिलें तो आपस में नमस्ते कहें। नमस्ते शब्द है—नमः + ते अर्थात मैं आपका सम्मान करता हूं। उसी में बड़ों के लिए आदर और छोटों के लिए प्यार की भावना छिपी है। वेदों में तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में अभिवादन के तौर पर 'नमस्ते' शब्द का ही प्रयोग किया गया है।

महर्षि दयानन्द ने विचारने के लिए तथा अमल करने के लिए वेद का मन्त्र 'गायत्री मन्त्र' दिया। इस मन्त्र में परमात्मा से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सभी मनुष्यों को उत्तम बुद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छा सात्विक भोजन लेना चाहिए तथा बढ़िया पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए।

आज देश-विदेश में करोड़ों लोग अभिवादन के तौर पर 'नमस्ते' शब्द का प्रयोग करते हैं तथा गायत्री मन्त्र का पाठ करते हैं।

12. प्रसिद्ध कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ने कहा था—हमारा जितना उपकार महर्षि दयानन्द ने किया है उतना और किसी ने नहीं किया।

13. मुंशी प्रेमचन्द की लेखनी में समाज सुधार के विषय पर महर्षि दयानन्द का प्रबल प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने एक कहानी लिखी है 'आपका चित्र'। कहानी के नायक ने अपने कमरे में महर्षि दयानन्द का एक चित्र लटका रखा है। वह बता रहा है कि यह चित्र उसने क्यों लटका रखा है। "मैं उसे केवल इस कारण से अपने कमरे में लटकाए हुए हूं कि स्वामी जी के जीवन का उच्च और पवित्र आचरण सदा मेरी आंखों के सामने रहे। जिस घड़ी सांसारिक लोगों के व्यवहार से मेरा मन ऊब जाए, जिस समय प्रलोभनों के कारण पग डगमगाएं अथवा प्रतिशोध की भावना मेरे मन में लहरें लेने लगे अथवा जीवन की कठिन राहें मेरे साहस व धैर्य की अग्नि को मन्द करने लगें, उस विकट वेला में उस पवित्र मोहिनी मूर्त के दर्शनों से आकुल-व्याकुल हृदय को शान्ति हो, दृढ़ता धीरज बने रहें, क्षमा व सहनशीलता के मार्ग पर पग चलते चलें तथा मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस चित्र से मुझे लाभ पहुंचा है और एक बार नहीं, कई बार।" □□□

मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार

इस्लाम द्वारा भारत पर विजय की कहानी विश्व के इतिहास में सम्भवतः सबसे अधिक खूनी कहानी है। हर विजय के बाद बड़ी संख्या में हिन्दुओं का कत्लेआम किया गया, मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़कर उनसे अथाह धन लूटा गया, महिलाओं और युवतियों से बलात्कार किया गया, स्त्री-पुरुषों को बन्दी तथा दास बनाकर अरब देशों में बेचा गया। इतिहास की इस सच्चाई को भारतीय इतिहासकारों, पत्रकारों तथा राजनयिकों द्वारा जानबूझकर छुपाया गया है। इतना ही नहीं भारतीयों की स्मृति से भी यह तथ्य मिटा दिया गया है।

सन् 712 में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय पाकर वहां के देवी मन्दिर को विध्वंस कर दिया, मन्दिर के पुजारियों और भिक्षुओं को तथा जो मनुष्य युद्ध करने के योग्य थे उन सबको कत्ल कर दिया। यह कत्लेआम तीन दिन तक चलता रहा। वहां उसने मस्जिद बनाई तथा बड़ी संख्या में हिन्दू स्त्रियों को कैद कर लिया। फिर मुहम्मद बिन कासिम ने मुलतान पर विजय पाई और वहां भी वैसा ही ताण्डव किया।

सन् 1018 में गजनी के महमूद ने मथुरा पर हमला किया। वहां उसने बड़ी लूट-पाट और विध्वंस किया। वहां से वह एक लाख हिन्दुओं को गुलाम बनाकर ले गया। वह बीस दिन तक मथुरा को लूटता रहा। गजनी में उसने एक-एक गुलाम को अढ़ाई-अढ़ाई रुपए में बेचा। सन् 1026 में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मन्दिर पर आक्रमण किया। उसने उस विशाल मन्दिर को तहस-नहस किया तथा पुजारियों को मौत के घाट उतारा।

सन् 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। वह जहां से होकर जाता–नगरों, ग्रामों को लूटता, आग लगाता, निरपराध नर-नारियों को कत्ल करता और बन्दी बनाता था। पानीपत होता हुआ वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते-पहुंचते उसके पास एक लाख कैदी हो गए। दिल्ली के सुलतान के साथ मुठभेड़ के समय उन कैदियों की निगरानी व्यर्थ जान पड़ी। तब उसने सैनिकों को उनकी निगरानी के भार से मुक्त करने के लिए आदेश दिया कि इन कैदियों को कत्ल कर दिया जाए। एक ही दिन में एक लाख हिन्दू कैदी कत्ल कर दिए गए। दिल्ली में पांच दिन तक नर हत्या, लूट-पाट, बलात्कार चलता रहा। दिल्ली के बाद उसने मेरठ और हरिद्वार पर आक्रमण किए। वहां पर बहुत से हिन्दुओं को कत्ल किया और बन्दी बनाया।

सन् 1000 में अफगानिस्तान की बहुत सारी हिन्दू जनता को कत्ल कर दिया गया। उस स्थान का नाम अब भी 'हिन्दू कुश' है जिसका अर्थ है 'हिन्दू कत्ल'। मध्य भारत में बहमनी सुलतानों ने नियम बना रखा था कि हर वर्ष एक लाख हिन्दुओं को मारना है। प्रोफेसर के.एस. लाल अपनी पुस्तक 'ग्रोथ आफ मुस्लिम पापुलेशन इन इण्डिया' में लिखते हैं कि सन् 1000 से 1525 के बीच हिन्दुओं की जनसंख्या आठ करोड़ कम हो गई थी। वर्तमान में भी कश्मीर से तीन लाख हिन्दुओं को मारकर भगा दिया गया है।

मुसलमानों द्वारा तोड़े गए सर्वाधिक प्रसिद्ध मन्दिर तथा उनके स्थान पर बनाई गई मस्जिदों में निम्नलिखित मुख्य हैं–काशी का विश्वनाथ (भगवान शिव) मन्दिर, अयोध्या का भगवान राम का मन्दिर तथा मथुरा का भगवान कृष्ण जन्म स्थानीय प्राचीन स्मारक अर्थात कंस की जेल।

मुस्लिम शासकों ने जब देखा कि भारत के सारे हिन्दुओं को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता उन्होंने हिन्दुओं पर एक विशेष कर (Tax) लगा दिया जिसका नाम था 'जजिया' जो हर हिन्दू को देना होता था।

कश्मीर क्षेत्र पर सन् 1394 में शासक 'सिकन्दर' हुआ। उसने घोषणा की कि मेरे राज्य में रहने के लिए हर हिन्दू को अनिवार्य रूप से इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा अथवा मेरा राज्य छोड़ना होगा। जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और उसका राज्य भी नहीं छोड़ा उसने उन्हें

कत्ल करवा दिया। 'लारेंस' नाम के लेखक ने लिखा है कि अढ़ाई हजार तलवारें नित्य सात घण्टे चलकर उन्नीस दिनों में भी काम पूरा न कर सकीं। निहत्थे हिन्दुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया। औरतों, लड़कियों को बलात्कार के बाद कत्ल कर दिया गया।

फिरोज शाह तुलगक (1351-1388) स्वयं लिखता है कि हिन्दुओं के मन्दिरों को गिराना एक पवित्र काम है। हिन्दुओं के एक उत्सव के अवसर पर वह स्वयं गया। वहां उसने हिन्दुओं के नेताओं और पुजारियों के कत्ल का आदेश दिया, मूर्तियां और मन्दिर तुड़वाए और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाईं। (Negationism in India, page 44)।

मुसलमानों की पवित्र धार्मिक पुस्तक 'कुरान शरीफ' के अनुसार हिन्दू कभी मित्र, बन्धु, पड़ौसी नहीं बन सकता, वह तो काफिर है, कत्ल करके उसकी सम्पत्ति, बहन, बेटी आदि छीनने योग्य है। गैर-मुसलमानों पर कैसा भी अत्याचार करें खुदा माफ कर देता है।

अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह कोई प्रसन्नता का विषय न था। आमेर (जयपुर) के राजा भारमल ने अपनी रियासत को अकबर के हाथों तहस-नहस होने से बचाने के लिए अपनी पुत्री जोधाबाई को आमेर से दूर 'सांभर' नामक स्थान पर अपमानित होकर सौंपा था। वह तो राज्य के लिए कुर्बान की गई थी।

चित्तौड़ पर अधिकार करते ही अकबर ने उसे पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। तीस हजार निहत्थे हिन्दू–बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री-पुरुष गाजर मूली की तरह काट दिए गए। (विंसेन्ट स्मिथ, भाग 1, पृष्ठ 64)। अकबर ने थानेसर अपनी सेना भेजकर वहां पर हिन्दू विद्वानों, संन्यासियों तथा तीर्थ-यात्रियों का संहार भारी मात्रा में करवाया। प्रयाग (इलाहाबाद) और काशी में भी अकबर ने हिन्दुओं के धर्म स्थानों को तहस-नहस किया।

'तुज्के-जहांगीरी' नामक अपनी आत्मकथा में मुगल सम्राट जहांगीर ने लिखा है–"अर्जुन नाम का एक हिन्दू एक पीर की पोशाक में रहता-घूमता है। वह अपने को शेख बताकर हिन्दुओं के अलावा बहुत से बेवकूफ मुसलमानों को भी अनुपम धर्मनिष्ठा और मृदु व्यवहार से अपनी ओर करता जा रहा है।....उसके मूर्ख शिष्य उसे 'गुरु' कहकर पुकारते हैं और सदा

उसके आदेशों का पालन करने को तैयार रहते हैं। मुझे पता चला है कि यह गुरु परम्परा अर्जुन की तीन चार पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं सोच रहा हूं कि या तो इस झूठी गुरु परम्परा को खत्म कर दूं या अर्जुन नाम के इस हिन्दू को इस्लाम स्वीकार करने पर मजूबर कर दूं।" जहांगीर को अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने का अवसर तब मिला जब उसका बेटा खुसरो बगावत करके गुरु अर्जुन देव के पास आया। जहांगीर के आदेश से गुरु अर्जुन देव को लाहौर की जेल में बन्दी बनाकर उनसे कहा गया कि यदि वे दो लाख रुपए जुर्माना भरने को तैयार हैं तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। दो लाख रुपए न भरने पर उन्हें तीन दिन तक कठोर यातनाएं देकर 30 मई, 1606 को शहीद कर दिया गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे।

मुस्लिम शासन में राजनियम था कि यदि दो हिन्दू भाइयों में सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद है तो जो हिन्दू मत छोड़कर मुसलमान बन जाता सारी सम्पत्ति उसे मिल जाती। (महात्मा हंसराज–आर्य जगत 17-23 जुलाई, 2005)।

डॉ. हरीराम गुप्ता लिखते हैं–सन् 1668 में मुगल बादशाह औरंगजेब (1658-1707) के आदेश से हिन्दुओं के उत्सव और मेले बन्द कर दिए गए। 9 अप्रैल, 1669 को एक आदेश भेजा गया कि हिन्दुओं के सब स्कूल तथा मन्दिर गिरा दिए जाएं तथा उनकी धार्मिक शिक्षाएं बन्द कर दी जाएं। जनवरी, 1670 में मथुरा का सबसे बड़ा मन्दिर 'केशव राय' नष्ट कर दिया गया तथा मथुरा नगर का नाम इस्लामाबाद रख दिया गया। सन् 1671 में सरकारी नौकरी पर लगे हिन्दू क्लर्क, अकाऊटैंट आदि सभी निकाल दिए गए। एक हिन्दू कानूनगो के पद पर बना रह सकता था अगर वह मुसलमान बन जाए। दूसरे हिन्दू जो मुसलमान बन गए उन्हें इनाम, वजीफे, सरकारी नौकरियां, जेलों से रिहायी, पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार तथा अन्य सुविधाएं दी गईं।

इस लेख में जो लिखा गया है वह तो नमूने के तौर पर संक्षेप में लिखा गया है। अधिक जानकारी के लिए इस विषय पर विभिन्न पुस्तकें पढ़ें। इतिहास की सच्चाई को जानना इसलिए आवश्यक है ताकि भूत की दुर्घटनाओं को फिर से होने से रोका जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. Story of Civilization by Will Durant
2. Rewritting Indian History by FRANCOIS GAUTIER
3. Negationism in India by KOENRAAD ELST
4. Hindu Temples : What happened to them by Sita Ram Goel
5. Indian Muslims : Who are they by K.S. Lal
6. The Story of Islamic Imperialism in India by Sita Ram Goel
7. इतिहास के कलंकित पृष्ठ लेखक स्वामी मोक्षानन्द सरस्वती
8. हिन्दुओं की बरबादी–मन्दिरों की लूट लेखक आचार्य पण्डित देव प्रकाश

अकबर (1542-1605) महान नहीं, क्रूरतम अत्याचारी था

तैमूरलंग और चंगेजखां—दो क्रूरतम अत्याचारी हुए हैं। अकबर की रगों में इन्हीं का खून था—पिता की तरफ से तैमूरलंग का और माता की तरफ से चंगेजखां का।

अकबर का शरीर—(विंसैंट स्मिथ के अनुसार)—ऊंचाई लगभग 5 फुट 7 इंच, चौड़ी छाती, पतली कमर और लम्बे बाजू। उसके पैर अन्दर की ओर झुके हुए थे। चलते समय वह अपने बाएं पैर को कुछ घसीटता हुआ चलता था, मानो लंगड़ा हो। उसका सिर दाएं कंधे की ओर कुछ झुका हुआ था। नाक कुछ छोटी थी, बीच की हड्डी कुछ उभरी हुई थी। नथने ऐसे लगते थे मानो क्रोध में फूले हों। मटर के आधे दाने के आकार का एक मस्सा उसके ऊपरी होंठ को नथने से जोड़ता था। उसका रंग श्यामल था।

पादरी एंथनी मांसरेत अकबर के दरबार में गए थे। वे लिखते हैं—अकबर के कन्धे चौड़े तथा पैर कुछ घुमावदार हैं। रंग कुछ हल्का भूरा है। वह अपना सिर अधिकतर दाहिने कंधे की ओर झुकाए रखता है। माथा चौड़ा है, आंखें चमकती हैं। उसकी पलकों के बाल बहुत लम्बे हैं, नाक छोटी और सीधी है, नथने काफी फूले हैं जैसे उपहास की मुद्रा में हों। बाएं नथने तथा होंठ के बीच एक काला तिल है, दाढ़ी सफाचट है, परन्तु मूंछ रखता है। उसके बाल लम्बे हैं। टोपी वह नहीं लगाता, अपनी पगड़ी में ही सारे बाल घुसेड़ लेता है। बाएं पैर से कुछ लंगड़ाता है।

अकबर पूरी तरह अनपढ़ था तथा शराब पीने का व्यसनी था। वह अत्यंत कामी था। उसके हरम में बहुत-सी स्त्रियां थीं। हारे हुए राजाओं के घरों से मनपंसद महिलाओं को अकबर अपने हरम में भर्ती कर लेता था।

आगरा के लाल किले में भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग का नीला बोर्ड लगा हुआ है। उस पर लिखा है कि यहां अकबर पांच हजार औरतें रखता था। (आचार्य नरेश)

अकबर की आंख उसके संरक्षक बैरम खां की पत्नी पर लग गई थी। उसने बैरम खां की नृशंस हत्या करवाने के बाद उसकी पत्नी से शादी कर ली थी।

मीना बाजार नाम की एक प्रथा थी जिसके अनुसार नए साल के दिन सब घरों की महिलाओं को अकबर के सामने से गुजरना होता था ताकि वह अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किसी को चुन सके।

पानीपत के युद्ध के पश्चात 6 नवम्बर, 1556 के दिन जब अकबर के सामने घायल तथा अर्धचेतन अवस्था में हेमू (हेमचन्द्र) को लाया गया तब अकबर ने अपनी टेढ़ी तलवार से उसकी गरदन पर प्रहार किया। अकबर उस समय 14 वर्ष का था। (विंसैंट स्मिथ)

चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद अकबर ने वहां मौजूद सेना तथा अन्य लोगों का कत्लेआम करवाया। विंसैंट स्मिथ के अनुसार इस कत्लेआम में 30,000 लोग मारे गए थे। कर्नल टाड का कहना है कि चित्तौड़ को जीतने के बाद अकबर ने बचे हुए सभी स्मारकों को तोड़ दिया था।

अकबरनामा—अबुल फजल—जिहादी अकबर—फतहनामा चित्तौड़ 1568 में लिखा है कि उस युद्ध को देखने हेतु बिना हथियार आसपास खड़े 40,000 हिन्दू किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। (आचार्य नरेश)

सन् 1572 के नवम्बर मास में जब अकबर अहमदाबाद के शासक मुजफ्फरशाह को हराकर बन्दी बना चुका था, तब उसने आज्ञा दी थी कि विरोधियों को हाथियों के पैरों तले रौंदकर मार डाला जाए।

मसूद हुसैन मिर्जा अकबर का निकट सम्बन्धी था। उसने अकबर के विरुद्ध बगावत की और वह पकड़ा गया। उसकी आंखों को सुई से सी दिया गया और उसके 300 साथियों को तड़पा-तड़पा कर मारा गया।

थानेसर के पवित्र कुण्ड पर इकट्ठे हुए साधु 'कुरु' और 'पुरी' दो भागों में बंटे थे। अकबर अपने सेवकों के साथ वहां उपस्थित था। पुरी वालों ने बादशाह से शिकायत की कि कुरु वालों ने उनका बैठने का स्थान

अवैध रूप से छीन लिया है। इसलिए वे जनता के दान से वंचित रह गए हैं। अकबर की ओर से उन्हें कहा गया कि वे आपस में युद्ध करके निर्णय कर लें। दोनों ओर के लोगों को शस्त्र देकर लड़ाया गया। जो पलड़ा हल्का पड़ता बादशाह अपने लोगों को उनकी सहायता करने को कहता। अंत में दोनों वर्गों के लोग अकबर के सैनिकों द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिये गये। (विंसैंट स्मिथ)

हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप और अकबर—दोनों की सेनाओं में राजपूत बहुतायत में थे। जब दोनों ओर से घमासान युद्ध हो रहा था तब अकबर की ओर से लड़ रहे बदायूनी ने अपने सेनानायक से पूछा कि वह कहां गोली चलाए क्योंकि यह पहचानना कठिन है कि कौन-सा राजपूत हमारी ओर है और कौन-सा राणा प्रताप की ओर है। बदायूनी का कहना है कि उसे उत्तर मिला कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी राजपूत मरेगा इससे इस्लाम का ही लाभ होगा।

सन् 1603 की घटना है। अकबर दोपहर के विश्राम के बाद कुछ जल्दी उठ खड़ा हुआ। उसे कोई सेवक न दिखा, परन्तु एक मशालची सोया मिला। अकबर ने क्रोध में आकर उस मशालची को मीनार से नीचे जमीन पर पटकने का आदेश दे दिया।

अकबर अपने आपको पैगम्बर की भान्ति पेश करता था। वह हिन्दुओं को अपने पैरों की धोबन पिलाता था। हिन्दुओं को छोड़ और लोग आते तो वह उन्हें पीने नहीं देता था, बल्कि झिड़क देता था। (स्मिथ और बदायूनी)

जजिया—अकबर ने आम हिन्दुओं पर जजिया कर लगा रखा था। जजिया वह कर था जो मुस्लिम राज में गैर-मुस्लिमों को जीने का अधिकार लेने के लिए देना पड़ता था। रणथम्भोर की सन्धि में बूंदी के शासक को जजिया कर से विशेष छूट दी गई थी।

स्मिथ के अनुसार—अकबर अपने आपको सारी प्रजा का उत्तराधिकारी के रूप में समझता था तथा मृतक की सारी सम्पत्ती को ले लेता था। फिर बादशाह की कृपा से ही परिवार वाले फिर से काम धंधा शुरू कर पाते थे।

डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अपनी पुस्तक 'अकबर महान' में

लिखते हैं–शर्फुद्दीन अकबर के सेनापतियों में से एक था। उसने आमेर (प्राचीन जयपुर) के तत्कालीन नरेश राजा भारमल के विरुद्ध अनेक बार आक्रमण किया। बहुत कुछ छीन-झपट लेने के अतिरिक्त शर्फुद्दीन ने भारमल के तीन भतीजों को भी पकड़कर बंधक बना लिए थे और उन्हें मार देने की धमकी दे रखी थी। इनके नाम थे–जगन्नाथ, राजसिंह और खंगर। भारमल के सम्मुख सर्वनाश उपस्थित था। इसलिए अत्यन्त असहाय अवस्था में उसने अकबर द्वारा मध्यस्थता तथा उसके साथ समझौता चाहा। भारमल के तीनों भतीजों की मुक्ति के लिए अकबर ने एक निर्दोष, असहाय राजकुमारी को उसके सम्मुख समर्पण की शर्त लगा दी थी। सांभर नामक स्थान पर राजकुमारी अकबर को सौंप दी गई। तभी तीनों राजकुमारों को छोड़ा गया। इसके साथ-साथ बड़ी धन राशी भी देनी पड़ी थी।

ऐसे ही दूसरे राजपूत राजाओं की कन्याओं को अकबर को सौंपा गया था। जैसलमेर के राजा हरराय ने तथा डूंगरपुर के राजा आसकरण ने अपनी बेटियां अकबर के हरम में भेजी थीं। बीकानेर के राजा कल्याणमल को अपने भाई काहन की बेटी अकबर के हरम में भेजनी पड़ी क्योंकि उसकी अपनी बेटी विवाह योग्य नहीं थी। कांगड़ा उर्फ नगरकोट के शासक विधिचन्द ने अकबर के हरम के लिए डोला भेजने से मना कर दिया तो अकबर के सैनिकों ने ज्वालामुखी देवी के मन्दिर में 200 काली गाएं काटकर उनके खून से मन्दिर के द्वारों व दीवारों को लथपथ कर दिया था। (राजेश आट्टा)

अकबर के नवरत्न–टोडरमल जनता से धन वसूलने की उस प्रणाली के निर्माण में लगा था जिसमें उनसे धन वसूलने के लिए उनको कोड़े लगाए जाते थे, अन्यथा उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे बेचने पड़ते थे। अबुल फजल बड़ा चापलूस था जो शहजादा सलीम द्वारा मरवा डाला गया था। फैजी एक मामूली-सा कवि था जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। बीरबल युद्ध में मारा गया था। उसके नाम से प्रसिद्ध बुद्धि-चातुर्य, हास्य-व्यंग्य एवं हाजिर-जवाबी की कथाएं वास्तव में किसी और का कला कौशल था। वित्तमंत्री शाह मंसूर का वध तो स्वयं अबुल फजल ने अकबर के आदेश पर ही किया था। राजा भगवानदास ने अपनी स्त्रियों, पुत्रों और भाई भतीजों

समेत सबको अकबर की सेवा में लगा रखा था। फिर भी उसके साथ बादशाह का व्यवहार बहुत निन्दनीय था। इस बात से दुखी होकर उसने अपने पेट में अपना ही छुरा घोंप लिया था। शराब के नशे में मस्त अकबर ने एक बार मानसिंह का गला दबा दिया था। अकबर के दरबार के चित्रकार दसवन्त ने अपनी हत्या छुरा घोंपकर कर ली थी।

मुगल दरबारों में स्थिति इतनी असह्य थी कि अपने जीवन, सम्मान, महिलाओं, घर की पवित्रता तथा धार्मिक मान्यताओं के अपमान से दुखी हिन्दू लोग निराशा, पागलपन और मृत्यु को प्राप्त होते थे। अपना सब कुछ अकबर की सेवा में लगाने वाला टोडरमल भी स्थिति से परेशान होकर त्याग-पत्र देकर बनारस चला गया था।

क्या मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं?

सीएनएन (CNN) टीवी चैनल पर उग्रवादी इस्लाम पर बहस के दौरान अमरीकी सूनी मुस्लिम महिला रहील रजा (Raheel Raza) ने कहा–लगभग हर रोज हमें बताया जाता है कि इस्लामिक आतंकवाद का इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। राजनैतिक स्वार्थों के कारण नेता लोग सच नहीं बोल रहे, समस्या से आंखें चुरा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं।

पहले जानिए इस सम्बन्ध में अमेरिका की दो बड़ी हस्तियों के झूठ को–अमेरिका की पूर्व विदेश सचिव (मन्त्री) हिलरी क्लिंटन–

"Muslims are peaceful and tolerant people and having nothing, what so ever, to do with terrorism."

अर्थ–मुसलमान शान्तिप्रिय और सहनशील लोग हैं, आतंकवाद से उनका बिल्कुल कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा–"Al-Qaeda's cause is not Islamic. ISIS is not Islamic. The overwhelming majority of Muslims reject that interpretation of Islam. It is very important for us to allign overselves with 99.9% Muslims who do not support extremism."

अर्थ–अलकायदा जो कर रहा है वह इस्लाम के लिए नहीं कर रहे। आईएसआईएस इस्लामिक नहीं है। बहुत अधिक संख्या में मुसलमान इस्लाम की इस व्याख्या को नहीं मानते। हमारे लिए अति महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने आपको उन 99.9% मुसलमानों के साथ जोड़ें जो उग्रवाद के समर्थक नहीं हैं।

अब जानिए सच्चाई क्या है रहील रजा के द्वारा—इस समय संसार में लगभग 160 करोड़ मुसलमान हैं और इस्लाम सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा मजहब है।

बड़ा भारी नुकसान और बड़ा भारी कत्लेआम करने के लिए थोड़े से आतंकवादी ही काफी हैं। जबकि सिर्फ आईएसआईएस (ISIS) के खतरनाक कातिल जेहादियों की संख्या 40,000 से 2,00,000 तक है। इसके अलावा अलकायदा, हेजबुल्लाह, हमास, बोकोहरम आदि अन्य बहुत से जेहादी संगठनों के लाखों आतंकवादी हैं।

वैज्ञानिक ढंग से किए गए पोल (POLLS) के आधार पर अनुसंधान करने वाले बड़े-बड़े संगठनों ने बारम्बार हमें जो बताया है वह बहुत परेशान करने वाला है। प्यू रिसर्च (Pew Research) ने सन् 2013 में संसार के 39 देशों के हजारों मुसलमानों का सर्वे (Survey) करने के बाद जो आंकड़े तैयार किए वे निम्न प्रकार से हैं—

अफगानिस्तान, ईजिप्ट, जार्डन आदि कई मुस्लिम देशों में 79% से 86% तक मुसलमान मानते हैं कि जो इस्लाम के मजहब को नहीं मानता उसका कत्ल कर दिया जाना चाहिए।

सारे संसार में सर्वे (Survey) के अनुसार 27% अर्थात 23 करोड़ 70 लाख मुसलमान मानते हैं कि जो कोई मुसलमान इस्लाम को त्यागता है उसका कत्ल हो जाना चाहिए।

संसार के 39% अर्थात 34 करोड़ 50 लाख मुसलमान मानते हैं कि जिस स्त्री के शादी से पहले किसी पुरुष से या शादी के बाद किसी गैरपुरुष से शारीरिक सम्बन्ध रहे हों उसे कत्ल कर देना चाहिए।

पश्चिमी देशों के 18 से 29 वर्ष की आयु के मुसलमान नौजवान, जो मानते हैं कि गैर-मुस्लिम लोगों पर आत्मघाती हमले करना जायज है, उनकी संख्या इस प्रकार हैं—

फ्रांस के मुसलमान नौजवान	—	42%
ब्रिटेन के मुसलमान नौजवान	—	35%
अमेरिका के मुसलमान नौजवान	—	26%

मुस्लिम बहुसंख्या वाले देशों में 53% मुसलमान शरीया कानून के

पक्ष में हैं। इनमें 52% अर्थात 28 करोड़ 90 लाख मुसलमान अपराध की स्थिति में कोड़े मारने तथा शरीर का अंग काट देने के पक्ष में हैं और 51% अर्थात 28 करोड़ 10 लाख मुसलमान अगर औरत बेवफा हो जाए तो उसे पत्थर मार-मार कर जान से मार देने के पक्ष में हैं।

नोट–रहील रज़ा "MUSLIMS FACING TOMORROW" नाम की संस्था की अध्यक्ष हैं। वे पिछले बीस वर्षों से आतंकवाद के सम्बन्ध में मुसलमानों की वास्तविक मानसिकता की पोल खोलने का काम कर रही है।

(Source–Internet)

QURAN

English Translations by Maulana Muhammad Ali and by Dr. Muhammad Hilali and Muhammad Muhsin Khan

Some Extracts (taken from Internet)

1. (9:5) So when the sacred months (the 1st, 7th, 11th and 12th months of the Islamic calendar) have passed, slay the idolaters, wherever you find them, and take them captive and besiege them and lie in wait for them in every ambush. But if they repent and keep up Muslim prayer and pay money for the poor Muslims (Zakat), leave their way free. SurelyAllah is forgiving, merciful.

(Slay–kill in a violent way.

Besiege–Surround withArmed Forces

Ambush–Attack a person or group of people from a hidden position).

2. (9:23) O you who believe (Muslims), Take not your fathers and brothers for friends (supporters and helpers) if they prefer disbelief above faith.And whoever of you does so, then he is one of the Zalimun (wrong doers).

3. (9:123) O you who believe! Fight those of the disbelievers (Non Muslims) who are close to you, and let them find harshness in you, and know thatAllah is with those who are the pious.

4. (8:12) I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. So smite above the necks and smite every finger-tip of them.

(Smite–Hit with a hard blow).

5. (41:27) But surely we shall cause those who disbelieve to taste a severe torment, and certainly, we shall requite them the worst of what they used to do.

(Requite–to avenge)

6. (8:17) You killed them not, but Allah killed them.

7. (2:221) Marry not the idolatresses until they believe …. Nor give (believing woman) in marriage to idolaters until they believe.

8. (4:56) Surely, those who disbelieve in our Ayats, we shall burn them in fire as often as their skins are roasted through. We shall change them for other skins that they may taste the punishment.

9. (69:30-33) Seize him and fetter him. Then throw him in the blazing fire. Then fasten him with a chain whereof the length is seventy cubits. Surely he used not to believe inAllah, the Great.

(Seize–Take hold of suddenly and forcibly

cubit–An ancient measure of length, approximately equal to the length of a forearm.

10. (66:9) O Prophet! Strive hard against the disbelievers and hypocrites, and be severe against them, their abode will be Hell, and worst indeed is that destination.

(Strive–Fight vigorously)

11. (5:10) They who disbelieve and deny our Ayats are those who will be the dwellers of the Hell Fire.

12. (4:101) Surely the disbelievers are an open enemy to you.

13. (2:254) And it is the disbelievers who are the zalimun (wrong doers).

14. (33:61) Accursed, wherever found they will be seized and killed with a slaughter.

कुरान की कुछ आयतों का हिन्दी अनुवाद

1. (9:5) जब पवित्र महीने (इस्लामिक कैलण्डर का पहला, सातवां, ग्यारहवां और बारहवां महीना) बीत जाएं तब मूर्तिपूजक जहां भी मिलें उन्हें कत्ल करो, उन्हें कैद करो, बलपूर्वक घेरो और उन पर हमला करने के लिए छुपकर प्रतीक्षा करो। परन्तु अगर वे पश्चाताप करें, मुस्लिम प्रेयर करें और गरीब मुस्लमानों के लिए धन दें तो उन्हें छोड़ दो। निश्चिततौर पर अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है।

2. (9:23) ऐ मुस्लमानो! अगर तुम्हारे पिता और भाई इस्लाम को स्वीकार नहीं करते तो उनसे मित्रता मत रखो। और तुममें से जो कोई उनसे मित्रता करता है वह भी अपराधी है।

3. (9:123) ऐ मुस्लमानो जो गैर-मुस्लमान तुम्हारे समीप हैं उनसे सख्ती से युद्ध करो और याद रखो अल्लाह उनके साथ है जो पवित्र हैं।

4. (8:12) गैर-मुस्लमानों के दिलों में मैं आतंक बिठा दूंगा। उनकी गर्दनों पर और सब उंगलियों पर सख्त प्रहार करो।

5. (41:27) निश्चिततौर पर हम गैर-मुसलमानों को सख्त सजा देंगे और वे जो करते हैं उसका बदला लेंगे।

6. (8:17) तुमने उनको नहीं मारा, बल्कि अल्लाह ने मारा है।

7. (2:221) मूर्तिपूजक स्त्रियों से विवाह मत करो जब तक वे इस्लाम स्वीकार न कर लें....अपनी स्त्रियों की मूर्तिपूजक पुरुषों से शादी मत करो जब तक वे मुसलमान न बन जाएं।

8. (4:56) जो लोग हमारी आयतों को अस्वीकार करते हैं, निश्चित तौर पर हम उन्हें आग में झोंक देंगे जब तक उनकी चमड़ियां जल न जाएं।

हम उनकी चमड़ियों को बदल देंगे ताकि वे सजा का पूरा मजा भोग सकें।

9. (69:30-33) उसे अचानक और ताकत से पकड़ो, उसके पैरों में बेड़ी डालो, फिर जलती हुई आग में फेंक दो। फिर उसे सत्तर हाथ लम्बी जंजीर से बांध दो। उसे महान अल्लाह पर विश्वास न था।

10. (66:9) ओ नवी! गैर-मुसलमानों और कपटी लोगों से बहुत सख्ती से लड़ो। उनके रहने का स्थान सबसे घटिया नर्क होगा।

11. (5:10) गैर-मुसलमान और हमारी आयतों को अस्वीकार करने वाले नर्क की आग में रहने वाले होंगे।

12. (4:101) गैर-मुसलमान निश्चिततौर पर तुम्हारे खुले शत्रु हैं।

13. (2:254) गैर-मुसलमान जालिम हैं।

14. (33:61) शाप दिए हुए लोग जहां भी मिलें उन्हें पकड़ो और उनका कत्ल करो।

मुस्लिम शासन—गैर-मुसलमानों के प्रति अति क्रूर शासन

मुस्लिम शासन में मुसलमान न होना देशद्रोह के समान है। सरकारी मशीनरी का काम केवल इस्लाम को फैलाना होता है। इस्लाम का सिद्धांत है कि एक सच्चा मुसलमान सारे संसार में इस्लामी शासन लाने के लिए जेहाद (संघर्ष) करे।

मुस्लिम शासन का आदर्श यह है कि सारी जनता को मुसलमान बना ले और कोई भी विरोधी न रहे। मुलिस्म शासन में अगर कोई गैर-मुस्लिम रहता है तो वह थोड़ी देर तक के लिए हो जब तक वश न चले। उस पर राजनैतिक और सामाजिक पाबंदिया लगाई जाएं। उसे रिश्वत देकर भी मुसलमान बनाने का प्रयास किया जाए।

गैर-मुसलमान को नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता। वह एक गुलाम की तरह रहता है। उसे जजिया नाम का टैक्स देना होता है। वह फौज में भर्ती नहीं हो सकता। पर उसे फौज के लिए टैक्स देना होता है। उसे अपने पहरावे से और व्यवहार से यह दिखाना होता है कि वह अधीन समाज से है। एक गैर-मुस्लिम बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकता, घोड़े पर नहीं बैठ सकता, हथियार लेकर नहीं चल सकता। हर मुसलमान के सामने उसे अधीनगी से तथा सम्मानपूर्वक पेश आना होता है।

पैगम्बर का आदेश है कि गैर-मुस्लिमों को कत्ल करो, उन्हें लूटो और उन्हें कैद करो। हिन्दुओं पर जाजिया लगाने की बात तो एक दो इमाम ही कहते हैं। बाकी सारे तो यही मानते हैं कि हिन्दू या तो मुसलमान बन जाएं नहीं तो कत्ल कर दिये जायें।

हिन्दू नए मन्दिर नहीं बना सकते, पुराने मन्दिरों की मरम्मत नहीं

करवा सकते। बहुत से मुस्लिम शासकों ने तो पुराने मन्दिर गिराए भी। हिन्दू अपने धार्मिक त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकते। हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए सीधा कत्ल छोड़कर बाकी सारे हथकंडे अपनाए गये। हिन्दुओं से मुसलमान बनने वालों को धन और नौकरियों के रूप में इनाम दिए गए। हिन्दुओं को संगठित होने से रोकने के लिए उनके धार्मिक इकट्ठ और जलूस बंद कर दिये गये। मुसलमानों में गैर-मुस्लिमों को कत्ल करना और उनकी सम्पत्ति लूटना सबसे अधिक पवित्र काम माना गया है।

मुस्लिम राजनीति युद्ध पर आधारित है। जब तक जीतने के लिए स्थान है तब तक तो उनके पास काम है। उसके बाद वे बेकार हैं क्योंकि उन्हें युद्ध के सिवाए और कुछ आता ही नहीं। हिन्दुओं को जिस प्रकार से दबाया और कुचला गया उनमें आगे बढ़ने की और ऊपर उठने की हिम्मत ही खत्म हो गई थी।

(इस लेख की सामग्री प्रसिद्ध इतिहासकार जादूनाथ सरकार की पुस्तक 'A Short History of Aurangzib' से ली गई है।)

हिन्दू, मुस्लिम एकता कैसी?

1. हिन्दू जिसे अधर्म मानते हैं मुसलमान उसे ठीक मानते हैं। झूठ बोलना, धोका देना, हिन्दुओं को काफिर मानकर उन्हें निर्दोष होने पर भी प्रताड़ित करना, सताना, जान से मार देना, उन्हें मौत का डर दिखाकर मुसलमान बनाना, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करना, उनकी सम्पत्ति को लूटना, उनके मन्दिरों-मूर्तियों को तोड़ना—ये सब काम इस्लाम में उचित माने जाते हैं। परन्तु हिन्दुओं में ये सब काम महापाप माने जाते हैं।

2. निर्दोष हिन्दू को अपने हाथ से मारने वाला मुसलमान सबसे बड़ी पदवी 'गाजी' की पाता है। हिन्दू से लड़ते हुए अगर मुसलमान मारा जाए तो वह शहीद कहलाता है। उसे मरने के बाद 72 हूरें—बहुत खूबसूरत नौजवान लड़कियां, शराब की नहरें तथा ऐशोआराम का और बहुत-सा सामान मिलने की बात कहकर लड़ने के लिए उकसाया जाता है।

3. गाय, बकरी आदि गुणकारी पशुओं को 'हलाल' के नाम से तड़पा-तड़पा कर मारना और फिर उनका मांस खाना इस्लाम में सही माना गया है। हिन्दू गाय को मारना तो दूर उसे पैर से छूना भी पाप मानते हैं।

4. भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, बाबर आदि लोग मुसलमानों के आदर्श हैं जबकि इन आक्रमण- कारियों ने हिन्दुओं पर अथाह अत्याचार किए हैं—लाखों की संख्या में हिन्दुओं को कत्ल किया है, करोड़ों हिन्दुओं को मौत का डर दिखाकर मुसलमान बनाया है, लाखों हिन्दू औरतों से बलात्कार किया है, हिन्दुओं के हजारों मन्दिर और मूर्तियां तोड़ी हैं, उनसे अरबों रुपयों का सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात आदि धन लूटकर ले गए हैं।

5. मुसलमानों के लिए स्त्रियां पुरुषों की खेती हैं। वे जैसे चाहे उनका

उपभोग करें और जैसे चाहें उनसे व्यवहार करें। उन्हें परदे में रखें, उन्हें डण्डे से पीटें, तीन बार 'तलाक' का शब्द बोलकर तलाक देकर घर से निकाल दें। एक पत्नी के रहते दूसरी, तीसरी व चौथी पत्नी ले आएं। अदालत में औरत की गवाही आधी है। परन्तु हिन्दुओं में स्त्री का स्थान पुरुष के बराबर माना गया है। स्त्री से सदा ही प्रेम और सत्कारपूर्ण व्यवहार की बात हिन्दू शास्त्रों में कही गई है।

6. मुसलमानों के लिए भाईचारा मजहब का है, देश का नहीं। मुसलमान दुनिया में कहीं भी है वह उसका भाई है। मुसलमानों के लिए मजहब का रिश्ता पहले है और देश का बाद में। मुसलमान के लिए हिन्दू तो काफिर है। वह मुसलमान बन जाए तो ठीक, नहीं तो वह कत्ल किए जाने के काबिल है। इस्लाम में एक मुसलमान का गैर-मुसलमान से मित्रता करना अपराध माना जाता है।

7. जेहाद—गैर-मुसलमानों से हथियारबन्द संघर्ष करने का नाम जेहाद है। गैर-मुसलमानों को मुसलमान बनाने के लिए सब प्रकार के हथकण्डे अपनाना व बल का प्रयोग करना, अगर न बनें तो उन्हें जान से मार देना जेहाद है। जेहाद इस्लाम में सबसे अधिक पवित्र काम माना जाता है।

8. कुरान—कुरान मुसलमानों का पवित्रतम ग्रन्थ है। कुरान की हर बात को मानना मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। कुरान में लिखी किसी बात पर भी शक करना इस्लाम में अपराध है। कुरान में छः हजार से अधिक आयतें हैं। उनमें लगभग एक तिहायी आयतें ऐसी हैं जो गैर-मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाती हैं और बहुत-सी आयतें ऐसी हैं जो गैर-मुसलमानों पर अत्याचार करने तथा उन्हें तड़पा-तड़पा कर जान से मारने का आदेश देती हैं।

9. लगभग 1400 साल पहले मुहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की थी। मुहम्मद को मुसलमान पैगम्बर मानते हैं और उसका अनुसरण करना अपना परम धर्म मानते हैं। मुहम्मद ने अपने जीवन में नौ शादियां की थीं। आखिरी शादी 52 वर्ष की आयु में छः वर्ष की लड़की से की थी और तीन वर्ष बाद जब वह नौ वर्ष की हुई तो उसे अपने पास ले आया था तथा उससे शारीरिक सम्बन्ध बना लिया था।

10. हिन्दुओं का सारा साहित्य हिन्दी व संस्कृत भाषा में है जबकि मुसलमान उर्दू, अरबी, फारसी को अपनी भाषा मानते हैं और वो साहित्य जिसे वे अपना मानते हैं इन्हीं भाषाओं में है। □□□

गांधी जी हिन्दुओं के लिए पूजनीय कैसे?

बेहद आश्चर्य और खेद का विषय है कि मोहनदास कर्मचन्द गांधी (महात्मा गांधी) हिन्दुओं के लिए पूजनीय बने हुए हैं। उन्हें तो मुसलमानों के लिए पूजनीय होना चाहिए था। वे तो मुसलमानों को खुश करने के लिए हमेशा हिन्दू हितों को कुर्बान करते रहे हैं। वे सारी उमर हिन्दुओं को मुसलमानों के हाथों पिटवाते और मरवाते रहे हैं तथा हिन्दुओं को कायर और कमजोर बनाते रहे हैं। इसी विषय की पुष्टि में यहां कुछ घटनाएं दी जा रही हैं।

1. 6 अप्रैल, 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी का भाषण—बेशक मुसलमान हिन्दुओं को समाप्त करना चाहें तो भी हिन्दुओं को मुसलमानों के प्रति अपने दिलों में कोई गुस्सा नहीं रखना चाहिए। अगर मुसलमान हम सभी को मार देना चाहें तो हमें बहादुरी से मौत का सामना करना चाहिए। अगर हिन्दुओं को मारकर वे अपना राज्य स्थापित करना चाहें तो हम अपनी जिन्दगियां कुर्बान करके नई दुनिया में एक रास्ता दिखाएंगे।

2. 24 जुलाई, 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी का भाषण—बेशक मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का दो बार अध्यक्ष रह चुका हूं, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती।

3. जो लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भारत आए थे उन्होंने गांधी जी से सवाल किया था। उसके उत्तर में 23 सितम्बर, 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था—उन्होंने मेरे से पूछा कि जो हिन्दू पाकिस्तान में हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। बल्कि उलटा मैंने उनसे

पूछा वहां पर मर जाने की बजाए वे भारत में क्यों आए। मेरा यह पक्का विश्वास है कि अत्याचार होते हुए भी हम जहां पर हैं वहीं पर रहें और मर जाएं। अगर लोग हमें मारने आते हैं, तो हम मर जाएं, पर ईश्वर का नाम लेते हुए हौसले से मरें।

4. जब अक्तूबर, 1947 में पाकिस्तानी सेना की सहायता से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था उस समय की स्थिति पर 31 अक्तूबर, 1947 को दिल्ली में प्रार्थना सभा में गांधी जी का भाषण—कश्मीरी लोग आक्रमणकारियों को बता दें कि वे अपने घरों को वापिस जाएं। अगर वे हमला करते हैं तो उन्हें कश्मीरियों के शवों पर चलना होगा। वे श्रीनगर को इतना आसानी से नहीं जीत सकते। तब वहां पर हमारे सैनिकों को कोई कुछ न कहेगा। अगर हमारे सैनिक मर जाते हैं, वे अमर हो जाएंगे। तब हम खुशी से नाच सकते हैं और गा सकते हैं।

5. हिन्दुओं का अहित न चाहने वाले हिन्दू नेताओं के प्रति 29 मई, 1924 के 'यंग इंडिया' पत्रिका में गांधी जी ने अपने विचार लिखे—मुझे पण्डित मदन मोहन मालवीय जी से सावधान किया गया है। सन्देह है कि उनके कोई गुप्त इरादे हैं। कहा जाता है कि वे मुसलमानों के मित्र नहीं हैं। ....दूसरा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता वह है लाला लाजपत राय।....स्वामी श्रद्धानंद पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

6. 29 मई, 1924 की 'यंग इंडिया' पत्रिका में गांधी जी लिखते हैं—मैंने आर्य समाज की बाइबल 'सत्यार्थ प्रकाश' को पढ़ा है।....इतने बड़े सुधारक (महर्षि दयानन्द) द्वारा लिखी इससे अधिक निराशाजनक पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी।

नोट—गांधी जी सत्यार्थप्रकाश को निराशाजनक पुस्तक बताते हैं। जबकि वीर सावरकर ने सत्यार्थप्रकाश के बारे में कहा है "हिन्दुओं की ठण्डी रगों में गर्म खून का संचार करने वाला यह ग्रन्थ अमर रहे। सत्यार्थप्रकाश की मौजूदगी में कोई भी विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता।"

सत्यार्थप्रकाश ने हिन्दुओं में आत्म-गौरव की भावना को जागृत किया है। सत्यार्थप्रकाश को पढ़कर ही रामप्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों नौजवान स्वतन्त्रता संग्राम में कूदे। सत्यार्थप्रकाश को पढ़कर ही आर्य समाज ने

स्त्रीशिक्षा, अछूतोद्धार, जातपात मुक्त समाज, विधवा विवाह आदि समाज सुधार के बहुत से काम किए, बाल-विवाह, सतीप्रथा, पाखण्ड, अन्ध-विश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया। देश का सरकार के बाद सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान दयानन्द ऐंग्लो वैदिक (D.A.V.) सत्यार्थप्रकाश की ही देन है।

7. मोपला हत्याकाण्ड—केरल प्रान्त में मालावर जिले में मोपला मुसलमान बहुसंख्यक थे। मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन चला रखा था। मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं से कहा कि वे भी अंग्रेजों के खिलाफ खुल्लमखुल्ला विद्रोह करें। हिन्दू तैयार न हुए। तब मोपले ने कहा—अंग्रेजों से बाद में सुलटेंगे पहले तुम्हें सीधा कर दें। अगस्त, 1921 में वहां पर बर्बर मोपलों ने हजारों हिन्दुओं को मौत के घाट उतारा, महिलाओं का अपहरण किया, सामूहिक बलात्कार किए, हिन्दू परिवारों को जिन्दा जलाया, हजारों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। सैंकड़ों हिन्दू नारियों ने बर्बर मोपलों के बलात्कार से बचने के लिए कुओं में कूद कर प्राण दिए।

गांधी जी और उनके चेलों ने इस काण्ड को जनता से छिपाने की बहुत कोशिशें की, परन्तु ये घटनाएं जगजाहिर हो गईं। बर्बर मोपलों की निन्दा करने की बजाए गांधी जी ने उन्हें खुदा के बहादुर बन्दे कहा क्योंकि वे अपने मजहब के लिए अत्याचार कर रहे थे। परन्तु आर्य समाज ने जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिन्दुओं को वापिस हिन्दू बनाया और अंग्रेज सरकार ने गुण्डों को यथोचित दण्ड दिया।

गांधी जी हिन्दुओं पर होते अत्याचारों को छुपाते रहे और मुसलमानों को उत्तेजित कर हिन्दुओं की हत्याएं करवाते रहे।

8. स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान—उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में ऐसे लाखों राजपूत रहते थे जिन्हें औरंगजेब के अत्याचारी शासन काल में जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था। ये मलकाने राजपूत कहलाते थे। ये कहने को तो मुसलमान थे, परन्तु इनका रहन-सहन, रीति-रिवाज सब हिन्दुओं के ही थे। जरा से प्रोत्साहन से वे सब हिन्दू बनने को तैयार हो गए। यह सन् 1921-1922 की बात है। स्वामी श्रद्धानन्द जी की अगुवाई में आर्य समाज ने उनकी शुद्धि का काम शुरू कर दिया। कांग्रेसी मुसलमानों

ने ऐतराज किया तो गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को शुद्धि के कार्य से अलग होने को कहा। स्वामी जी आर्य समाज के बड़े नेता थे, साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे। स्वामी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी से सम्बन्ध तोड़ लिया। शुद्धि का काम तेजी से चला और साठ हजार के लगभग मलकाने आर्य बन गए। गांधी जी ने शुद्धि आन्दोलन की भर्त्सना की। आर्य नेताओं को मुसलमानों की ओर से धमकियां आने लगीं। 23 दिसम्बर, 1926 को अब्दुल रशीद नाम के एक मुसलमान ने स्वामी जी को गोलियों से मार दिया। अंग्रेज सरकार ने खूनी को 14 नवम्बर, 1927 को फांसी दे दी। पर गांधी जी ने हत्यारे को अपना भाई कहा और उसे निर्दोष बताया।

26 दिसम्बर, 1926 को गुवाहाटी में कांग्रेस की मीटिंग में गांधी जी ने कहा—स्वामी श्रद्धानंद जी को मारने वाले अब्दुल रशीद को मैंने भाई कहा। मैं उसको स्वामी जी के कत्ल का दोषी भी नहीं मानता। 30 दिसम्बर, 1926 के 'यंग इंडिया' पत्र में गांधी जी ने लिखा कि मैं अब्दुल रशीद की वकालत करना चाहता हूं।

9. महाशय राजपाल का कत्ल—मुसलमानों की ओर से दो पुस्तकें 'कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी' और 'उन्नीसवीं सदी का महर्षि' प्रकाशित हुईं। पहली पुस्तक में योगेश्वर श्री कृष्ण पर भद्दे एवं अश्लील आरोप किए गए थे और दूसरी में महर्षि दयानंद पर। इन पुस्तकों के प्रत्युत्तर में महाशय राजपाल ने एक छोटी-सी पुस्तक 'रंगीला रसूल' उर्दू में प्रकाशित की जिसमें मुसलमानों के पैगम्बर हजरत मुहम्मद की जीवनी व्यंग्यात्मक शैली में दी गई थी। परन्तु घटनाएं सभी इतिहास-सम्मत और प्रामाणिक थीं। महाशय राजपाल लाहौर में बड़े पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेता थे।

'रंगीला रसूल' पुस्तक का प्रकाशन सन् 1923 में हुआ था। एक वर्ष तक सारे पंजाब में पुस्तक बिकती रही। इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। फिर किसी ने इस पुस्तक की एक प्रति गांधी जी को पहुंचा दी। गांधी जी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक-पत्र 'यंग इंडिया' में 24 मई, 1924 के अंक में इस पर एक उत्तेजक टिप्पणी लिखी जिसका शीर्षक था 'आग भड़काने वाली पुस्तक' और उसमें मुसलमानों को उकसाने वाले ये शब्द भी लिखे

"स्थानीय नेताओं को चाहिए कि वे इसका प्रकाशन बन्द कराने या इसे निन्दित ठहराने का उपाय खोज निकालें।" इसके बाद भी गांधी जी ने 'यंग इंडिया' पत्र के अन्य कई अंकों में 'रंगीला रसूल' पुस्तक के विरुद्ध भड़काने वाली टिप्पणियां लिखीं। परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने महाशय राजपाल पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। अन्त में 6 अप्रैल, 1929 को इलमदीन नाम के मुसलमान ने छुरा घोंपकर उन्हें कत्ल कर दिया।

सारे देश में महाशय राजपाल 'धर्मवीर और हुतात्मा' के रूप में कीर्तिमान होने लगे। उनके बलिदान से हिन्दू समाज में एक नई जागृति की लहर दौड़ पड़ी। परन्तु गांधी जी इस कीर्ति को सह न सके। गांधी जी ने 18 अप्रैल, 1929 के 'यंग इंडिया' में लिखा—'राजपाल की हत्या ने उसे शहीद बना दिया है और उन्हें वह कीर्ति प्राप्त हो गई जिसके वे योग्य नहीं थे।'

मुहम्मद अली जिन्ना ने वकील के तौर पर तथा मुहम्मद इकबाल आदि बड़े मुसलमान नेताओं ने इलमदीन को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की। परन्तु अंग्रेज सरकार ने उसे दोषी मानकर 31 अक्तूबर, 1929 को फांसी दे दी। मुसलमानों ने इलमदीन को सम्मानित कर उसे 'गाजी' की पदवी दी। पाकिस्तान बनने के बाद 'गाजी इलमदीन' नाम से फिल्म बनाई गई। उसे पाकिस्तान सरकार ने मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया। वह पाकिस्तान में सिनेमा घरों में तथा टीवी पर अनेक बार दिखाई गई।

10. 16 अगस्त, 1946 को मुस्लिम लीग ने DIRECT ACTION अर्थात 'सीधी कार्यवाई' करने की घोषणा की। यह घोषणा पाकिस्तान बनाने के लिए दबाव डालने के लिए थी। इसका गुप्त एजण्डा हिन्दुओं पर अत्याचार करने का था। बंगाल में मियां हसन शहीद सुहरावर्दी मुख्यमंत्री था। उसके संरक्षण में कलकता और नोआखली में हिन्दुओं पर मुसलमानों ने अथाह अत्याचार किए। मुस्लिम लीग के नाम पर हजारों मुसलमानों की विशाल सभा होती। भाषणों में हिन्दुओं पर अत्याचार करने की योजनाएं बनाई जातीं। सभा सम्पन्न होने पर हजारों मुसलमान भूखे भेड़ियों की भान्ति हिन्दुओं पर टूट पड़ते। दस हजार से अधिक हिन्दू मारे गए और पन्द्रह हजार से अधिक जख्मी हुए।

गांधी जी ने इस हत्याकांड की निन्दा तक नहीं की अपितु सुहरावर्दी को क्लीन चिट दे दी। बंगाल में हिन्दुओं की हत्याओं के विरोध में बिहार के हिन्दू बहुल क्षेत्रों में प्रतिकार होने लगा। तब गांधी जी और उनके चेले कांग्रेसी हिन्दुओं को धमकाने चले गए।

11. विभाजन का रक्तपात—मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भावनाएं बहुत भड़की हुई हैं। इसलिए पहले आबादी की अदला-बदली कर ली जाए। बाद में सेना और पुलिस का बंटवारा किया जाए, नहीं तो अत्यधिक रक्तपात होगा। यही सुझाव डॉ. अम्बेडकर तथा सरदार पटेल ने दिया था। परन्तु गांधी जी और नेहरू जी न माने। इसलिए सारा रक्तपात इनके सिर पर है।

12. 16 अगस्त, 1946 की मुस्लिम लीग की DIRECT ACTION (सीधी कार्रवाई) की घोषणा के परिणामस्वरूप बंगाल में कलकत्ता और नोआखली में फिर पश्चिमी पंजाब में हिन्दुओं का कत्लेआम तथा लूटपाट शुरू हो गई थी। इसको देखते हुए कुछ अंग्रेज सेनापतियों ने सलाह दी थी कि पाकिस्तान क्षेत्र से सभी हिन्दुओं को भारतीय क्षेत्र में ले आने के बाद ही सेना का विभाजन किया जाए। परन्तु नेहरू, गांधी न माने। उन्हें हिन्दुओं की हत्याओं की और हिन्दू स्त्रियों के अपहरण की बिल्कुल भी परवाह न थी।

13. पहले तो गांधी जी कहते रहे 'पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा' फिर पाकिस्तान का बनना स्वीकार करने के बाद कहते रहे कि जो जहां हैं वहीं रहे। इस कारण से पाकिस्तान के बहुत से हिन्दू जो भारत नहीं आए मुसलमानों द्वारा कत्ल कर दिए गए। पाकिस्तान में मारे जाने वाले हिन्दुओं के प्रति गांधी जी ने कभी सहानुभूति नहीं दिखाई।

14. गांधी जी का हिन्दू विस्थापितों पर प्रहार—विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में हिन्दुओं का नरसंहार हुआ। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी मुसलमानों की कुछ हत्याएं हुईं। ऐसी स्थिति में 12 जनवरी, 1948 को गांधी जी ने एक उपवास आरम्भ किया। उन्होंने धमकी दी कि वे आमरण उपवास रखेंगे यदि उनकी निम्नालिखित सात मांगें पूरी न की गईं।

1. हिन्दू मुसलमानों पर आक्रमण बन्द कर दें।

2. वे ऐसा वातावरण बनाएं कि एक भी मुसलमान असुरक्षा की भावना के कारण भारत न छोड़े।

3. जो मुसलमान पहले ही भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उनको वापिस बुलाना चाहिए और उनके घरों मे पुनः स्थापित करना चाहिए।

4. जो विस्थापित हिन्दू पाकिस्तान से भारत आ गए हैं और मुसलमानों के घरों में रह रहे हैं उनसे वे घर तुरन्त खाली करवाए जाएं तथा वे घर उन घरों के वास्तविक मुसलमान मालिकों को सौंप दिए जाएं।

5. जो मस्जिदें चले गए मुसलमानों द्वारा छोड़ दी गई हैं तथा अब जिनमें विस्थापित हिन्दू रह रहे हैं उन्हें तुरन्त खाली करवाया जाए और सरकारी खर्च पर उनकी मरम्मत करवा के मुसलमानों को सौंप दी जाएं।

6. विभाजन के दंगों में मुसलमानों को हुई हानि का मुआवजा उन्हें दिया जाए।

7. पाकिस्तान को रोकड़ बाकी का पचपन करोड़ रुपया दिया जाए।

हजारों विस्थापित हिन्दू जो अपने घरों, सम्पत्तियों, माल-असबाबों और परिवार के अनेक सदस्यों को पाकिस्तान में गंवाकर दिल्ली में आए थे और उन्होंने पाकिस्तान चले गए मुसलमानों द्वारा खाली की गई मस्जिदों में शरण ली थी, भारत की पुलिस ने उन असहाय हिन्दू शरणार्थियों को सन् 1948 की जनवरी की कड़कती ठण्ड में बलपूर्वक घसीट-घसीट कर मस्जिदों से बाहर निकाला और खुले आकाश के नीचे, सनसनाती बर्फीली हवाओं में गांधी जी की मांग पूरी करने के लिए सड़कों पर फेंक दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर रखा था ऐसी स्थिति में भी गांधी जी की मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपए दिए गए।

•

सर रेजिनाल्ड क्रेंडक (SIR REGINALD CRADDOCK) अंग्रेजी सरकार में एक बड़े अफसर थे। वे बर्मा के गवर्नर तथा भारतीय शासकीय सुधार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने गांधी जी के सम्बन्ध में लिखा है, "यह पूर्ण सत्य है कि शरीर पर नाममात्र कपड़े पहनने वाले उस हिन्दू संन्यासी का उन्मादपूर्ण प्रभाव बुद्धिमान लोगों पर अधिक समय तक नहीं रहता था, परन्तु अज्ञानी और अन्ध-विश्वासी लोगों पर उसका भयावह

प्रभाव होता है। (THE DILEMMA IN INDIA–लेखक सर रेजिनाल्ड क्रेंडक, प्रकाशित लन्दन में, पृष्ठ 115)

Reference–

I. Collected Works of Mahatma Gandhi by Gandhi Sevagram Ashram, Distt. Wardha.

II. Gandhi Heritage Portal, Young India.

EXTRACTS FROM DR. AMBEDKAR'S INTERVIEW TO BBC ON GANDHI JI IN 1955

As a politician he was never a Mahatma. I refuse to call him Mahatma. I have never in my life called him Mahatma. He does not deserve that title, not even from the point of view of his morality. I always met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent. I have a feeling that I know him better than most of the people because he had opened his real fangs to me. I could see the inside of the man when others who went there as devotees saw nothing of him except external appearance of him which he had put up of a Mahatma. I saw him in human capacity bare man in him.

Gandhi would vanish from the memory of the people of this country. His memory is kept alive because the Congress Party annually gives the holiday either on his birthday or some other day connected with some event in his life and has a celebration. Naturally, people's memory is revived. But if these artificial respirations were not given I think Gandhi would have been long ago forgotten.

Of course, in fact, he was all the time doing double dealing. He conducted two papers - one in English–'Harijan' before that 'Young India' and in Gujrati he conducted another paper called 'Deenbandhu'. If you read the two papers you will see how Mr. Gandhi was deceiving the people. In English paper he posed

himself as the opponent of Capitalism and advocate of democracy. If you read the Gujrati paper you will see him most orthodox man. He has been supporting the caste system, varnashram dharma and all the orthodox dogmas which kept India down all through ages and he had no dynamic thing in him.

All his talk of untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. This is one thing. Secondly, he wanted that the untouchables did not oppose his movement of Swaraj. I don't think beyond that he had any real motive of uplift. He wasn't like Garrison in the United States who fought for the Negros.

I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed to give independence to India. That is a secret matter. Mr. Attlee, one day, I think, will disclose in his autobiography how he came to that decision. No body ever expected this sudden change of his mind. From the analysis I make there are two things which led to the independence of India–one is National Army that was raised by Subhash Chandra Bose. Secondly, the British had been ruling this country with firm belief that whatever may happern in this country, whatever the politicians may do, they will never be able to change the loyalty of the soldiers. When they found that even the soldiers were seduced they changed their plans and decided to leave.

Note–Mr. Clement Attlee, who was the Prime Minister of Britain from 1945 to 1951, had come to India in 1956 and stayed in Kolkata as a guest of the then governor Mr. P.B. Chakraborthy of West Bengal. During the stay Mr. Chakraborthy asked Mr. Attlee–why they had to leave India. Mr. Attlee in his reply, cited several reasons, the principal among those being the erosion of loyalty to the British Crown among the Indian army and Navy

personnel as a result of the military activities of Netaji. Then Mr. Chakraborthy asked Mr. Attlee what was the extent of Gandhi's influence upon the British decision to quit India. Hearing this question, Attlee's lips become twisted in a sarcastic smile as he slowly chewed out the word–m-i-n-i-m-a-l.

डॉ. अम्बेदकर के द्वारा 1955 में गांधी जी पर बीबीसी को दिए साक्षात्कार के अंश

राजनीतिज्ञ के तौर पर वे महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा नहीं कह सकता। अपने जीवन में मैंने उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वे इस पदवी के अधिकारी नहीं हैं, नैतिकता के आधार पर भी नहीं। मैं गांधी जी से हमेशा एक विरोधी के रूप में ही मिला हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि गान्धी जी को मैं ज्यादातर लोगों से बेहतर जानता हूं क्योंकि उन्होंने अपना घिनौना रूप मेरे सामने प्रकट कर दिया था। मैं उनके अन्दर के व्यक्तित्व को देख सका, जबकि दूसरे लोग जो उनके श्रद्धालु बन के गए, उन्होंने उनके बाहरी रूप, जो उन्होंने महात्मा का बना रखा था, के सिवाए और कुछ भी नहीं देखा। मैंने उन्हें मनुष्य के रूप में स्पष्ट देखा।

गान्धी जी यहां के लोगों को याद भी नहीं रहेंगे। गान्धी जी की याद को जीवित रखा गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके जन्म-दिन पर या उनसे सम्बन्धित किसी और दिन पर हर वर्ष छुट्टी रखती है और उत्सव मनाती है। स्वाभाविकतौर पर लोगों की याद ताजा हो जाती है। यदि ये नकली सांस दिलाने की प्रक्रियाएं न होती तो मैं मानता हूं कि गान्धी जी बहुत पहले भुला दिए गए होते।

निस्सन्देह गान्धी जी हमेशा दोहरी चाल चलते थे। वे दो पत्रिकाएं निकालते थे–एक अंग्रेजी में 'हरिजन' उससे पहले 'यंग इण्डिया' और दूसरी गुजराती भाषा में 'दीनबन्धु'। यदि आप इन दोनों पत्रिकाओं को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि गान्धी जी लोगों को धोखा दे रहे थे। अंग्रेजी पत्रिका में वे अपने आपको पूंजीवाद का विरोधी और प्रजातन्त्र का समर्थक

बताते थे। यदि आप गुजराती पत्रिका पढ़ें आप उन्हें पूरी तरह से दकियानूसी पुरुष पाएंगे। वे जातपात, वर्गाश्रम व्यवस्था और सभी दकियानूसी सिद्धान्तों, जिन्होंने लम्बे समय तक भारत को नीचे गिराए रखा, के समर्थक रहे हैं और उनमें कोई गतिशीलता वाली बात नहीं थी।

अछूतोद्धार की उनकी सारी बातें अछूतों को कांग्रेस में लाने के लिए थी। यह तो एक बात है। दूसरा—वे चाहते थे कि अछूत उनके स्वराज के आन्दोलन का विरोध न करें। मैं नहीं मानता कि इनके सिवाए उनका अछूतोद्धार का कोई वास्तविक अभिप्राय था। वे अमेरिका के गैरिसन की तरह नहीं थे जो वहां के काले लोगों के लिए लड़े।

मुझे नहीं पता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ऐटले भारत को स्वतन्त्रता देने के लिए अचानक कैसे सहमत हो गए। यह एक गुप्त रहस्य है। मेरे विचार में श्री ऐटले एक दिन अपने आत्मचरित में इस बात का खुलासा करेंगे कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया। उनके अचानक इरादा परिवर्तन की किसी को भी आशा न थी। मेरे विश्लेषण के अनुसार दो कारणों से भारत को स्वतन्त्रता मिली। इनमें एक तो सुभाषचन्द्र बोस द्वारा बनाई आजाद हिन्द फौज। दूसरे—अंग्रेज देश पर पक्के विश्वास के साथ शासन कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, राजनीतिज्ञ कुछ भी कर लें, सैनिकों की वफादारी को वे नहीं बदल सकेंगे। जब उन्होंने देखा कि सैनिक भी उनके विरोधी हो गए हैं उन्होंने अपने विचार बदले और भारत को छोड़ने का निश्चय कर लिया।

नोट—श्री क्लेमेंट ऐटले, जो 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे, सन् 1956 में भारत आए थे और कोलकाता में पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री पी.बी. चक्रवर्ती के मेहमान के रूप में ठहरे थे। उस दौरान श्री चक्रवर्ती ने श्री ऐटले से पूछा था कि उन्हें भारत क्यों छोड़ना पड़ा। उत्तर में ऐटले न कई कारण बताए, उनमें प्रमुख नेता जी की सैनिक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप भारतीय सेना और नेवी के लोगों में अंग्रेजों के प्रति वफादारी की समाप्ति बताया। तब श्री चक्रवर्ती ने श्री ऐटले से पूछा कि भारत को छोड़ने में गांधी जी का कितना प्रभाव था। यह प्रश्न सुनकर ऐटले के होंठ ताने की मुस्कराहट के साथ टेढ़े हुए और वे धीरे से बुड़बड़ाए—कम-से-कम।

❑❑❑

स्वामी विवेकानन्द की विचारधारा

स्वामी विवेकानंद के विचार अद्वैत आश्रम कोलकाता द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित दो प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर दिए जा रहे हैं–

I. VIVEKANANDA–A Biography by Swami Nikhilananda, 33rd Reprint, July, 2016

II. Teachings of SWAMI VIVEKANANDA, 31st Reprint, January, 2016

मांसाहार

1. Orthodox brahmins regarded with abhorrence the habit of eating animal food. The Swami courageously told them about the eating of beef by the brahmins in Vedic times. One day, asked about what he considered the most glorious period of Indian history, the Swami mentioned the Vedic period, when 'five brahmins used to polish off one cow.' He advocated animal food for the Hindus if they were to cope at all with the rest of the world in the present reign of power and find a place among the other great nations. Book I, Pages 108-109

अर्थ–ब्राह्मण मांसाहार की आदत से घृणा करते थे। स्वामी विवेकानन्द ने उन्हें बताया कि वैदिक काल में ब्राह्मण गोमांस खाते थे। एक दिन यह पूछे जाने पर कि भारत के इतिहास में वे कौन-सा काल सबसे अधिक गौरवपूर्ण मानते हैं, तब स्वामी जी ने कहा कि वैदिक काल 'जब पांच ब्राह्मण एक गाय को चट कर जाते थे।' स्वामी जी कहते थे कि यदि हिन्दू

शेष संसार से मुकाबला करना चाहते हैं और बड़े राष्ट्रों में स्थान बनाना चाहते हैं तो उन्हें मांस खाना चाहिए।

2.To the accusation from some orthodox Hindus that the Swami was eating forbidden food at the table of infidels, he retorted :

Do you mean to say I am born to live and die as one of those caste-ridden, superstitious, merciless, hypocritical, atheistic cowards that you only find among the educated Hindus? I hate cowardice. I will have nothing to do with cowards. I belong to the world as much as to India, no humbug about that. What country has a special claim on me? Am I a nation's slave?....I see a greater power than man or God or Devil at my back. I require nobdoy's help. I have been all my life helping others.

To another Indian devotee he wrote in similar vein :

....If the people of India want me to keep strictly to my Hindu diet, pleae tell them to send me a cook and money enough to keep him. Book I, Page 144

अर्थ–जब कुछ हिन्दुओं ने स्वामी विवेकानन्द पर आरोप लगाया कि वे विधर्मियों के साथ निषिद्ध खाना खा रहे हैं, तब स्वामी जी बोले–क्या तुम समझते हो कि मैं उन पढ़े-लिखे हिन्दुओं में से एक जीने और मरने के लिए पैदा हुआ हूं जो जातपात में फंसे, अन्ध-विश्वासी, निर्दयी, पाखण्डी, नास्तिक भीरु (डरपोक) हैं। मैं भीरुता से नफरत करता हूं। भीरुओं के साथ मैंने कुछ नहीं करना। मेरा जितना सम्बन्ध भारत से है उतना ही सम्बन्ध संसार से है, इसमें झूठ नहीं है। किस देश का मेरे ऊपर विशेष अधिकार है? क्या मैं देश का गुलाम हूं?....मैं अपने पीछे एक शक्ति को देखता हूं जो मनुष्य से, परमात्मा से और शैतान से भी बड़ी है। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं सारी उमर दूसरों की सहायता करता रहा हूं।

एक और भारतीय श्रद्धालु को उन्होंने लिखा....यदि भारत के लोग चाहते हैं कि मैं दृढ़ता से हिन्दू भोजन पर ही रहूं तो कृपया उन्हें कह दो कि

वे मेरे लिए एक रसोइया भेज दें और उस पर जो खर्च आए वह भी भेज दें।

3. Is God a nervous fool like you that the flow of His river of mercy would be dammed up by a piece of meat? If such be He, His value is not a pie. Book II, Page 70

अर्थ–क्या परमात्मा तुम्हारी तरह घबराया हुआ मूर्ख है कि मांस के एक टुकड़े से उसकी दया रूपी नदी का प्रवाह रुक जाएगा। यदि वह ऐसा है तो उसका मूल्य एक पाई भी नहीं है।

4. The taking of life is undoubtedly sinful. But so long as vegetable food is not made suitable to the human system, through progress in Chemistry, there is no alternative but meat-eating. So long as man shall have to live a Rajasika (active) life under circumstances like the present, there is no other way except through meat-eating. Book II, Page 70

अर्थ–जीवों को मारना निस्सन्देह पाप कर्म है। परन्तु जब तक रसायन शास्त्र के द्वारा शाकाहार को मनुष्य शरीर के उपयुक्त नहीं बनाया जाता तब तक मांसाहार के बिना कोई विकल्प नहीं है। जब तक मनुष्य को राजसी जीवन जीना पड़ेगा जैसा कि आज के हालात में है, मांसाहार के सिवाए कोई चारा नहीं है।

5. Rather let those belonging to the upper ten, who do not earn their livelihood by manual labour, not take meat; but the forcing of vegetarianism upon those who have to earn their bread by labouring day and night, is one of the causes of the loss of our national freedom. Book II, Page 70-71

अर्थ–ऊपर के दस लोग जो शारीरिक मेहनत से रोजी रोटी नहीं कमाते बेशक मांस न खाएं, पर जो लोग दिन-रात मेहनत करके जीवन यापन करते हैं उनके ऊपर शाकाहार थोपना हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता छिनने का एक कारण है।

6. I say, eat large quantities of fish and meat, my boy!
Book II, Page 71

अर्थ–मेरे लड़के, मैं कहता हूं, मछली और मांस खूब खाओ।

7. To eat meat is surely barbarous and vegetable food is certanly purer–who can deny that? Book II, Page 71

अर्थ–मांस खाना निश्चित तौर पर राक्षसी है और शाकाहार निस्सन्देह पवित्र है–इस बात से कौन इनकार कर सकता है?

इस्लाम

1. Therefore we are firmly persuaded that without the help of practical Islam, the theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirely valuless to the vast mass of mankind. Book I, Page 284

अर्थ–इसलिए हमें दृढ़ विश्वास है कि व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना वेदान्त के सिद्धान्त, कितने ही अच्छे और विलक्षण क्यों न हो आम लोगों के लिए किसी काम के नहीं।

2. For our own motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam–Vedantic brain and Islamic body–is the only hope. Book I, Page 284

अर्थ–हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान व्यवस्थाओं हिन्दुत्व तथा इस्लाम–वेदान्त दिमाग और इस्लामिक शरीर–का मेल ही एकमात्र आशा है।

3. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedantic brain and Islamic body. Book I, Page 285

अर्थ–मैं अपने मन में वेदान्तिक दिमाग और इस्लामिक शरीर के द्वारा भविष्य का श्रेष्ठ भारत देखता हूं जो इस झगड़े और मुसीबत से निकला होगा और शानदार और अजेय होगा।

4. The Mohammedans came upton them slaughtering and killing : slaughtering and killing they overan them.

Book II, Page 151

अर्थ–मुसलमान भारतीयों को कत्ल करते हुए आए। कत्ल करते हुए उन्होंने भारतीयों को रौंद डाला।

5. For instance, the Mohammedan religion allows Mohammedans to kill all who are not of their religion. It is clearly stated in the Koran, "Kill the infidels if they do not become Mohammedans". Book II, Page 189

अर्थ–उदाहरण के तौर पर, मुसलमानों का मजहब मुसलमानों को उन सभी को मारने की आज्ञा देता है जो उनके मजहब के नहीं हैं। यह कुरान, में स्पष्टतौर पर बताया गया है, "दूसरे मजहब वाले अगर मुसलमान नहीं बनते तो उन्हें जान से मार डालो।"

अमरीकी महिलाएं

1. Well, I am almost at my wit's end to see the women of this country (USA). They take me to the shops and everywhere, as if I were a child. They do all sorts of work–I cannot do even a sixteenth part of what they do. They are like Lakshmi (the Goddess of Fortune) in beauty, and like Saraswati (the Goddess of Learning) in virtues–they are the Divine Mother incarnate, and worshipping them, one verily attains perfection in everything. Great God! Are we to be counted among men? If I can raise a thousand such Madonnas–Incarnations of the Divine Mother–in our country, before I die, I shall die in peace. Then only will your countrymen become worthy of their name. I am realy struck with wonder to see the women here.

Book II, Page 136-137

अर्थ–यहां (अमेरिका) की स्त्रियों को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया है। वे मुझे दुकानों पर तथा हर स्थान पर ले जाती हैं जैसे कि मैं एक बच्चा हूं। वे सभी प्रकार के काम करती हैं–मैं उसका सोलहवां भाग भी नहीं कर सकता जो वे करती हैं। वे सुन्दरता में लक्ष्मी (भाग्य की देवी) की तरह हैं

और अच्छाइयों में सरस्वती (विद्या की देवी) की भान्ति हैं–वे दैवी मां की अवतार हैं, और उनकी पूजा करके मनुष्य हर क्षेत्र में निश्चित तौर पर पूर्णता प्राप्त करता है। ईश्वर महान है! क्या हम पुरुषों में गिने जाएं? अगर मैं मरने से पहले अपने देश में ऐसी एक हजार मेडोना–दैवी मां की अवतार तैयार कर सका तो मैं शान्ति से मरूंगा। तभी आपके देश के आदमी अपने नाम को सार्थक करेंगे। यहां की स्त्रियों को देखकर मैं सचमुच हैरान हूं।

2. India cannot yet produce great women, she must borrow them from other nations. Book I, Page 289

अर्थ–भारत अभी महान स्त्रियों को पैदा नहीं कर सकता, उसे उन्हें दूसरे देशों से उधार लेना ही पड़ेगा।

पंथ (मजहब)

1. At World's Parliament of Religions, Chicago, 11 September, 1893

We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true.

अर्थ–हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते अपितु हम सभी पंथों (मजहबों) को सत्य स्वीकार करते हैं।

2. All religion are, at bottom, alike. Book II, Page 40

अर्थ–मूल रूप से सभी पंथ (मजहब) एक जैसे हैं।

ईसामसीह

1. If I, as an Oriental have to worship Jesus of Nazareth, there is only one way left to me, that is, to worship him as God and nothing else. Book II, Page 34

अर्थ–यदि मुझे एक पूर्वीय के तौर पर ईसामसीह की पूजा करनी हो, तो सिर्फ एक तरीका बचा है, वह है, उसे भगवान मान कर और कुछ नहीं।

2. The Christ who is the Incarnation of God, who has not forgotton His divinity, that Christ can help us, in Him there is

no imperfection. Book II, Page 36

अर्थ–ईसामसीह जो ईश्वर का अवतार है, जिसने अपना देवतापन नहीं भुलाया है, वह ईसामसीह हमारी सहायता कर सकता है, उसमें कोई कमी नहीं है।

मूर्तिपूजा

God is eternal, without any form, omnipresent. To think of Him as possessing any form is blasphemy.

Book II, Page 138

अर्थ–परमात्मा सदा से है और सदा रहने वाला है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, वह सर्वत्र व्यापक है। यह सोचना कि उसकी कोई शक्ल सूरत है परमात्मा का अपमान करना है।

पश्चिमी देशों से सहायता

It has ever been my conviction that we shall not be able to rise unless the Western Countries come to our help.

Book I, Page 285

अर्थ–मैं हमेशा से ऐसा मानता रहा हूं कि यदि पश्चिमी देश हमारी सहायता करने के लिए नहीं आते हम उन्नति नहीं कर सकेंगे।

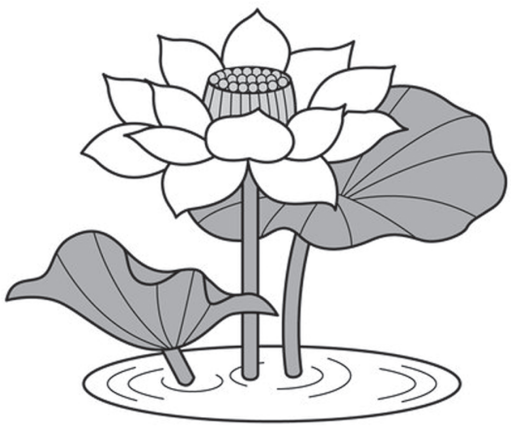

भारतवर्ष की बदहाली के मूल कारण

1. न्याय व्यवस्था—देश में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार के लिए हमारी न्याय व्यवस्था विशेष रूप से जिम्मेदार है। अपराधी को जो दण्ड चार-छः महीनों में मिल जाना चाहिए उसमें पन्द्रह-बीस वर्ष लग जाते हैं। राम रहीम के खिलाफ बलात्कार की शिकायत सन् 2002 में की गई थी। उसे दण्ड 2017 में मिला। बीच के पन्द्रह साल में उसने जो अपराध किए उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इस देरी के कारण से लोगों में न्यायालयों का और दण्ड का भय नहीं रहा। माना भी जाता है—Justice delayed is justice denied. **अर्थ**—यदि न्याय देने में देरी होती है तो वह न्याय नहीं रहता।

इतना ही नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था बहुत मंहगी, बहुत पेचीदा और भ्रष्ट है। हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए लूटने वाले बड़े अपराधी नेताओं को शायद ही कभी सजा होती है और उनकी लूटी हुई सम्पत्ति शायद ही कभी जब्त होती है। दूसरी तरफ—गरीब आदमी को छोटे से अपराध में ही लम्बे समय तक जेल में रहना पड़ता है। बहुत से गरीब लोग तो जमानत के अभाव में बिना अपराध ही जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं। देश के नागरिकों के खिलाफ यह बड़ा अपराध है जो सरकारी तन्त्र के द्वारा किया जाता है।

एक और बड़ी विडम्बना—नीचे की अदालत कोई फैसला देती है और ऊपरी अदालत उस फैसले को पलट देती है तो नीचे की अदालत को गलत फैसला देने की सजा क्या है, शायद कोई नहीं। न्यायाधीश अपने फैसलों के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं?

2. जनसंख्या वृद्धि—देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस कारण से कोई भी आर्थिक सुधार सफल नहीं हो पा रहा। देश में जमीन तथा अन्य

साधन सीमित हैं। बढ़ती आबादी में जरूरत की वस्तुएं सभी को उपलब्ध करवाना सम्भव न होगा। अब भी देश में बीस करोड़ लोगों को पेटभर खाना नहीं मिलता, वे भूखे पेट सोते हैं। इससे भी अधिक लोग मकानों के अभाव में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। अतः जनसंख्या पर नियन्त्रण करने की परम आवश्यकता है।

जनसंख्या वृद्धि के दो कारण हैं—(एक) शिक्षा का अभाव। सांख्यिकी (Statistics) के हिसाब से जो लोग जितने ज्यादा पढ़े-लिखे हैं उनके बच्चे उतने ही कम हैं और जो लोग कम पढ़े हैं या अनपढ़ हैं उनके बच्चे ज्यादा हैं। खेद है कि स्वतन्त्र भारत की सरकारों ने 70 वर्षों में देश को शिक्षित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। दूसरा कारण—मुसलमान मानते हैं कि उनके मजहब में परिवार नियोजन वर्जित है अर्थात बच्चों की उत्पत्ति को रोकना इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों का परिवार नियोजन को न मानने का एक और बड़ा कारण यह है कि वे मुसमलानों की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ाना चाहते हैं जिससे सारे संसार में इस्लाम का और शरीया का शासन लाया जा सके। भारत की सरकारें इस विषय पर मौन है। सरकारों का इस विषय पर मौन रहना देश के लिए घातक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश हित में जनसंख्या नियन्त्रण पर दृढ़ता से अमल करवाए।

3. आरक्षण—हमारे देश की आरक्षण की व्यवस्था न न्यायसंगत है और न ही राष्ट्रहित में है। यह सरकारों की अयोग्यताओं और विफलताओं के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास मात्र है। कुछ थोड़े से लोगों को सरकारी सुख-सुविधाएं दे देना, और शेष बहुत से योग्य व्यक्तियों को उनके हाल पर छोड़ देना—यह जनता में फूट डालकर शासन करने की बात तो हो सकती है, राष्ट्र निर्माण की कतई नहीं। आरक्षण नीति से योग्यता निरुत्साहित हुई है और अयोग्यता को बढ़ावा मिला है, देश के नौजवानों में असन्तोष और निराशा पैदा हुई है। इससे देश में द्वेष बढ़ा है, गुणवत्ता और कार्य कुशलता घटी है, राष्ट्र कमजोर हुआ है।

रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्रदान करें।

4. अनेकता में एकता कैसी?—भाषा के आधार पर अलग-अलग प्रान्त, मजहब के आधार पर अलग-अलग कानून, जातपात के आधार पर अलग-अलग सुविधाएं, अल्पसंख्यक/बहुसंख्यक के नाम पर बंटवारा—ये अलग-अलग व्यवस्थाएं देश को जोड़ नहीं रहीं, अपितु तोड़ रही हैं। हमारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी बारम्बार बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि 'अनेकता में एकता' हमारी बड़ी ताकत है। मुसलमानों का देश के लिए एक से कानून (Uniform Civil Code) न बनने देना—क्या यह देश की बड़ी ताकत है? आरक्षण पर योग्य नौजवानों का आक्रोश—क्या यह देश की बड़ी ताकत है? क्या धारा 370 देश की बड़ी ताकत है? अयोध्या में राम मन्दिर पर हिन्दुओं और मुसलमानों में गतिरोध क्या देश की बड़ी ताकत है? आदि आदि। व्यक्तिगत विषयों में अनेकता रहती है, परन्तु सार्वजनिक और राष्ट्रीय विषयों में एकता का होना परम आवश्यक है जैसे सड़क पर बाईं ओर वाहन चलाने का कानून सबके लिए एक समान है। अनेकता से तो देश में विघटन, बिखराव और टकराव ही पैदा होते हैं।

और भी, एकता तो समता में होती है, विषमता में नहीं। सधवा और विधवा में मित्रता नहीं होती, अमीर और गरीब की दोस्ती नहीं होती, भेड़ और भेड़िए की दोस्ती नहीं होती। दोस्ती और एकता तो सधवा की सधवा से, विधवा की विधवा से, अमीर की अमीर से, गरीब की गरीब से, भेड़ की भेड़ से और भेड़िए की भेड़िए से ही होती है। क्या गोभक्त और गोघातक में एकता सम्भव है?

5. साम्प्रदायिकता—भारतवर्ष में बड़ा झूम-झूम कर गाया जाता है—'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना' और इसका अर्थ लगाया जाता है कि कोई भी मजहब किसी भी दूसरे मजहब से वैर करना नहीं सिखाता। यह बात उतनी ही गलत, झूठी और छलपूर्ण है जितनी कि जहर की पुड़िया को संजीवनी बता कर खिला देना। इतिहास गवाह है कि संसार में जितनी मार-काट, लूट-पाट, अत्याचार विभिन्न मजहबों के कारण हुए हैं और हो रहे हैं उतने और किसी भी कारण से नहीं हुए। अलग मजहब के कारण ही सन् 1939 से 1945 के बीच जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने साठ लाख यहूदियों को मौत के घाट उतरवा दिया था। विभिन्न मजहबों के

कारण ही सन् 1947 में भारत विभाजन के समय छः लाख निर्दोष लोग मारे गए थे। अलग मजहब के कारण ही सन् 1990 में कश्मीर से चार लाख हिन्दुओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। अलग मजहब के कारण ही सन् 1978 से 1995 के बीच पंजाब में हिन्दुओं को बसों से, गाड़ियों से और घरों से निकालकर गोलियों का निशाना बनाया गया था तथा बड़ी संख्या में हिन्दुओं को पंजाब छोड़ना पड़ा था। अलग मजहब के कारण ही पाकिस्तान में हिन्दू 15 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत रह गए हैं और बंगलादेश में हिन्दू 30 प्रतिशत से घट कर 8 प्रतिशत रह गए हैं। फिर भी सच्चाई से मुंह मोड़ लेना ऐसे है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें मीच ले और सोच ले कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी।

6. सर्वधर्म समभाव—अर्थात सभी मजहबों के प्रति एक जैसी भावना रखो। यह एक गलत उपदेश है। एक मुसलमान हिन्दूमत के प्रति इस्लाम जैसी भावना कैसे रख सकता है। वह तो हिन्दू को काफिर मानता है और काफिर के प्रति उनके मजहब में दो ही विकल्प हैं—उसे मुसलमान बना लेना या उसका कत्ल कर देना। एक गोभक्त गोघातक के प्रति सद्भावना कैसे रख सकता है। इसलिए यह एक कपटपूर्ण कसरत है जिसे सिर्फ हिन्दू ही करते हैं। दुनिया में और किसी मजहब का आदमी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करता।

7. रिश्वत सम्बन्धी कानून—देश में रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध माने जाते हैं। इसी व्यवस्था के कारण लगभग हर छोटे बड़े दफ्तर में रिश्वत के बिना कोई फाइल आगे नहीं सरकती और लोगों का कोई काम नहीं किया जाता। आम लोगों को दफ्तरों से जो काम पड़ते हैं वे जायज ही होते हैं। नाजायज काम तो शायद ही कभी किसी का हो। इसलिए रिश्वत कोई भी देना नहीं चाहता। पर दफ्तर के मुलाजिमों द्वारा लोगों को नाजायज तंग किया जाता है, फालतू के चक्कर कटवाए जाते हैं और रिश्वत की मांग की जाती है। लोगों को बेबस होकर रिश्वत देनी पड़ती है।

यदि सरकार सचमुच रिश्वत का धंधा समाप्त करना चाहती है और लोगों का जीवन सरल बनाना चाहती है तो उसे कानून को बदलना होगा। कानून में रिश्वत लेना अपराध हो, देना नहीं।

8. नौकरी की सुरक्षा (Security of Service)—इस व्यवस्था के चलते किसी भी सरकारी नौकर को नौकरी से हटाना बेहद कठिन काम है। इस कारण से ही सरकारी नौकर जनता की परवाह नहीं करते, काम भी अपनी मर्जी से करते हैं या नहीं करते, जनता को तंग करके उनसे घूस लेते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी पाने के लिए मोटी-मोटी धन राशियां रिश्वत के तौर पर दी और ली जाती हैं। अतः यह व्यवस्था भ्रष्टाचार उत्पादक है, अकुशलता को बढ़ावा देने वाली है और जनता विरोधी है।

इसी कारण से सरकार दफ्तरों में काम के लिए लोगों को एड्हाक अर्थात कच्चेतौर पर रखती है। ऐसे मुलाजिमों से काम अधिक लेती है, तनख्वाह पक्के मुलाजमों के मुकाबले बहुत कम देती है और जब चाहें उन्हें निकाल सकती है। यह अन्याय और दुर्व्यवस्था है। इसकी जड़ में भी नौकरी की सुरक्षा ही है।

9. सरकारी अफसरों के पास अधिकार—सरकारी अफसरों के पास बहुत अधिक अधिकार हैं। जनता के सही काम को गलत और गलत को सही ठहराना उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। ऐसे अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जज चाहे जितना मर्जी गलत फैसला दे दें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। राष्ट्र के पतन का यह एक बड़ा कारण है। इस प्रकार से मार जनता पर ही पड़ती है।

10. सरकारी मुलाजिमों का निलम्बन (Suspension)—घोटाले आदि के आरोप में सरकारी मुलाजिम को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाता है। फिर सारी सरकारी मशीनरी उसे बचाने में लग जाती है। कुछ समय एनक्वारी का ड्रामा कर उसे नौकरी पर फिर बहाल कर दिया जाता है। किसी बिरले को ही सजा दी जाती है। यह नाटक भी खूब चल रहा है देश में।

11. सरकारी अफसरों की बदलियां—सरकारी अफसरों को सरकार अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। यह एक बड़ा भ्रष्टाचार और घोटालों का धन्धा है। एक सरकारी अफसर ने एक स्थान पर गलत काम किए, उसकी किसी दूसरे स्थान पर बदली कर दी जाती है। यह सजा नहीं, इनाम है क्योंकि नए स्थान पर वह स्वच्छ (Clean) माना जाता

है। दूसरी बात–कुछ अफसर अपनी बदली करवाने के लिए या बदली रुकवाने के लिए रिश्वत देते हैं। कुछ बदलियां तो की ही इसलिए जाती हैं कि अफसर अपनी बदली रुकवाने के लिए रिश्तवत देंगे। वाह री मेरी सरकार की व्यवस्था!

12. शासकों को सुविधाएं–देश में विधायकों, सांसदों, मन्त्रियों और अफसरों को सरकार की तरफ से तनख्वाह, कार, कोठी, नौकर, ड्राइवर तथा यात्रा, चिकित्सा भत्ते आदि सुविधाएं इतनी अधिक दी जाती है कि वे अपने आपको आम जनता से बहुत अलग तथा ऊपर मानने लगते हैं। यह प्रजातन्त्र के नाम पर लूटतंत्र है और जनता से छल है। वास्तविक प्रजातन्त्र में विधायक, सांसद, मन्त्री, अफसर आदि जनता के सेवक होते हैं, मालिक नहीं।

13. हमारी आयकर प्रणाली–यह विषमता को बढ़ाने वाली और अमीरों के पक्ष में है। इसका कारण है–परिवार के सभी सदस्यों की आय पर आयकर से अलग-अलग छूट। उदाहरण–एक अमीर परिवार में पति, पत्नी और तीन नाबालिग अविवाहित बच्चे हैं। वह परिवार प्रत्येक सदस्य के नाम पर व्यवसाय आदि दिखाकर लगभग $3,00,000 \times 5 = 15,00,000$ रुपए सालाना आय करने पर भी आयकर से मुक्त है। दूसरी तरफ उतने ही सदस्यों का एक साधारण परिवार है जिसमें केवल परिवार का मुखिया ही काम करता है और साल में 4,00,000 रुपए कमाता है। उसे 3,00,000 से ऊपर की आय पर आयकर देना होता है। इस दुर्व्यवस्था को ठीक करने के लिए पति, पत्नी और नाबालिग अविवाहित बच्चों की (सबकी) आय को इक्कठा (club) करके उस पर आयकर लगना चाहिए।

14. कर्ज न लौटाने वाले और आत्महत्या करने वाले किसानों को इनाम–राजनैतिक दलों में होड़ लगी है वोट के लिए किसानों के कर्ज माफ करने की। इसका अर्थ है कि जिन किसानों ने बैंक आदि से कर्ज तो लिया पर लौटाया नहीं, सरकार उनके कर्ज सरकारी खजाने से भरती है। इससे एक बात तो यह है कि यह ईमानदार करदाताओं के धन का दुरुपयोग है और उनकी राष्ट्रभक्ति को निरुत्साहित करना है। दूसरा–जिन किसानों ने कर्ज तो लिए पर लौटाकर अपना फर्ज पूरा नहीं किया उन्हें इस बात का

इनाम मिला। तीसरे–जिन किसानों ने अपने कर्ज स्वयं पहले ही लौटा दिए वे अपने आपको ठगा-ठगा महसूस करते हैं और आगे के लिए समझ लेते हैं कि कर्ज तो लो पर लौटाओ नहीं।

और भी, जो किसान अपने ऊपर कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेता है, हमारी सरकारें उसके परिवार वालों की आर्थिक सहायता करती है। क्या सरकारों का यह कदम आत्महत्या करने का इनाम और आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला नहीं है? ये दोनों कदम अन्यायपूर्ण तथा गलत मानसिकता पैदा करने वाले हैं।

सरकार को अगर किसानों की सहायता करनी है तो उसे किसानों के जीते जी करनी चाहिए, वह भी कर्ज माफी के रूप में नहीं, अपितु उन्हें सक्षम बनाकर।

15. आत्महत्या का दोषी कौन?–आत्महत्या करने वाला व्यक्ति (A) लिख कर रख जाता है कि व्यक्ति (B) ने उसे तंग किया, इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। सरकार उस व्यक्ति (B) को उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के दोष में पकड़कर दण्डित करती है। क्या अजीब न्याय हैं? दोषी तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है और दण्ड दूसरे को दिया जाता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जीते जी उस व्यक्ति (B) की शिकायत करे, अगर सरकार शिकायत का निवारण न करे तो सरकार दोषी। परन्तु व्यक्ति (A) की आत्महत्या के लिए व्यक्ति (B) तो कतई दोषी नहीं है।

16. हमारा संविधान–बेहद बड़ा है, सम्भवतः संसार में किसी भी दूसरे देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। यह जितना अधिक बड़ा है उतना ही आधिक अस्पष्ट भी है। यह देश को जोड़ने वाला नहीं हैं, तोड़ने वाला है। यह भ्रष्टाचार को जन्म देता है और पालता है। राजनयिक लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी मर्जी से इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। अब तक इसमें एक सौ के लगभग संशोधन (परिवर्तन) हो चुके हैं। फिर भी यह राष्ट्र का निर्माण करने में पूरी तरह असफल रहा है। संविधान छोटा, स्पष्ट, देश को जोड़ने वाला, भ्रष्टाचार निरोधक और राष्ट्र का श्रेष्ठ निर्माण करने वाला होना चाहिए।

17. हस्ताक्षर करने का ढंग–हमारे देश में किसी भी दस्तावेज

(Document) पर हस्ताक्षर करने का तरीका बड़ा बेढ़ंगा है। उसे कोई पढ़ नहीं सकता, जान नहीं सकता कि हस्ताक्षर किस नाम के व्यक्ति ने किए है। यह प्रथा लोगों को अन्धेरे में रखकर धोखा देने की है। अतः दस्तावेज पर हस्ताक्षर के नाम पर व्यक्ति अपना नाम स्पष्टतौर पर लिखे, यही उचित होगा।

18. देश के कानून—उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड में विलियम ग्लैडस्टन नाम के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने लिखा है—

It is the duty of the government to make it difficult for people to do wrong, easy to do right. ....Good laws make it easy to do right and hard to do wrong.

अर्थ—यह सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए गलत काम करना कठिन और सही काम करना आसान बनाए।....अच्छे कानून सही काम करना आसान बनाते हैं और गलत काम करना कठिन। परन्तु भारत में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है।

19. कुरान और इस्लाम—कुरान मुसलमानों का पवित्रतम ग्रन्थ है। कुरान की हर बात को मानना मुसलमानों के लिए अनिवार्य है और कुरान में लिखी किसी बात पर भी शक करना इस्लाम में अपराध है। कुरान में हर गैर-मुसलमान को काफिर कहा गया है और काफिर को प्रताड़ित करना, मौत का डर दिखाकर उसे मुसलमान बनाना, उसे जान से मार देना, उसकी लड़कियों और स्त्रियों से बलात्कार करना, उसकी सम्पत्ति को जलाना-लूटना—ये सब काम हर मुसलमान के लिए कर्त्तव्य बताए गए हैं। गैर-मुसलमान को अपने हाथ से मारने वाला मुसलमान सबसे बड़ी पदवी 'गाजी' की पाता है। गैर-मुसलमानों पर सब प्रकार से अत्याचार करने का नाम जेहाद है और जेहाद इस्लाम में सबसे अधिक पवित्र काम माना गया है।

और भी—मुसलमान राष्ट्रहित के कामों में रुकावट डालते हैं और होने नहीं देते। देश में एक समान कानून नहीं बनने देते, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं लगाने देते, गोहत्या पर पाबन्दी लगाने के विरोधी हैं, देशहित में अपने मुर्दे जलाने को तैयार नहीं, राष्ट्रगान 'वन्देमातरम्' गाने में उन्हें आपत्ति है। मुस्लिम महिलाओं के लिए समता का कानून भी वे नहीं चाहते।

उन्हें दबी कुचली ही रखना चाहते हैं। मदरसों में मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं जो उन्हें दूसरे मजहब वालों से नफरत करना सिखाती है। मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के दौरान मुसलमानों को गैर-मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाता है। कुरान या मुहम्मद के खिलाफ कोई कुछ बोलदे या लिख दे उसके खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया जाता है। क्या यह स्थिति राष्ट्रहित में है?

20. अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार—हमारे कुछ राजनेता, तथाकथित बुद्धिजीवी और धर्म के ठेकेदार भारत में अंग्रेजी शासन को खूब कोसते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अंग्रेजों ने देश का श्रेष्ठ निर्माण किया है, अच्छे कानून दिए हैं, समाज की बहुत-सी बुराइयों को दूर किया है, अत्याचारी इस्लामी शासन से छुटकारा दिलाया है, दूसरे उन्नत देशों से व्यवहार करने के लिए तथा उनसे तकनीकी (Technology) लेने के लिए अंग्रेजी भाषा दी है।

दूसरी तरफ—मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने देश की जनता पर सब प्रकार के अत्याचार किए, हिन्दुओं पर जजिया टैक्स लगाया, हिन्दुओं के हजारों मन्दिर और मूर्तियां तोड़ीं, करोड़ों हिन्दुओं को मौत के घाट उतारा, करोड़ों को मौत का डर दिखाकर मुसलमान बनाया, हिन्दुओं की बहिन बेटियों से बलात्कार किया, हिन्दुओं की सम्पत्ति को जलाया और लूटा, हिन्दुओं को अन्याय से दण्ड दिया आदि। फिर भी अंग्रेजों को गालियां देना और मुसलमानों के सम्बन्ध में मुंह बन्द रखना—यह बड़ी कृतध्नता, कायरता और दुष्टता नहीं तो और क्या है?

भारत की झूठी पंथनिरपेक्षता

पंथनिरपेक्षता (Secularism) का अर्थ है कि देश का कोई भी कानून किसी पंथ, सम्प्रदाय, मजहब (religion) के आधार पर न हो। भारत को छोड़ सारा संसार इसी परिभाषा को मानता है और शब्दकोष में भी पंथनिरपेक्षता का यही भाव है। बेशक हमारे संविधान की उद्देशिका (preamble) में भी देश को पंथनिरपेक्ष बनाने की बात कही गई है, परन्तु संविधान के अन्दर बहुत-सी ऐसी धाराएं हैं जो उपरोक्त धारणा की धज्जियां उड़ाते हुए विभिन्न मजहबों के आधार पर बनाई गई हैं तथा व्यवहार में भी विभिन्न मजहबों के लिए अलग-अलग कानून तथा व्यवस्थाएं अपनायी गई हैं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में तलवार (एक हथियार) धारण करने और लेकर चलने का अधिकार केवल सिखों को दिया गया है। अनुच्छेद 30 में मजहब या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार सम्बंधी कानून 'हिन्दू कोड बिल' केवल हिन्दुओं के लिए है। मुस्लिम पर्सनल ला मुसलमानों के लिए है। गुरुद्वारा एक्ट सिखों से सम्बन्धित है। तलाक की अवस्था में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिलाने के लिए देश के न्यायालयों के दरवाजे बन्द कर दिये गये हैं और मुस्लिम महिला (तलाक में सुरक्षा) कानून 25/1986 बना दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर प्रान्त को शेष भारत से अलग कर विशेष अधिकार प्रदान करता है। मुसलमानों को हज यात्रा के लिए हर वर्ष अरबों रुपये की सब्सिडी (Subsidy) सरकारी कोष से दी जाती है। संसार में और कोई देश ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को हज की

यात्रा करवाने के लिए जनता से प्राप्त टैक्स का धन खर्च करता हो।

किसी भी दूसरे देश में जो व्यक्ति सारे देश के लिए तथा सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था की बात करता है वह पंथनिरपेक्ष माना जाता है और जो अलग-अलग कौमों के लिए अलग-अलग कानून की मांग करता है वह साम्प्रदायिक माना जाता है। परन्तु भारत में स्थिति उसके उलट है। सबके लिए समान कानून की मांग करने वाला व्यक्ति साम्प्रदायिक माना जाता है। मुसलमानों को हज यात्रा के लिए सब्सिडी देना सारी दुनिया में पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन माना जाता है। पर भारत सरकार इसे पंथनिरपेक्षता का सबूत मानती है और उसका विरोध करने वाले को साम्प्रदायिक मानती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत सरकार पंथनिरपेक्षता की सर्वमान्य परिभाषा को स्वीकार नहीं करती, बल्कि उसके उलट चलती है। जहां पश्चिमी देशों में पंथनिरपेक्षता बुद्धिवाद, मानवता और सार्वभौमिकता के लिए खड़ी है वहीं भारत में यह बुद्धिहीनता, अमानवता और तंगदिली की परिचायक है तथा वोट बैंक के लिए संरक्षण का काम करती है। इससे समाज में और राष्ट्र में विघटन, अन्याय और विद्वेष पैदा हुए हैं।

'सर्वधर्म समभाव' का नारा देकर ऐसी ही एक झूठी कसरत भारत सरकार ने की है। अर्थात सब मजहबों को समान दृष्टि से देखो। यह कैसे सम्भव है? इस्लाम में गैर-मुसलमान को काफिर माना गया है और जिहाद के नाम से काफिरों पर अत्याचार करना, उन्हें गुलाम बनाना, उनका कत्ल करना, उनकी सम्पत्ति को लूटना, उनकी बहन-बेटियों का अपहरण करना और उनके साथ बलात्कार करना बड़ा पवित्र माना गया है तथा स्वर्ग में जाने का साधन माना गया है। और भी, इस्लाम में एक मुसलमान को गैर-मुसलमान से मित्रता करने से रोका गया है और जो मुसलमान किसी गैर-मुसलमान से मित्रता करता है वह भी काफिर माना जाता है। मुसलमान गाय का कत्ल करना जायज मानते हैं जबकि हिन्दू गाय को मारना महापाप मानते हैं।

ऐसा ही झूठा सन्देश देने वाला गीत 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना' बड़ा झूम-झूम कर गाया और पढ़ाया जाता है। जबकि इतिहास

गवाह है कि संसार में जितनी मार-काट, लूट-पाट, बलात्कार और अत्याचार इस्लाम के अनुयाइयों ने मजहब के नाम पर गैर-मुसलमानों पर किये हैं और किसी भी कारण से नहीं हुए। मजहब के कारण ही भारत से कटकर पाकिस्तान और बंगलादेश अलग देश बने थे। मजहब के कारण ही वहां पर हिन्दुओं पर अथाह अत्याचार हुए तथा उन्हें समाप्त प्राय कर दिया गया है। मजहब के कारण ही कश्मीरी पण्डितों पर अत्याचार करके उन्हें वहां से भगा दिया गया है। भारत पर और सारी दुनिया में जो आतंकवादी हमले हुए हैं और हो रहे हैं वे लगभग सारे मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा मजहब के कारण ही हो रहे हैं। ऐसा करने के लिए मुसलमानों को उनकी धार्मिक पुस्तक कुरान तथा हदीस के आदेश हैं। एक मुसलमान गैर-मुसलमान को मारकर गाजी की पदवी पाता है जो इस्लाम में सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है।

भारत को सही अर्थों में पंथनिरपेक्षता को अपनाने की जरूरत है। देश में कोई भी कानून किसी भी मजहब के आधार पर न बना हो। देश के सभी कानून सभी नागरिकों के लिए तथा सभी स्थानों के लिए एक से समता, राष्ट्रीयता, सत्य, न्याय और मानवता के आधार पर बने हों। मजहब सभी के लिए एक निजी और व्यक्तिगत विषय रहे। इसे सार्वजनिक और राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाये।

अंग्रेजी नहीं, प्रान्तीय भाषाएं तोड़ती हैं देश को

स्वतन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता की लड़ाई के दौरान हिन्दी भाषा राष्ट्रीयता का प्रतीक और देशभक्ति का चिन्ह मानी जाती थी। हिन्दी भाषा के प्रति सारे देश में–उत्तर में भी और दक्षिण में भी–सद्भाव तथा उत्साह था। 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारी बहुमत से–312 मत पक्ष में और 12 मत विरोध में–देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा (राष्ट्रभाषा) स्वीकार किया था।

जून, 1948 में एक कमीशन नियुक्त किया गया यह विचार करने के लिए कि देश में भाषा के आधार पर प्रान्त बनाए जाएं या नहीं। उस कमीशन का निर्णय था 'केवल भाषा के विचार से अथवा भाषा को मुख्य मानकर राज्यों का बंटवारा भारत के व्यापक हित में नहीं है और ऐसा किया नहीं जाना चाहिए।' इसी बात पर विचार करने के लिए 1953 में फिर एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का निर्णय था 'यह न तो सम्भव है और न ही उचित है कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा या संस्कृति के विचार से किया जाए। पुर्नगठन का आधार भाषा की बजाए प्रशासनिक और भौगोलिक हो।' इन रिपोर्टों के बावजूद देश में भाषा के आधार पर प्रान्त बना दिए गए।

देशी रियासतों को भारत में मिलाने के पश्चात सारा देश एक इकाई बन गया था। परन्तु भाषा के आधार पर प्रान्त बनाकर देश को फिर से विभाजित कर दिया गया।

हिन्दी भाषा को सबसे अधिक हानि देश में भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने से हुई है। जब से भाषाई प्रान्त बने हैं हर प्रान्त अपनी प्रान्तीय भाषा को प्राथमिकता और प्रधानता देने लगा है। प्रान्तीयता बढ़ी है और

राष्ट्रीयता कमजोर हुई है। प्रान्तीयता और प्रान्तीय भाषा का जनून इतना अधिक हो गया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी से भी कई राज्यों में द्वेष पैदा हो गया है। पंजाब में हिन्दू हिन्दी भाषा पढ़ना चाहते हैं प्रथम भाषा के तौर पर तथा अन्य विषयों के लिए माध्यम के तौर पर हिन्दी को अपनाना चाहते हैं पर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता। भाषाई प्रान्तों के कारण ही से एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने वाले व्यक्ति या विद्यार्थी के लिए भाषाई समस्याएं पैदा हो गई हैं। अपने देश में ही वह विदेशी की तरह महसूस करने लगा है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी जो हिन्दी के प्रबल समर्थक थे नेहरू जी के एक ब्यान से हिन्दी के कट्टर विरोधी बन गये। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के संविधान सभा के निर्णय पर गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने सहमति की मोहर लगाई थी तथा मद्रास में हिन्दी का प्रचार-प्रसार भी किया था। फिर नेहरू जी ने ब्यान दे दिया कि हिन्दी अहिन्दी भाषियों पर थोपी नहीं जाएगी। इससे सन्देश यह गया कि केन्द्र सरकार हिन्दी लागू करने की इच्छुक नहीं है। इस ब्यान के बाद राजगोपालाचार्य हिन्दी के विरोधी बन गए। उन्होंने महसूस किया कि मद्रास में हिन्दी लागू न होगी और वे इसका समर्थन करते-करते अलग-थलग पड़ जाएंगे।

सोवियत यूनियन में भाषा के आधार पर प्रान्त बने थे। जब तक कम्युनिज्म का डंडा रहा तब तक देश एक जुट रहा। कम्युनिज्म के समाप्त होते ही देश बिखर गया, अलग-अलग भाषाओं के कारण एक देश के कई टुकड़े हो गये। कैनेडा में दो सरकारी भाषाएं हैं—एक हिस्से में अंग्रेजी है और दूसरे में फ्रेंच भाषा है। कैनेडा भी भाषा के आधार पर दो टुकड़े होने के कगार पर खड़ा है। केवल आधा प्रतिशत वोट ही इस विभाजन को रोके हुए हैं।

आवश्यक्ता इस बात की है कि केन्द्र सरकार की और सभी प्रान्तों की सरकारी भाषा एक ही हो और वह हो हिन्दी भाषा। मांग के अनुसार क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। इसलिए बढ़ावा हिन्दी भाषा को दिया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने का यही एक रास्ता है। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कभी भी क्षेत्रीय भाषाओं की वकालत नहीं की। वे तो सारे

भारत में देवनागरी अक्षरों में केवल और केवल आर्य (हिन्दी) भाषा को ही देखना चाहते थे।

जहां तक अंग्रेजी भाषा का सम्बन्ध है इसने सारे संसार से हमारा नाता जोड़ा है। अंग्रेजी भाषा के बिना हम कूपमंडूक बने रहते। दूसरे देशों से विज्ञान अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के कारण ही बहुत से भारतीय विकसित पश्चिमी देशों में जाकर अपने-अपने परिवार के तथा भारत के विकास में भागीदार बने हैं। इंटरनैट की भाषा भी अंग्रेजी ही है जिसके जरिए संसार के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे कोने पर बैठे व्यक्ति से संवाद कर सकता है। भारत में भी अलग-अलग प्रान्तों के व्यक्ति जहां हिन्दी भाषा माध्यम नहीं है अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से वार्तालाप तथा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। इसलिए देश में अंग्रेजी भाषा का पढ़ाया जाना एक वरदान है, शाप नहीं।

स्वतन्त्र भारत के नेताओं ने देश को क्या दिया (सन् 2012)

आर्थिक स्थिति

1. भ्रष्टाचार, रिश्वत, शासकों द्वारा लूट-खसूट।

2. काला धन—देश में और विदेशी बैंकों में।

3. देश पर कर्ज—1947 में जब देश आजाद हुआ था तब देश पर कोई कर्ज़ न था। अब देश पर इतना कर्ज है कि प्रत्येक भारतवासी के हिस्से में 10,000 रुपये का कर्ज आता है।

4. रुपए का अवमूलन—1947 में एक अमरीकी डालर खरीदने के लिए तीन रुपए देने पड़ते थे, अब 2012 में 55 रुपए देने पड़ते हैं।

5. विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी—1947 में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत थी, अब 2012 में केवल ½ प्रतिशत है।

6. विदेशी व्यापार घाटा—1947 में भारत का विदेशी व्यापार घाटा 2 करोड़ रुपए था। सन् 2011 में यह घाटा बढ़कर 68,000 करोड़ रुपए हो गया।

7. नकली नोट—भारत की अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए भारतीय करंसी के नकली नोट बड़ी संख्या में पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं।

8. आर्थिक विषमता—देश में एक तिहाई लोग 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम में गुजारा कर रहे हैं जबकि देश के राष्ट्रपति पर प्रतिदिन 8 लाख रुपए खर्च होते हैं और प्रधानमन्त्री पर प्रतिदिन 7 लाख रुपये खर्च होते हैं।

गलत नीतियां और गलत व्यवस्थाएं

9. भ्रष्टतन्त्र—आजादी के बाद देश को जो राजनैतिक और आर्थिक

व्यवस्थाएं दी गई हैं वे ही देश में फैले भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। वे भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं और पालती हैं।

10. झूठी पंथनिरपेक्षता, झूठा सर्वधर्म समभाव, मजहब पर आधारित काननू—देश के लिए घातक हैं।

11. अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक नाम से देश का विभाजन तथा हिन्दुओं के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव।

12. आरक्षण के नाम से अयोग्यता को बढ़ावा दिया गया है और योग्यता को निरुत्साहित किया गया है। इससे देश कमजोर हुआ है। देश में अन्याय, असन्तोष और द्वेष पैदा हुए हैं।

13. 'अनेकता में एकता' के नारे से देश में विभाजन को बढ़ावा मिला है।

14. सम्मिलित जिम्मेदारी (collective responsibility) की व्यवस्था के कारण सरकार में उत्तरदायित्त्व का अभाव पैदा हुआ है।

15. नौकरी की सुरक्षा (security of service) के कारण सरकारी तन्त्र में अकुशलता, अयोग्यता और निष्कर्मण्यता बढ़ी है।

16. न्याय व्यवस्था—अन्याय व्यवस्था बनी हुई है। यह बेहद लम्बी, बेहद पेचीदा, बेहद मंहगी तथा भ्रष्ट है।

17. बड़ा तथा मंहगा सरकारी तन्त्र—सांसद, विधायक, मन्त्री, अफसर आदि संख्या में बहुत अधिक हैं तथा उन्हें दिए जाने वाले आर्थिक लाभ बहुत अधिक तथा विषमता कारक हैं।

18. अपराधी शासक—बहुत सारे सांसदों, विधायकों, मन्त्रियों पर गम्भीर अपराधों के आरोप लगे हैं।

19. अनावश्यक सुरक्षा (Police Security)—सांसदो, विधायकों, मन्त्रियों, अफसरों आदि को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक पुलिस की सुरक्षा दी गई है।

विदेश नीति तथा मुस्लिम तुष्टिकरण

20. कश्मीर समस्या—सारा कश्मीर वैधानिक रूप से भारत का अंग है। पाकिस्तान उसका 40 प्रतिशत भाग जबरदस्ती दबाए बैठा है और शेष

को हथियाने के लिए विभिन्न हथकण्डे अपना रहा है। कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के पास है उसे वापिस लेने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। उलटा जो भाग भारत के पास है उस पर पाकिस्तान से वार्ता पे वार्ता करती आ रही है।

21. चीन—चीन पूर्वोत्तर में भारत का बहुत-सा भू-भाग दबाए बैठा है और अरुणाचल प्रान्त को छीनने के प्रयास कर रहा है। भारत चीन के आगे भीगी बिल्ली की तरह पेश आ रहा है।

22. तिब्बत—1951 तक तिब्बत भारत और चीन के बीच एक स्वतन्त्र राष्ट्र था। 1951 में चीन ने आक्रमण करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने कायरता दिखाते हुए तिब्बत को चीन का अंग मान लिया। तिब्बत पर चीनियों के अत्याचारों से तंग आकर बहुत से तिब्बती बौद्ध भाग कर भारत आ गए। अब वे भारत में शरणार्थी बने रह रहे हैं। बौद्ध लोग तिब्बत की स्वायत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर भारत इस विषय पर चुप है।

23. कश्मीरी पण्डित—मुसलमानों ने अत्याचार करके कश्मीर के अढ़ाई लाख हिन्दुओं को वहां से भगा दिया है जो अब भारत के दूसरे भागों में शरणार्थी बने रह रहे हैं। प्रान्तीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार उन्हें सुरक्षा देने में असफल रही हैं।

24. मुस्लिम आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद—भारत सरकार में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव है। कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान ने कब्जा रखा है वहां पर मुस्लिम आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर पा रही है।

25. जनसंख्या वृद्धि—एक तो देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरे समाज में सन्तुलन बिगड़ रहा है क्योंकि मुसलमान परिवार नियोजन को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। मजहब के आधार पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और बंगलादेश भारत से कटकर अलग देश बने थे। अब फिर भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है। भारत में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दुओं की संख्या बहुत तेजी

से घट रही है।

26. मदरसे—मदरसों में मुस्लिम बच्चों को कुरान, हदीस, अरबी भाषा, अरबी साहित्य और इस्लाम का ज्ञान दिया जाता है। कहीं-कहीं थोड़ा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा आदि भी पढ़ाई जाती है। इस्लाम की जानकारी मात्र कट्टरवाद की शिक्षा है क्योंकि इस्लाम की दृष्टि में एक इस्लाम को छोड़कर पृथ्वी पर और किसी मजहब को जीने का हक नहीं है। इस प्रकार मदरसे कट्टरवाद और आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं जो भारत में हजारों की संख्या में हैं।

27. पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार—वहां पर हिन्दू निरन्तर आतंक के साये में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह रहे हैं। हिन्दू लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबरन मुसलमान बनाकर मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी करा दी जाती है। पाकिस्तान में सरकार द्वारा मंजूर शुदा स्कूली पुस्तकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हिन्दू घटिया कौम है। वहां पर कानून भी हिन्दू विरोधी हैं।

सामान्य समस्याएं

28. राष्ट्रभाषा—देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए सारे देश की एक भाषा होना परम आवश्यक है। बेशक हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है परन्तु स्वतन्त्र भारत की सरकारें इसे सारे देश में लागू करने में असफल रही हैं।

29. देश में प्रान्तवाद, भाषावाद, अलगवाद पैदा हुए हैं और बढ़े हैं।

30. मिलावट—दूध, घी, खोआ, मसाले आदि खान-पान की वस्तुओं में हानिकारक पदार्थों की मिलावट बेहद बढ़ गई है और फलों, सब्जियों में जहरीले इंजैक्शन लगाए जा रहे हैं।

31. अनाज की बरबादी—एक तरफ अनाज की बहुत अधिक बरबादी हो रही है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग देश में भूखे पेट सो रहे हैं।

32. गंगा, यमुना नदियों में प्रदूषण बेहद बढ़ा है। सरकार ने अरबों रुपया इन नदियों को साफ करने के लिए खर्च किया है जो बरबाद ही हुआ है क्योंकि समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है।

33. शराब—देश में शराब का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ा है। आजादी से पहले गान्धी जी और दूसरे नेता कहा करते थे कि आजादी मिलते ही शराब का बनना, बेचना और प्रयोग बन्द कर दिया जाएगा। आजादी के बाद गान्धी जी ने कहना शुरू कर दिया कि शराब बेचने से जो आमदनी हो वह लोगों को शराब न पीने की बात समझाने में खर्च की जानी चाहिए।

34. बूचड़खाने, गोहत्या—सन् 1947 से लेकर अब तक देश में बूचड़खाने सौ गुना बढ़ गए हैं। आजादी से पहले गान्धी जी कहा करते थे कि 'जहां गोहत्या होती है मुझे लगता है कि मेरी हत्या हो रही है', आजादी मिलते ही गोहत्या बन्द कर दी जाएगी। आजादी के बाद गान्धी जी बदल गए और कहने लगे कि इस देश में मुसलमान भी रहते हैं इसलिए गोहत्या बन्द करने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता।

भारत का शासन प्रजातन्त्र नहीं, भ्रष्टतन्त्र और लूटतन्त्र है

1. चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का आधार–किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनैतिक दल की ओर से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए उस दल के नेताओं से टिकट लेना पड़ता है। ऐसा टिकट देने के तीन आधार हैं–(एक) टिकट मांगने वाला व्यक्ति दल के नेताओं का बहुत बड़ा खुशामदी यानि चमचा हो (दो) वह व्यक्ति बाहुबली यानि बहुत बड़ा गुण्डा हो जिसका अपने गुण्डापन के कारण समाज में भय और दबदबा हो (तीन) जो व्यक्ति दल के नेताओं को पार्टी फंड के नाम पर मोटी धन राशि रिश्वत के तौर पर दे–यह राशि करोड़ों तक हो सकती है।

2. चुनाव के पश्चात जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। बड़ा लम्बा चौड़ा मन्त्रीमण्डल बनाया जाता है क्योंकि नेता को अपने दल के सभी सांसदों या विधायकों को अपने पक्ष में रखने के लिए सन्तुष्ट रखना पड़ता है। जितना बड़ा मंत्रीमण्डल उतना अधिक आर्थिक बोझ जनता पर पड़ता है। इतना ही नहीं, जो लोग मन्त्री, उपमन्त्री आदि नहीं बनाए जाते उनके लिए और बहुत से मलाईदार पद पैदा किए जाते हैं।

3. चुनाव के पश्चात अगर किसी भी दल को बहुमत न मिले तो बहुमत बनाने के लिए दूसरे दलों के सांसदों या विधायकों को खरीदने के प्रयास होते हैं। इस काम के लिए मन्त्रीपद तथा बड़ी बड़ी धन राशियां रिश्वत के तौर पर दी जाती हैं।

4. जो व्यक्ति एक बार सांसद या विधायक बन जाता है, पांच साल के बाद वह आमतौर पर अरबपति या खरबपति हो जाता है। कैसे और कहां से हो जाता है–सरकार में इस बात का प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसलिए

लोग सांसद या विधायक बनने के लिए सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं, सिर धड़ की बाजी लगाते हैं।

5. वोट लेने के लिए हमारे नेता जनता को रिश्वत देते हैं—कभी लैपटाप बांटकर, कभी मोबाइल फोन देकर, कभी बिजली, पानी मुफ्त में देकर, कभी कर्ज माफ करके, कभी नगद रुपए देकर, कभी मुफ्त में शराब पिलाकर आदि।

6. चुनाव के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में किए अपने खर्च का ब्योरा देना होता है। इसमें लगभग सभी उम्मीदवार झूठा ब्योरा देते हैं—खर्च बहुत ज्यादा करते हैं और बताते बहुत कम हैं।

7. हमारे नेताओं ने वेतन के अलावा कई प्रकार के भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी अपने लिए लगा रखी हैं। जब चाहते हैं वे अपनी मर्जी से इन्हें बढ़ा लेते हैं। हमारे सांसद सन् 1954 से अब तक 28 बार इन्हें बढ़ा चुके हैं। संसद के सत्र में जाने के लिए प्रत्येक सांसद अलग से 2000 रुपये प्रतिदिन लेता है। इन सबके इलावा हर सांसद को पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष अपनी मर्जी से समाज कल्याण के कार्यों में खर्च करने के नाम के मिलते हैं। संसद सदस्य न रहने पर पैंशन, परिवार की पैंशन तथा अनेक अन्य सुविधाएं भी ये अपने लिए लिए हुए हैं। दुनिया में सबसे अमीर देश अमेरिका के सांसदों को भी ऐसे भत्ते और सुविधाएं नहीं दी जातीं। वे अपनी मर्जी से अपना वेतन भी नहीं बढ़ा सकते।

8. सरकारी बंगले—हमारे नेताओं ने अपने रहने के लिए सरकारी बंगले ले रखे हैं। चुनाव हार जाने पर भी कुछ नेता इन बंगलों को नहीं छोड़ते। बिजली, पानी, टेलीफून आदि के लाखों के बिल भी नहीं भरते। ये हैं देश के नायक और रखवाले। तो फिर इसे लूटतंत्र नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे।

9. समाचार-पत्रों में पढ़ने में आया है कि वर्तमान सांसदों और विधायकों में 36% ऐसे हैं जिन पर गम्भीर अपराधिक मामले चल रहे हैं। भारत में वर्तमान में सांसदों और विधायकों की कुल संख्या 4,896 है। इनमें से 1,765 पर 3,045 मामले चल रहे हैं अर्थात कईयों पर एक से अधिक अपराधिक मामले हैं। (Times of India, March 12, 2018)। सांसदों

और विधायकों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी होती है। पर जब वे स्वयं ही आपराधिक मामलों में संलिप्त हों तो देश की भलाई की आशा उनसे कैसे की जा सकती है। देश की बाड़ ही देश को खा रही है।

10. सरकारी नौकरियां देने के बदले में बड़ी-बड़ी धन राशियां रिश्वत के तौर पर ली जाती हैं। नौकरी में बदली करवाने के लिए या बदली रुकवाने के लिए भी रिश्वत ली जाती है।

11. सांसद, विधायक या मन्त्री बनने पर इन लोगों को जो आर्थिक लाभ तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं वे इनको आम लोगों से बहुत ऊपर तथा दूर कर देती हैं। यही स्थिति सरकारी अफसरों की भी है। इसके सिवाय ये लोग नाजायज तरीकों से जो जनता को और सरकारी खजाने को लूटते हैं उसकी तो कहीं कोई सीमा नहीं है। इस पर न हमारी सरकारें कुछ करती हैं और न ही हमारा न्यायालय कुछ करता है। इस स्थिति पर अगर कभी कहीं कोई ऐक्शन होता भी है तो वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान।

12. बहुत से राजनेताओं ने तो देश पर शासन करना अपनी बपौती मान रखा है—बाप के बाद बेटा, फिर बेटे का बेटा शासन पर अधिकार जमाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपार धन-सम्पत्ति, पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए इस धन्धे में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। यह विशेषता है भारत के लोकतन्त्र की।

13. बड़ी तनखाहें, बड़े-बड़े भत्ते, कार, कोठी, नौकर आदि की सुविधाएं भोगने वाले बड़े-बड़े अफसर पांच सितारा ए.सी. कमरों में बैठे ऐश करते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ गप्पें हांकने में व्यस्त रहते हैं। काम चौथे दरजे के मुलाजम करते हैं। इस कारण से काम बहुत घटिया स्तर के होते हैं। सबसे कम तनखाह पाने वाला व्यक्ति काम करता है और सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ पाने वाला व्यक्ति ऐश करता है। यह व्यवस्था राष्ट्र निर्माण की नहीं अपितु राष्ट्र को बरबाद करने की है।

14. रिश्वत—हमारे नेता और अफसर जो रिश्वत लेते हैं वे आमतौर पर सीधे नहीं लेते। वे अपने अधीन कर्मचारी के द्वारा लेते हैं क्योंकि अगर पकड़ा जाए तो नीचे का कर्मचारी पकड़ा जाए और वे ऊपर वाले पाक साफ निकल जाएं। बाद में वे ऊपर वाले नीचे वाले को छुड़ा लेते हैं। वाह रे मेरे

देश के प्रजातंत्र।

15. सरकारी दफ्तर—देश की जनता को सबसे अधिक शिकायत सरकारों से है। सरकारी दफ्तरों में शायद ही कोई काम बिना रिश्वत के होता है। सरकारी दफ्तर वाले किसी भी काम के लिए जनता के बारम्बार चक्कर कटवाते हैं। दफ्तरी कागजी कार्रवाई इतनी टेढ़ी है कि उसे पूरा करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। फिर दफ्तर में जाकर लोगों को भीगी बिल्ली की तरह पेश आना पड़ता है अन्यथा दफ्तर में बैठा बाबू या अफसर झिड़क देगा और बात नहीं सुनेगा। हां, दफ्तर में रिश्वत देदो तो सब ठीक मान लिए जाता है। हमारे देश के दफ्तरों में ज्यादातर यही स्थिति है।

16. अदालतें—देश की अदालतों का धन्धा इतना महंगा, टेढ़ा और भ्रष्ट है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वह किसी मामले को अदालत में ले जाए। तो भी देश की अदालतों में साढ़े तीन करोड़ मामले लम्बित पड़े हैं। अदालतों का काम लम्बा इतना है कि छोटे-छोटे मामलों में बीस-बीस वर्ष तक लगा देते हैं। हां, अगर बड़े लोगों का मामला हो तो आधी रात में भी अदालत बैठ जाती है।

17. आरक्षण—आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्तियों को ऊपर बिठा दिया जाता है और योग्य व्यक्तियों को या तो उन अयोग्यों के नीचे काम करना होता है या फिर बेकार रहकर घर बैठना होता है। इसे लोकतंत्र कहना बेहद बेशर्मी की बात नहीं है क्या?

18. देश में लाखों टन अनाज हर वर्ष देख-भाल के अभाव में गल-सड़ जाता है या चूहे खा जाते हैं। दूसरी तरफ देश के बीस करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। लानत है ऐसे लोकतन्त्र पर।

19. पोलिस—देश की पुलिस इतनी होशियार है कि अपराधी को निरपराध और निरपराध को अपराधी बनाने में सिद्धहस्त है। रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना इनके बाएं हाथ का खेल है।

20. सरकारें जो भी काम करती हैं उनमें सरकारी अफसर ठेकेदारों से बड़ी-बड़ी धन राशियां कमीशन के तौर पर लेते हैं जिसके कारण सरकारी काम बहुत घटिया स्तर के होते हैं। सरकारी एयर लाईन एयर इण्डिया

(AIR India), सरकारी बसें, सरकारी बैंक आदि सरकार के सभी धन्धे सरकार में भ्रष्टाचार और लूट के कारण बड़े भारी घाटे में चल रहे हैं।

21. सत्यमेव जयते—सन् 1947 में देश के स्वतन्त्र होने पर 'सत्यमेव जयते' अर्थात सत्य की ही जीत होती है—का नारा तो खूब दिया गया। परन्तु वास्तविकता यह है कि स्वतन्त्रता के बाद सबसे अधिक किसी का गला घोंटा गया है तो वह है 'सत्य'। सत्य इतिहास को बदल कर झूठा इतिहास पढ़ाया जाने लगा है, अदालतों में झूठ चलता है, नेता झूठ बोलते हैं, सच बोलने वाले को विवादित कहकर नकार दिया जाता है।

22. संविधान—देश का संविधान देश को बांटने वाला तथा तोड़ने वाला है। अलग-अलग जातियों के लिए तथा अलग-अलग मजहबों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इस में। भाषा के आधार पर भी देश को बांट दिया गया है। दुनिया के सब संविधानों से बड़ा है यह। जितना यह बड़ा है उतना ही अधिक कठिन इसे समझ पाना तथा इसका अनुसरण करना है। और भी, नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छानुसार इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। प्रायः करके ये परिवर्तन राष्ट्र हित में नहीं अपितु राष्ट्र के अहित में होते हैं।

अंग्रेजी शासन की भारत को देन

भारत पर अंग्रेजों का राज 1757 से 1947 तक रहा। उससे पहले लगभग साढ़े पांच सौ साल तक भारत पर मुसलमानों ने राज किया। भारत पर अपने 190 वर्ष के शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया इस विषय पर संक्षेप में लिखा जा रहा है।

1. अंग्रेजों ने भारत को बढ़िया व्यवस्थाएं दीं। उन्होंने हमें स्वतन्त्र न्यायपालिका दी। अंग्रेजों से पहले मुस्लिम राज में न्यायपालिका स्वतन्त्र नहीं थी, न्याय पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में हुआ करता था। अंग्रेजों ने हमें स्वतन्त्र पत्रकारिता (Press Media) दी, बढ़िया शिक्षा व्यवस्था दी—स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय खोले। उन्होंने हमें प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली दी, जातपात, नसल और मजहब का लिहाज किए बिना सबके लिए बराबरी का सिद्धान्त दिया। उन्होंने भारत की सभी स्वतन्त्र रियासतों को एक केन्द्रीय शासन के नीचे लाकर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। सारे देश में रेलवे का, सड़कों का, नहरों का, डाकघरों का जाल बिछाया। उन्होंने जो भी काम किए बहुत बढ़िया और ऊंचे स्तर के किए। फिर भी जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा देश पर कोई कर्ज न था।

2. अंग्रेजों के आने से सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई वह है कि हमें अत्याचारी मुस्लिम शासन से छुटकारा मिल गया। मुस्लिम शासन काल में हिन्दुओं को हिन्दू होने के कारण एक विशेष कर (Tax) 'जज़िया' देना पड़ता था। दो हिन्दू भाइयों में सम्पत्ति का विवाद हो जाने पर उनमें से जो मुसलमान बन जाता सारी सम्पत्ति उसे दे दी जाती थी। मुस्लिम शासनकाल में करोड़ों हिन्दुओं को हिन्दू होने के कारण कत्ल किया गया, करोड़ों हिन्दुओं को तलवार के जोर से मुसलमान बनाया गया, लाखों हिन्दू स्त्रियों से

बलात्कार किया गया। लाखों हिन्दू स्त्री-पुरुषों को गुलाम बनाकर गजनी आदि स्थानों पर ले जाकर बेचा गया, हजारों मन्दिर और मूर्तियां तोड़ी गईं। उन मन्दिर-मूर्तियों से अथाह सोना-चांदी, हीरे-जवाहरात लूटकर मुसलमान अरब देशों को ले गये थे। हजारों हिन्दू लड़कियों को मुसलमान शासकों ने जबरदस्ती छीनकर अपने हरम (पत्नी गृह) में रखा था, जोधाबाई भी उनमें से एक थी।

सन् 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह जफर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ उस लड़ाई में अगर भारतीय जीत जाते और अंग्रेज तब भारत को छोड़कर चले जाते तो भारत फिर से जालिम मुसलमान शासकों के अधीन हो जाता।

मुस्लिम शासन में मुसलमान न होना सहन नहीं किया जाता। हमारे सामने तीन ताजे उदाहरण हैं—सन् 1947 में पाकिस्तान में 20% हिन्दू थे जो अब 1% रह गए हैं। बंगलादेश में 1947 में 30% हिन्दू थे जो अब 7% रह गए हैं। कश्मीर से लगभग सारे हिन्दुओं (तीन लाख) को मारकर निकाल दिया गया है।

मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार गैर-मुसलमानों पर अत्याचार करने का नाम जिहाद है और एक जिहादी साधारण मुसलमान से बेहतर है। जिहादी से बेहतर वो मुसलमान है जिसने अपने हाथ से कम से कम एक काफिर (गैर-मुसलमान) का कत्ल किया हो, उसे गाजी कहा जाता है।

3. अंग्रेजों की भारत को एक और बड़ी देन है—अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के कारण ही भारत आज सारी दुनिया से सम्पर्क बनाए हुए है। दूसरे देशों से विज्ञान तथा तकनीकी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही ली जा रही है। अंग्रेजी भाषा के कारण ही बहुत से पढ़े-लिखे भारतीय लोग विकसित पश्चिमी देशों में जाकर अपने, अपने परिवार के तथा भारत के विकास में भागीदार बन रहे है। इंटरनैट की भाषा भी अंग्रेजी ही है जिसके द्वारा संसार के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे कोने पर बैठे व्यक्ति से सैकण्डों में पत्र व्यवहार कर लेता है। अंग्रेजी भाषा के बिना हम कूप मण्डूक (कुएं का मेंढक) ही बने रहते। भारत में भी अलग-अलग प्रान्तों के व्यक्ति जहां हिन्दी भाषा माध्यम नहीं है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही वार्तालाप

करते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। देश को तोड़ने का काम करती हैं प्रान्तीय भाषाएं।

4. लाला लाजपत राय ने तो लिखा है, "स्वामी दयानन्द के अभिप्राय को उन्हीं लोगों ने पहचाना है जिनकी आंखें अंग्रेजी शिक्षा की रोशनी ने खोल दी थीं। संस्कृत के पण्डितों ने स्वामी जी के मन्तव्यों का बहुत कम आदर किया और उनमें से कोई भी उनका अनुयायी नहीं बना।" पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय उस समय के प्रसिद्ध आर्य सामजी थे। वे सबके सब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे।

राजा राममोहन राय ने भी लार्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने का समर्थन किया है। उनका मानना था कि केवल संस्कृत पढ़ने वाले लोग तंगदिल हैं जबकि अंग्रेजी शिक्षा से हिन्दू ज्यादा तार्किक और खुले दिमाग वाले बनेंगे।

इसका कारण यह है कि उस समय केवल संस्कृत पढ़ने वाले लोग पौराणिक पाखण्ड ही पढ़ते थे। वैदिक शिक्षा का तो सर्वथा अभाव ही था।

5. लार्ड मैकाले के सन् 1836 में अपने पिता के नाम लिखे पत्र का बड़ा जिकर किया जाता है। उस पत्र में वह लिखता है "जिस हिन्दू ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली वह अपने मजहब से मन से जुड़ा न रहेगा.... मेरा पक्का विश्वास है कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो अगले तीस वर्षों में बंगाल के सम्माननीय घरानों में कोई मूर्तिपूजक न होगा।

यहां पर लार्ड मैकाले हिन्दू मत और मूर्तिपूजकों की बात कर रहा है, वैदिक धर्म की नहीं। वास्तविकता यही है कि हिन्दू मत पुराणों की गलत मान्यताओं पर टिका है और मूर्तिपूजा उनमें सबसे बड़ी बुराई है।

6. प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने अपनी पुस्तक 'सत्य की खोज' में पृष्ठ 136 पर लिखा है कि अंग्रेजों के आने पर ही भारत में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने का सूत्रपात हुआ।

7. ब्राह्मणों के तगड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने भारत में समाज सुधार के कई कानून बनाए। पति के मरने पर पत्नी को साथ ही जीवित ही जला देने की प्रथा थी जिसे सती प्रथा कहते हैं। अंग्रेजों ने राजा राममोहन

राय के सहयोग से 1828 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। 1856 में ईश्वरचद्र विद्यासागर के सहयोग से अंग्रेजों ने विधवा विवाह को वैधता दिलाने वाला कानून बनाया। प्रायः छोटी उमर की लड़कियों का विवाह बड़ी उमर के पुरुषों के साथ कर दिया जाता था। दीवान हरविलास शारदा के सहयोग से अंग्रेजों ने 1929 में बाल-विवाह के विरुद्ध कानून बनाया। 1937 में जातपात तोड़कर होने वाले विवाह को वैधता देने वाला कानून घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से अंग्रेजों ने बनाया।

8. जालन्धर दोआबा के कमिश्नर जॉन लॉरेंस ने जब जमींदारों में सती प्रथा, कन्याओं को जन्मते ही मारने और कोढ़ियों को जीवित दबाने की बात सुनी तो उसने इन तीनों क्रूर प्रथाओं को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। जमींदारों के जमीनों के नए पट्टे बन रहे थे। जो भी जमींदार आता लॉरेंस उसे तीन कसमें खिलाता–विधवा नहीं जलाऊंगा, बेटी नहीं मारूंगा और कोढ़ी नहीं दबाऊंगा। लॉरेंस का साफ कहना था कि जो प्रतिज्ञा नहीं करेगा उसे जमीन नहीं मिलेगी। लॉरेंस की इस व्यवस्था का विरोध बहुत हुआ पर वह अपनी बात से न टला। उसने कहा कि जो विधवा को जलाएगा हमारा कानून उसे फांसी पर लटका देगा। (खुशवंत सिंह–आर्य जगत 18 अक्टूबर, 1987)

9. कलकत्ता महानगर की स्थापना करने वाले जॉन चारनक के जीवन की घटना है। एक ब्राह्मण युवती को परिवार वालों ने जबरदस्ती उसके मृत पति के साथ चिता में जलाना चाहा। वह डर के मारे चिल्लाई और भागी। जॉन चारनक ने उस युवती की रक्षा की। ब्राह्मणों ने उस अंग्रेज को डराया, धमकाया और उस विधवा को पुनः अपने समाज में स्वीकार न किया। अन्त में जॉन चारनक ने उस विधवा को अपनी पत्नी बना लिया।

10. आर्य समाज के संस्थापक, महान समाज सुधारक, परम वैदिक विद्वान महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने महान ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' में योरोपियनों की उन्नति के कारणों के बारे में लिखा है, "बाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या-सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे-बुरे आदमियों का उपदेश नहीं होना। वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फंसते, जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार

और सभा से निश्चित करके करते हैं। अपनी स्वजाति की उन्नति के लिए तन, मन, धन व्यय करते हैं। आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं।.... और जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है। आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं। अपने देश वालों को व्यापार आदि में सहायता देते हैं। इत्यादि गुणों और अच्छे-अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है।"

11. भारत के महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने लिखा है, "जब मुझे ज्ञात हुआ कि अंग्रेज लोग प्रायः अधिक बुद्धिमान, अधिक धैर्यवान और सुशील हैं तो उनके प्रति मेरी घृणा जाती रही और मैं उनके पक्ष में हो गया। मुझे विश्वास हो गया कि उनका राज, विदेशी जुआ होते हुए भी, देशवासियों के सुधार का शीघ्र और निश्चित साधन बन सकेगा।" (गंगा ज्ञान सागर–इतिहास विषय)

12. महात्मा ज्योतिबा फुले ने बाल-विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया तथा स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले–एक 1848 में और दूसरा 1851 में। ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। परन्तु अंग्रेज सरकार ने 200 रुपये के मूल्य का एक शाल भेंट करके महात्मा फुले को सम्मानित किया।

13. महर्षि दयानन्द ने भी अंग्रेजी शासन की प्रशंसा की है। 23 नवम्बर, 1880 को थियोसौफिकल सोसायटी की मैडम ब्लेवास्तिकी को लिखे पत्र में स्वामी दयानन्द भगवान को धन्यवाद देते हैं कि अंग्रेजी राज्य में मुसलमानों के अत्याचार से कुछ-कुछ छुटकारा मिला है। "मैं तथा अन्य सज्जन लोग पुस्तकें लिखने, उपदेश देने तथा धर्म के विषय में स्वतन्त्र हैं। इसका कारण इंग्लैंड की महारानी, पार्लियामैंट तथा भारत में राज्याधिकारी धार्मिक, विद्वान और सुशील हैं। अगर ऐसा न होता तो स्वतन्तत्रा से व्याख्यान देना, वेद मत प्रचारक पुस्तकें लिखना सम्भव न होता और आज तक मेरा शरीर भी बचना कठित था। इसलिए इन सभी महानुभावों को हम धन्यवाद देते हैं।"

ऐसा ही आशय महर्षि दयानन्द की ओर से 10 अगस्त, 1878 को जारी विज्ञापन में दर्शाया गया है।

14. सन् 1879 में दानापुर में एक दिन एक सज्जन ने स्वामी जी से

कहा कि 'आप इस्लाम के विरुद्ध न कहा करें।' उस समय तो स्वामी जी ने कोई उत्तर न दिया। परन्तु सायंकाल को जो व्याख्यान दिया वह आदि से अन्त तक इस्लाम के सिद्धान्तों पर ही था जिसमें उनकी तीव्र समालोचना की। व्याख्यान का आरम्भ ही इन शब्दों से किया कि "मुझे कहा गया है कि मुसलमानी मत का खण्डन मत करो। परन्तु मैं सत्य को छिपा नहीं सकता। जब मुसलमानों की चलती थी तब वे हम लोगों का तलवार से खण्डन करते थे। अब यह अन्धेर देखो कि मुझे उनका जिह्वा मात्र से खण्डन करने से मना करते हैं। मैं ऐसा अच्छा (अंग्रेजी) राज्य पाकर भला किसी की पोल खोलने से कभी रुक सकता हूं।"

15. महर्षि दयानन्द अपने भाषण, लेखन, शास्त्रार्थ–सब काम अंग्रेजी शासन में ही कर सके। अगर वे मुस्लिम शासन काल में होते तो ये काम न कर सकते, उनका सिर काट दिया जाता। वर्तमान स्वतन्त्र भारत में भी वे न कर सकते, उन पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने का आरोप लगाकर पाबन्दी लगा दी जाती।

16. कुछ लोग भारत विभाजन के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो सरासर गलत आरोप है। भारत विभाजन में अंग्रेजों का कोई हाथ नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत पर मुसलमानों का राज था। सन् 1947 में हालात बदल गए थे। प्रजातन्त्र में राज करने के लिए जनसंख्या का महत्त्व है। सन् 1940 में भारत में मुसमलान 24% थे। मुहम्मद अली जिन्नाह ने महसूस कर लिया कि अब समूचे भारत पर मुस्लिम राज होना मुश्किल है। इस्लाम के अनुसार शासक सदा मुसलमान ही होना चाहिए। इसलिए उन्हें मुस्लिम बहुसंख्या वाला देश चाहिए था। अगस्त, 1947 से एक वर्ष पहले जिन्नाह ने ऐलान कर दिया था "Either we have divided India or we have destroyed India अर्थात हमें भारत का विभाजन चाहिए नहीं तो हम भारत को बरबाद कर देंगे।" तभी सन् 1946 में बंगाल में मुसलमानों ने हिन्दुओं का कत्लेआम करना शुरू कर दिया था।

17. अंग्रेजी शासन के दौरान कानून की इज्जत थी। भ्रष्टाचार बहुत कम था। शायद ही कोई अंग्रेज अफसर रिश्वत लेता हो। आम लोगों का जानमाल सुरक्षित था। ❑❑❑

अमरीकी शासन की कुछ विशेषताएं

1. अमेरिका में देश के लिए राष्ट्रपति, प्रान्त के लिए राज्यपाल तथा नगर के लिए नगरपालिका अध्यक्ष—ये सभी सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए सांसदों को, विधायकों को और पार्षदों को चुनावों के पश्चात आपसी गठजोड़ करने की या खरीद-बेच करने की जरूरत नहीं पड़ती।

2. विधायिका (Legislative) और कार्यपालिका (Executive) अलग-अलग हैं। संसद विधायिका का काम करती है और राष्ट्रपति के ऊपर कार्यपालिका की जिम्मेदारी है।

3. संसद के दो सदन हैं—सैनेट (Senate) और House of Representatives. सैनेट के 100 सदस्य हैं जो हर प्रांत से दो के हिसाब से हैं। House of Representatives के 435 सदस्य हैं। वे हर प्रांत से आबादी के हिसाब से कम या ज्यादा हैं।

4. **सांसद और विधायक**—मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाते और न ही उन्हें कोई और लाभ का पद दिया जाता है। वे सांसद और विधायक ही बने रहते हैं। इसलिए उनका सम्बंध सीधा जनता से रहता है और वे जनता के लिए अच्छी व्यवस्थाएं बनाते हैं।

5. प्रशासन में राष्ट्रपति के सहायक के रूप में सचिव (Secretaries) हैं जिनकी संख्या 10-12 निश्चित है। राष्ट्रपति सारे देश में से योग्यता के आधार पर सचिवों का चयन करते हैं। उनकी स्वीकृति सैनेट (ससंद का एक सदन) देती है।

6. अपने स्वार्थ के लिए कोई भी चुनाव आगे पीछे नहीं कर सकता। राष्ट्रपति और संसद के चुनावों की तिथियां संविधान के द्वारा ही निश्चित की हुई हैं।

7. **अवधि (Term)**—राष्ट्रपति की अवधि चार वर्ष है। कोई भी व्यक्ति दो से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता।

संसद के एक सदन House of Representatives की अवधि दो वर्ष है तथा दूसरे सदन सैनेट (Senate) की अवधि छः वर्ष है। हर दो वर्ष के पश्चात सैनेट के एक तिहाई सदस्य नये चुनकर आते हैं।

8. उप-चुनाव (Bye Elections) नहीं होते। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अगले चुनाव तक के लिए उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। उप-राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति देश में से किसी भी योग्य व्यक्ति को अगले चुनाव तक के लिए उप-राष्ट्रपति बना देते हैं।

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का चुनाव एक जोड़े (Team) के तौर पर होता है, अलग-अलग नहीं।

संसद का कोई स्थान खाली होने पर उसी निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) का और उसी राजनैतिक दल का कोई व्यक्ति अगले चुनाव तक के लिए मनोनीत कर दिया जाता है।

संसद भी कभी भी बीच में ही भंग नहीं होती क्योंकि संसद का अस्तित्त्व किसी प्रस्ताव के पास या फेल होने पर आश्रित नहीं है। इसलिए मध्यावधि चुनाव भी नहीं होते।

9. सांसद या राष्ट्रपति अपने वेतन-भत्ते स्वयं नहीं बढ़ा सकते। इस सम्बन्ध में जब कोई प्रस्ताव पास होता है वह उस समय के सांसदों या राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता। उनकी अवधि पूरी होने पर अगली संसद या राष्ट्रपति पर लागू होता है।

10. **न्यायपालिका**—पूर्ण रूप से स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष है। बड़े मामलों का फैसला आम जनता में से चुने गए 12 लोगों की ज्यूरी (Jury) के द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में 9 जज हैं। उनकी नियुक्ति आयुभर के लिए होती है। कोई स्थान खाली होने पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मनोनीत (Nominate) करते हैं। सैनेट की बहुमत से स्वीकृति के बाद ही वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का जज बन पाता है।

उच्चतम न्यायालय के पास जो भी मामला आता है उसके लिए सभी 9 जज बैठते हैं और बहुमत से फैसला करते हैं।

11. देश में कोई भी दिखावे का पद (Ceremonial Office) नहीं है। सभी के लिए पद के हिसाब से काम है तथा उसी हिसाब से वेतन है।

12. **चुनाव के लिए टिकट**—कोई भी राजनैतिक दल किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देता। सभी को उम्मीदवारी टिकट जनता से स्वयं लेना होता है। प्राइमरी (Primary) चुनाव के द्वारा जनता जिसे ठीक समझती है उसे अधिक वोट देकर अपना उम्मीदवार बनाती है।

इसीलिए किसी पार्टी का टिकट न मिलने पर कोई व्यक्ति पार्टी नहीं बदलता। वहां पर किसी भी व्यक्ति द्वारा पार्टी बदलना लगभग न के बराबर है।

13. मन्त्रियों के कोटे (Quotas) या सांसद निधि आदि नहीं हैं। सांसदों, सचिवों, जजों, सरकारी अफसरों आदि को सरकार की तरफ से कार, कोठी, नौकर आदि भी नहीं दिए जाते।

14. **साम्प्रदायिकता**—किसी भी मजहब के आधार पर देश में कोई भी कानून नहीं है। सभी कानून समता के आधार पर बने हैं। मजहब सभी के लिए एक निजी और व्यक्तिगत विषय है, राष्ट्रीय या सरकारी विषय नहीं है। किसी भी मजहब को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसलिए साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते। किसी भी मजहब को लाऊडस्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाने की इजाजत नहीं है। वहां पर हज यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती। ट्रिपल तलाक आदि की समस्याएं वहां नहीं हैं।

15. जातपात का नामोनिशान नहीं है। कोई ऊंच-नीच नहीं जानता।

16. कोई भी किसी प्रकार का भी आरक्षण नहीं है। सभी कुछ योग्यता के आधार पर है। जो जिसके योग्य है उसे वह काम मिल जाता है। योग्यता बढ़ाने के लिए सभी को अवसर उपलब्ध हैं।

17. **शिक्षा**—हाई स्कूल अर्थात 12 वर्ष तक की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है और दस वर्ष तक की शिक्षा सभी लड़के-लड़कियों के लिए अनिवार्य है।

आरम्भ से अन्त तक की सारी शिक्षा में अध्यापक ही परीक्षक होता

है। जो अध्यापक पढ़ाता है वही परीक्षा-पत्र तैयार करता है और वही उन्हें जांचता है, वही विद्यार्थियों को ग्रेड देता है और उन्हें पास फेल करता है।

दसवीं तक की शिक्षा अनिवार्य होने से देश की जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण रहता है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के बच्चे कम होते हैं। इससे बेरोजगारी पर नियन्त्रण लगता है, बाल-विवाह और बाल मजदूर नहीं होते।

लगभग सभी स्कूल स्थानीय सरकारों के अधीन होते हैं। प्राइवेट स्कूल तो कोई बिरला ही होता है। सरकारी स्कूलों का स्तर (standard) बड़ा ऊंचा होता है।

18. नौकरी की सुरक्षा (Security of Service) नहीं है। इसलिए लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। रोटी की सुरक्षा (Security of Bread) सबके लिए है।

19. **भाषा**—अमेरिका में सैंकड़ों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। परन्तु केन्द्र सरकार तथा सभी प्रान्तीय सरकारों की भाषा एक ही है—अंग्रेजी। इसलिए सारा देश एक इकाई के रूप में उभरा है।

20. मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। मेहनत से कोई भी व्यक्ति थोड़े ही समय में अपनी गरीबी दूर कर सकता है। शारीरिक काम करने वालों को मेहनताना दफ्तरों में काम करने वालों से कम नहीं मिलता।

21. राजनेताओं के पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते। इसलिए लोग उनके आगे पीछे नहीं फिरते। वैसे भी खुशामद करना या गिड़गिड़ाना बहुत बुरा माना जाता है। दफ्तरों में भी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आत्म-स्वाभिमान को महत्त्व दिया जाता है।

22. **मुद्रा (Currency)**—अमेरिका में स्थिरता इतनी है कि पिछले पचास वर्षों में वहां की करंसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी वही नोट और वही सिक्के हैं जो पचास वर्ष पहले थे।

एक और विशेष बात—वहां के हर सिक्के पर लिखा रहता है—"In God We Trust' अर्थात हमें ईश्वर की सत्ता में विश्वास है।

23. अर्थ व्यवस्था का आधार—निजि क्षेत्र (Private Sector) है। बस, रेल, हवाई जहाज, टेलिफोन, टेलिविजन, रेडियो, समाचार-पत्र, बिजली,

पानी, बैंक, बीमा–सभी जनता के निजि हाथों में हैं। स्कूल और पुलिस स्थानीय सरकारों के पास हैं। पोस्ट ऑफिस केन्द्रीय सरकार के पास है।

इण्लैण्ड के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े राजनीतिज्ञ विंसटन चर्चल (Winston Churchill) ने कहा था–'Destroy free market, you create black market' अर्थात स्वतन्त्र बाजार समाप्त करने का मतलब है काला बाजार पैदा करना।

24. **अमेरिका में कार्यकुशलता के कारण**

(a) कोई आरक्षण नहीं, सभी नौकरियां योग्यता के आधार पर हैं।

(b) नौकरी की सुरक्षा नहीं, परन्तु रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की सुरक्षा सबके लिए है।

(c) सम्मिलित जिम्मेदारी (Collective Responsibility) का सिद्धान्त अमेरिका में नहीं चलता, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है।

(d) अर्थ-व्यवस्था का आधार निजि क्षेत्र (Private Sector) है।

25. **अमरीकी समाज के गुण**

(a) Rule of Law–कानून का राज

(b) Dignity of Labour–मेहनत का सम्मान

(c) Discipline–अनुशासन

(d) Punctuality–समय के पाबन्द

(e) No Adulteration–कोई मिलावट नहीं

(f) Sense of Cleanliness–सफाई की समझ

(g) Politeness–नम्रता

26. **अमरीकी संविधान–**अमेरिका का संविधान 1787 में बना था। उसमें अब तक कुल 27 संशोधन हुए हैं। मूल संविधान तथा सभी संशोधनों को मिलाकर कुल पच्चीस पृष्ठ की पुस्तिका के आकार का अमेरिका का संविधान है। भारत का संविधान उससे बीस गुणा बड़ा है। उसमें एक सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं।

अमेरिका की सुव्यवस्था, समृद्धि, उन्नति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का श्रेय उनके 231 वर्ष पुराने संविधान को तथा उसे बनाने वालों को ही जाता है। ❑❑❑